Transcriptions of Vijay Mehta

(on by Anil Rajimwale)

Q. : You name and date of birth?

उ. : मेरा नाम विजय मेहता। 30 जनवरी 1935 का जन्म। सोजती गेट पर रहता हूं

इस शहर का मुख्य चौराहा है।

क्या आप शुरू से ही राजनैतिक जीवन में रहे? राजनीति में आपकी दिलचस्पी कैसे हुई?

मेरे मामा कम्युनिस्ट पार्टी में थे..... (अच्छा.... और जब मैं फर्स्ट ईयर में आया और कॉलेज में enter हुआ तो उनकी वजह से में फर्स्ट ईयर से स्टूडेंट मूवमेंट में आ गया। इसके पहले मैं गांव में रहता था, और गांव से शहर आया यहां उनके संपर्क में था, पहले से ही, और उनकी वजह से सीधा कम्युनिस्ट पार्टी में और स्टूडेंट मूवमेंट में आ गया।

प्र. गांव कहां है?

उ. मैं जोधपूर का हूं रहने वाला, लेकिन मेरे पिताजी सोजत, एक गांव है, वहां के रहने वाले थे। उस गांव में वे अध्यापक थे। इस वजह से हमलोग वहां रहते थे।

प्र. तो आपके मां-बाप कम्युनिस्ट पार्टी में गांव में काम करते थे?

उ. नहीं, शहर में थे, आजादी के पहले यहां थे, लेकिन मैं जब गांव से शहर में आया तो वह यहां पर सक्रिय थे, और वे कुछ अर्से तक यहां कॉलेज में भी अध्यापन का काम करते थे।

(.....अच्छा.....)

इसके बाद में वे दिल्ली शिफ्ट हो गए और नेशनल लेबर कमिश्नर के डारेक्टर पद से रिटायर हो गए।

प्र. : नेशनल लेबर कमिश्नर? अच्छा?... तो आपके मां-बाप.... क्या.... कम्युनिस्ट के one of the ऑर्गेनाइजर्स थे?

उ. : कम्युनिस्ट पार्टी के और.....

प्र. : राज के समय में होगा.....

उ. : Mainly, स्टूडेंट फेडरेशन के ऑर्गेनाइजर तो थे ही यहां पर।

प्र. : क्या नाम था उनका?

उ. : प्रयाग मेहता, डॉक्टर प्रयाग मेहता

(प्रयाग मेहता !! अच्छा, अच्छा !)..... (आं, हां)

वे राजाओं के जमाने से एक्टिव थे पोलिटिक्स में, आजादी के आंदोलन में। वो डारेक्टली कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट आइडियोलोजी से प्रभावित थे।

जब मैं स्टूडेंट था तो कुछ स्टूडेंट मूवमेंट में सक्रिय था। यहां ए.आई.एस. एफ. में लोकल सेक्रेट्री हुआ में।

प्र. : कब? किस साल?

उ.: ये बात है 1952 की। फिर यहां एस.एम.के. कॉलेज है; इस वक्त यूनिवर्सिटी नहीं होती थी। वह कॉलेज था, कॉलेज में हमारा साथी अध्यक्ष हुआ कॉलेज का, और मैं उनका one of the secretaries; यह मेरे ख्याल से करीब '55-56 की बात है। लेकिन स्टूडेंट रहते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ने मुझे.... (रूक कर) रेलवे यूनियन में काम करने के लिए लगाया। (....अच्छा....) तब, जब मैं यह 1962 की बात होगी, जब मैं सेकेंड ईयर की बात होगी। जब मैं दिन में कॉलेज जाता था और एस.एफ. का काम करता था, और (हंसते हैं) शाम को रेलवे यूनियन में जाता था। (....अच्छा....) रेलवे यूनियन उस वक्त असंगठित थी और..... इंटक से संबंधित यूनियन थी... उसके ऑफिस सेक्रेटरी के लिहाज से मुझे बाबू बना के उस यूनियन में बैठाया, और वो यूनियन हमने अच्छी संगठित की, और वो पूरी यूनियन बाद में हमने लाल झंडा यूनियन में परिवर्तित किया। उस यूनियन की खासियत ये रही कि कई सालों तक मई दिन की जो परेड होती थी, मैं बाकायदा कवायद करते हुए, लाल कपड़े पहन के, वर्दी पहन के हम लोग मार्च करते थे....

....अच्छा....

.... और बाकायदा शाम को घंटे भर तक उनका कवायद का प्रोग्राम रेगूलर होता था....

प्र. : रेगूलर होता था?

उ. : रेगूलर

प्र. : हर दिन?

उ. : हर दिन। बाकायदा। (....वाह!....) फिर कालका के अंदर एक फायरिंग हुआ। (....अच्छा....) रेलवे वर्कर्स के ऊपर। उस फायरिंग में कुछ लोग मारे गए थे। उसकी प्रतिक्रिया के रूप में यहां पर स्ट्राइक हुई, रेलवे वर्कशॉप में। यहां हम वर्कशॉप की यूनियन में काम कर रहे थे, रेलवे वर्कशॉप में। यह स्ट्राइक बड़ी जबर्दस्त थी। ये भी 50 की बात है। सारा कर्मचारी जो पर्मानेंट था, उसकी सेवाएं, उन सेवाओं में व्यवधान कर दिया, ब्रेक कर दी, सर्विस ब्रेक हो गई। उस मामले को भी ले के हम उस वक्त फिरोज गांधी पार्लियामेंट के मेंबर हुआ करते थे। हम उनके पास में भी गए। और लगभग 7-8 साल के प्रयत्नों के बाद में इन सब इम्पलाईज का सर्विस ब्रेक खत्म हो गया। लेकिन हमारे जो मुख्य फंक्शनरी (funtionary) थे, उनका victimisation हो गया। सेक्रेटरी थे कामरेड छोटू सिंह। उनका टर्मिनेशन हो गया। एक मुख्य कार्यकर्त्ता थे जेटा सिंह और माथुर सिंह; उनका रेलवे वर्कशाप से आसाम में और कहीं दूसरी जगह तबादला हो गया। तो वो यूनियन खत्म हो गई और टूट गई। उसके बहुत वर्षों के बाद में फिर वर्कर्स यूनियन बनी (....ओ.... वर्कर्स यूनियन बनी...) वो यूनियन भी चला। unrecognised यूनियन थी। मेम्बरशिप भी थी उसकी। उस यूनियन की एक ही खासियत थी कि हम लोग

एक्सपोजर अच्छा करते थे, और गेट मीटिंगें हमारी होती थीं। और recognised यूनियन की गेट मीटिंगें होती ही नहीं थी। फिर एटक ने निर्णय ले लिया : वर्कर्स फेडरेशन खत्म हो गया। हम लोग नॉर्थन रेलवेमैंस यूनियन में आ गए। अभी वो लोग संपर्क में हैं हमसे। वैसे एफीलिएटेड एच.एम.एस. से है, लेकिन हमारे संपर्क में भी हैं और हम लोग उन लोगों के साथ में बैठते भी हैं।

हम लोगों ने यहां पर अपना एक मेकैनिज्म बना रखा है, अच्छा खासा काम करने का। थ्री-टायर सिस्टम हमारा यहां पर है। एटक से सम्बन्धित सारी यूनियनें जिला एटक में हैं। फिर एटक के अलावा लेकिन उसके साथ चलने वाली यूनियनें, जैसे बैंक एम्प्लाईज यूनियन, एम.ई.एस.टी. यूनियन (ये वैसे)..... ये एफीसिएटेड नहीं है लेकिन हमारे साथ चलती हैं। उनका एक अलग फोरम बना रखा है, जिसको हम यहां पर संयुक्त ट्रेड यूनियन कमेटी कहते हैं। एटक और एटक के अलावा और। ये दूसरा टायर हो गया। तीसरा टायर एक राष्ट्रीय अभियान समिति बनी हुई है। इसमें एटक, सीटू, एच.एम.एस. और जैसे किसी से जुड़े हुए नहीं हैं यहां पर : कर्मचारी महासंघ, इस प्रकार के जितने संगठन है, Left-oriented, वो सब हमारे साथ हैं। उनका एक अलग संगठन बना हुआ है जो regularly meet करता है और ऑल इंडिया कॉल जो भी आती है उस पर हम सामूहिक रूप से रिएक्ट करते हैं और प्रारम्भ से ही हमलोगों का एक तरीका रहा है कि किसी भी जगह कोई स्ट्राइक होगी या कोई आंदोलन होगा, तो हम individually react नहीं करते हैं। हम सामूहिक रूप से जाते हैं। किसी एक particular यूनियन का धरना है तो एटक as a whole 15, 12, 50 कार्यकर्ता वहां भेजती है और उनको greet हैं। अभी डाकवालों की हड़ताल, आर.एम.एस. की हड़ताल थी। तो वैसे ये यूनियनें सीधे हमसे एफीलिएटेड नहीं हैं। ऑल इंडिया लीडरशिप इनकी सीटू के हाथ में है, लेकिन लोकल लेवल पर हमारे साथियों के साथ कॉपरेट करते हैं। शहर की यह परम्परा रही है कि सारे ट्रेड यूनियन करीब-करीब हम एक साथ ही काम करते हैं।

प्र. : उससे पहले भी यह परम्परा रही ?

उ. : करीब-करीब पिछले 40 सालों से यह परम्परा में देख रहा हूं कि हम लोग diferent political ideologies के होते हुए भी प्रयत्न हमारे यहां रहता है, क्योंकि हमको मालूम है कि सारा organised section एक साथ हो जावे तो भी उसकी ताकत बहुत कम है। Unorganised section बहुत ज्यादा है, और अगर हम अकेले एटक या एक particular यूनियन के आधार पर कुछ करें तो उसमें कुछ खास प्रभावशाली कदम नहीं उठ सकता। जैसे मैं आपको बताऊं कि सीटू की एफीलिएटेड यूनियनें, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की, तो उनकी तादाद बहुत कम है। वो सब लोग भी अगर मिल जावें, तो शहर के अंदर सौ लोगों से ज्यादा नहीं हो सकते। तो they need support from other questions.

प्र. : सीटू की वो एफ.एम.आर.ए.आई है .

उ. : नहीं, वहीं, वही..... फिर हमने जैसे unorganised को ऑर्गनाइज करने का कुछ काम किया। करीब मेरे ख्याल से पचास-एक साल पहले ये जो दूकानों के ऊपर जो लोग काम करते हैं, शॉप-कीपर्स के पास में,

हम यहां पर उनको गुमाश्ता कहते हैं

प्र. : गुमाश्ता..... गुमाश्ता यूनियन का तो नाम आता है....

उ. : हां, लेकिन अब इतनी फंक्शनरी यूनियन नहीं है ये, लेकिन एक जमाने के अंदर ये बहुत पॉवरफुल यूनियन थी, और काम भी मुश्किल का था, क्योंकि ये शहर बड़ा विचित्र शहर है। छोटा शहर है, करीब दस लाख की अभी आबादी है। दस लाख की आबादी में, आप समझिये, हर सूरत के अंदर one-tenth तो ऐसे लोग हैं कि हम नाम से जानते हैं, लोग हमको नाम से जानते हैं। इतना पर्सनल टच है। मेरा एक रिश्तेदार दुकानदार, वो दूकान करता है, मैं उसी के दूकान के आदमी को मूवमेंट में लेके आ रहा हूं उसके खिलाफ (....laugh....) कई लोग जो हैं हमारे संपर्क में हैं हमारे दायरे में हैं वो कारखाना चलाते हैं। कारखानों में हमारी हड़ताल है, उन्हीं कारखानों के लोगों को हम ऑर्गनाइज करते हैं। छोटा शहर है, ताल्लुकात सब लोगों से रहता है, थोड़ा काम मुश्किल भी है, लेकिन कुछ जगहों को छोड़, मैंने देखा, कटुता नहीं रहती।

प्र. : यह तो अच्छी चीज है।

दूसरा चक्कर है अनऑर्गनाइज लेबर का; वो ऑटो रिक्शा वालों को आप देख लीजिए।

प्र. : जरा गुमाश्ता यूनियन के बारे में और बताइये।

उ. : हां, गुमाश्ता यूनियन को ऑर्गनाइज करने का आधार यह बना कि

इनके वर्किंग आवर्स

(working hours) निश्चित हों। और उस जमाने के अंदर शॉप्स के close का कोई टाइम टेबल नहीं था, और न ही कोई साप्ताहिक छुट्टी थी। तो संगठन का आधार हमारा : साप्ताहिक छुट्टी की मांग, काम के घंटे निश्चित करना, वो आधार बना। उसक आधार पर ये काम शुरू हुआ। काम के घंटे भी उनके निश्चित हुए और संडे या एक दिन close बाद में कानून बन गया, लेकिन बिना कानून के भी ये facility शुरू हुई, और उनको organise करने के लिए जो दूसरी, organised section था, उसने उनको support किया।

प्र. : तो गुमाश्ता का मतलब यहां basically shop-asistants है ?

उ. : Ship-asistants फिर हमने....

प्र. : ये आपको कोई बिना किसी मेजर स्ट्रगल के ये डिमांड पूरी हुई या.... ?

उ. : नहीं-नहीं.... ऐसा हो ही नहीं सकता था क्योंकि victimisation तो होता ही है.... एक दूकान में एक आदमी काम करता है, छोटी दूकानें हैं; बहुत कम ऐसी दूकानें हैं जिनमें 10-15 का स्टाफ हो, बहुत कम, आज भी। उस जमाने की बात तो दूर रही। तो, और जो आदमी कहीं पे काम पे लगा हुआ है वह किसी-न-किसी की सिफारिश से लगा हुआ है। उसकी नौकरी पर लगाने का कोई criteria तो था नहीं। पर्सनल रिलेशनशिप से, सिफारिश से आदमी वहां पर पहुंचता है। एक आदमी है, उसका साथ देने वाला वहां कोई दूसरा नहीं है। उसके

ऊपर एक इल्जाम लगाना बहुत आसान है : दूकान से चीज गायब कर दी, चोरी कर दी, माल गायब कर दिया, कम तोल दिया, ज्यादा तोल दिया, पैसा गलत दे दिया, ये लोग उगाही भी करते हैं, जो माल उधारी पे जाता है, उस माल को, उसका पैसा भी इसको हम उगाही कहते हैं, उसकी रिकवरी, तो दिन में दो-तीन घंटे रिकवरी का काम भी वह करता है। ये लोग जाते हैं, तो इनके ऊपर इल्जाम लगाना बहुत आसान काम था, कि आप रिकवर कर लिया, पैसे नहीं जमा किए, इसलिए काम काफी मुश्किल का था, लेकिन उन दिनों के अंदर सबसे बड़ा सहयोग हमें कॉमरेड एव.के.व्यास का मिला जो उन दिनों के अंदर यहां पे एम.एल.ए. थे, एकमात्र कम्युनिस्ट एम.एल.ए. थे .

प्र. : पहले कम्युनिस्ट एम.एल. ए. थे?

उ.: जी, पूरे हिंदी एरिया में : यू.पी., बिहार, हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बड़ी अजीब सी बात है कि वो 1952 में एक उप-चुनाव में यहां से जीतकर गए (अच्छा!....) मुख्य चुनाव के अंदर जोधपुर के जो राजा थे, महाराजा जिनको कहते थे, वो जीत के गए। (....अच्छा, मुख्य चुनाव में प्र.).... मुख्य चुनाव में वो जीते, उनके मुकाबले में का. एच.के. व्यास खड़े थे, और उनके मुकाबले में सबसे दिग्गज जो पर्सनेल्टी जो जोधपुर शहर में उपस्थित थी, कांग्रेस को, जयनारायण व्यास, वो खड़े थे। जोधपुर महाराजा के मुकाबले में इन दोनों की जमानतें जब्त हुईं (प्र. जमानतें जब्त हुईं?) जमानतें दोनों की (अच्छा....) एच.के. व्यास तो उन दिनों में आए ही आए थे नागपुर से, पहले नागपुर रहते थे, और जयनारायण व्यास तो स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नेता यहां थे। वो दोनों हारे, और जमानतें जब्त हुईं। लेकिन उनकी मृत्यु हो गई। '51 में तो इलेक्शन हुआ, फस्ट जनरल इलेक्शन, और '52 में बाई-इलेक्शन, उनकी मृत्यु हो गई, हनुमंत सिंह जी की, और उस बाई-इलेक्शन के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई, उसी सीट से जीत गई जहां से महाराजा जीत के गया था (...laugh....)

प्र. : जमानतें किनकी जब्त हुईं? एक तो जयनारायण व्यास....

उ. : और एच.के. व्यास

प्र. : नहीं मतलब जमानत जिनकी जब्त हुई वे....

उ. : हां, एच.के. व्यास, वे भी candidate थे उसी में। लेकिन एच.के. व्यास के जीतने से यहां के मूवमेंट को बहुत, बहुत गति मिली। वो पर्सनेल्टी थी जो काफी गतिशील थी, और उसमें, जैसा कि मैंने बताया आपको, शॉप-कीपर्स, even industrialists, हर सेक्शन से जुड़ गए वो, और उनके इलेक्शन के बाद में भी actively support किया था उनको।

प्र. : Working section का support था उनको

उ. : Support था.... उन दिनों में एच.के. व्यास जब एम.एल.ए. थे, एम.एल.ए थे, एम.एल.ए के पहले की बात होगी, 50 के अंदर यहां कोई हड़ताल चल रही थी, नर्स और कम्पांउडर्स की, उस नर्स और कंपाउंडर्स की हड़ताल के समर्थन में रेलवे मजदूरों का हम जुलूस निकाले। इसमें एच.के. व्यास लीडर थे। उस वक्त यहां गोली

चली, जोधपुर में पहला गोलीकांड हुआ था, रेलवे मजदूर के ऊपर, और उसमें कई लोगों की गिरफ्तारियां हुईं, जिनमें एच.के. व्यास शामिल थे, और वो कम से कम उसके मुकदमें दस - एक साल चले। (प्र. अच्छा ?....) इसका मतलब रेलवे वर्कर्स यहां active segment था....)। हां, उस वक्त, क्योंकि जोधपुर एक स्टेट थी, जोधपुर स्टेट के अंदर रेलवे की यूनियन और बिजली-घर की यूनियन, सब कॉमन लीडरशिप चलती थी। बिजली घर की ये जो बोर्ड है, उस वक्त बोर्ड नहीं होता था, डिपार्टमेंट था उस वक्त इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट; इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, टेलीफोन डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, ये सब लोकल चले थे। इन सबकी लीडरशिप, आपस में उनका रहता था, सामन्जस्य, और कइयों के तो डिपार्टमेंट्स तो पास-पास में थे, जोधपुर स्टेट के टाइम में। जब तक पूरी नॉर्थर्न रेलवे वगैरह का डेवलपमेंट नहीं हुआ, नहीं बनी, जब तक यह हमारा सिलसिला चलता रहा। उस रूप से असर चलता रहा। बाद में रेलवे के अंदर recognition का जब से शुरू हुआ, तब से उसमें बदलाव आ गया. ...

प्र. : अच्छा, रेलवे पहले तो, यह जो राजस्थान है, ये as a state काफी बाद में constitute हुआ, तो राजस्थान रेल्वेज या राज रेल्वेज तो.... ?

उ. : राजस्थान तो बना '49 में; उसके पहले जोधपुर में जोधपुर रेलवे थीं इसको जोधपुर रेलवे बोलते थे, और ये जोधपुर रेलवे अभी जो पाकिस्तान का सिंध-हैदराबाद है, वहां तक जोधपुर रेलवे जाती थीं यहां का स्टाफ वहां जाता था, और इसी वजह से जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान हुआ, तो जोधपुर के कई लोग हैदराबाद में रहने की वजह से पाकिस्तान में रह गए। काफी बड़ा हिस्सा ऐसा ठिपसपमे का है जिनका कोई-न-कोई फैमिली का दूसरा सदस्य, पाकिस्तान में है, और आज भी उनके शादी-ब्याह दोनों साइड में होते हैं, आना-जाना है, शादी-ब्याह होते हैं, पाकिस्तान की लड़की की शादी हिंदुस्तान में हा रही है, हिंदूस्तान की लड़की की शादी पाकिस्तान में हो रही है, रिश्तेदारियां कॉमन हैं, उसका एक मुख्य कारण रेलवे है, जोधपुर का स्टाफ वहां रहता है....

प्र. : बीच में एक मत्स्य यूनियन और उस तरह की चीजें बनी थीं, राजपुताना वगैरा....

उ. : हां, हां, उसकी अलग से रेलवे नहीं थी, बी.बी. एंड सी. आई. थी, जो इधर से पास होकर जाती थी. .. (प्र. जोधपुर से ?...) जोधपुर से नहीं होती थी, जोधपुर रियासत के अंदर मारवाड़ जंक्शन है, मारवाड़ जंक्शन से होकर बी.बी.एंड सी.आई. रेलवे जाती थी, जो मध्य प्रदेश होते हुए बड़ौदा होते हुए पास होती थी। जोधपुर रेलवे मारवाड़ जंक्शन तक जाकर खत्म हो जाती थी। उधर ये पश्चिम रेलवे शुरू होती थी। (प्र. : बाद में फिर इन सबको एक किया गया)... हां।

फिर हमने antorickshows को organise किया, जो एक बहुत बड़ा ऑर्गनाइज्ड सेक्शन है। इस शहर में ऑटोरिक्शा '60वीं में आए थे, और उंपदसल ये लोग पहले तांगा चलाते थे। ऑटो चलानेवाले पहले तांगा चलाते थे। तांगा से ये ऑटो में आए। जब ऑटो में आए तो इसका विरोध तांगेवालों ने शुरू किया। उनके ऊपर असर पड़ता था। तांगे यहां काफी थे। उनके ऊपर असर पड़ता था। तो ये यूनियन बन गई थी '62 में, और इस यूनियन

को बनाना भी काफी मुश्किल काम था। अनऑर्गनाइज्ड हैं, और इसमें ज्यादातर तांगेवाले आए थे। फिर ये लाइन ऐसी है जिसमें कि ज्यादातर लोग शराब पीने वाले हैं, जुआ खेलनेवाले हैं, ये बल्कि, अब नहीं हैं। लेकिन ये यूनियन आज एटक की सबसे मजबूत है, सबसे मजबूत यूनियन है। करीब-करीब आज सात हजार ऑटोरिक्शाज हैं शहर में (प्र. सात हजार ?!) हां; उसमें सात हजार में करीब हर गाड़ी पे हमारी यूनियन का नाम लिखा हुआ है (प्र. : अच्छा ?! ऑटो पे ?), हर ऑटोरिक्शा के ऊपर जोधपुर ऑटोरिक्शा यूनियन लिखा हुआ है। (ओ हो!), करीब -करीब हरेक पे। कुछ गाड़ियां हैं जिसमें अभी एक तपअंस यूनियन पैदा हुई है, मामूली गाड़ी के ऊपर। मेरे ख्याल से उन गाड़ियों की संख्या पचास-एक से ज्यादा नहीं होगी। उसके ऊपर उस यूनियन का नाम लिखा हुआ है, बाकी सब पे हमारा नाम लिखा हुआ है, बल्कि कई गाड़ियों पे उनकी यूनियन का नाम काट के हमारी यूनियन का नाम लिखा है। (संनही) ये यूनियन जब से बनी है, लगभग तभी से मैं यूनियन का प्रेसिडेंट हूं। लगभग '62 या तबसे आज उसकी तादाद बहुत बढ़ी है। लोग पहले समझ ही नहीं पाते थे कि ऑटोरिक्शा वाले कैसे मीटिंग कर सकते हैं। मीटिंग कैसे चलाते होंगे क्योंकि पीनेवाले लोग, जुआ खेलने वाले लोग (....laugh....) और करीब-करीब पब्लिक को लूटनेवाले लोग। और पब्लिक का एक हिस्सा हमेशा खिलाफ में रहता है इनके क्योंकि मीटर, वैसे कानूनी प्रावधान ये है कि मीटरन से चलेंगे, लेकिन हम लोग मीटर से चलते नहीं। हम चाहते भी चलना लेकिन चल नहीं सकते क्योंकि ये शहर, क्योंकि जैसे दो सवारी का पास है एक ऑटोरिक्शा को। हम दो सवारी को बैठा सकते हैं। अब अगर तीन सवारी आ गई तो क्या हो गया ? तो शेयर का आदमी दो ऑटोरिक्शा करता है। तो वो हमको compel करता है कि आप दो के बजाए तीन को बैठाओ। आप तीन चाहते हैं तो then pay ने extra. तो प्रवृत्ति ये हो गई थी कि किराया तय करके बैठो। इसलिए वो मीटर से नहीं चलता। एक तो कारण यह बन गया। दूसरा कारण यह बन गया कि पेट्रोल की और डीजल की गाड़ियां हो गई हैं, पहले पेट्रोल की थीं। तो पेट्रोल की rates fraquently बदलती हैं। लेकिन इनकी मीटर की रेट बदलती नहीं है। आज पेट्रोल की रेट बदली; अभी भी जैसे जो रेट्स चल रही है, ये रेट्स चल रही हैं '96 की; तो '96 के बाद में तो डीजल और पेट्रोल कई बार बढ़ गया। तो हम चल ही नहीं सकते उसको। तो उस समस्या का हल करने के लिए जब भी यहां पर कोई नया पुलिस सुपरिंटेंडेंट आता है या नया रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर आता है तो सबसे पहले वो हमको छेड़ता है, और वो कहता है मीटर से चलो। पहला काम उनका ये होता है कि मीटर से चलो (laugh)। फिर कोई-न-कोई मेकैनिज्म निकलता है क्योंकि हमारी यूनियन, पहली बात तो strong यूनियन है और दूसरा हमारे कार्यकर्त्ता बेहद शरीफ और ईमानदार हैं, बेहद, और सूझ-बूझवाले। ज्यादातर सब कम्युनिस्ट पार्टी में हैं, के कैडर हैं, और एटक से सम्बन्धित लोग हैं, और उनकी छवि की वजह से ही जब कभी भी ऐसा मुद्दा आती है, वो पांच, सात, सात दिन के अंदर निबट जाता है और बल्कि हमने एक जमाने के अंदर हमारा confrontation हो गया था, प्रशासन का कहना था आप मीटर से चलो। हमारा कहना था कि मीटर के रेट से हम नहीं चल सकते। आप रेट नई निर्धारित कर दो, locally, हम उससे चलेंगे। जो पेट्रोल ओर डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, उसके

हिसाब से आप तय कर लें। लेकिन वो confrontation हमारा चला, उसमें हमारा एक नया experiment था, क्योंकि ये धंधा, इसमें 6 हजार गाड़ियां शामिल हैं, और गली-गली के अंदर हैं। इनकी स्ट्राइक कराना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हमारी स्ट्राइक frequently होती रहती है (प्र. : होती रहती है?) होती रहती है, यह of the road होती हैं सारा मामला, लेकिन जब लंबी स्ट्राइक होती है, मान लीजिए दस दिन की होती है, इसमें विचित्रता यह भी है कि कई ऑटोरिक्शाज जो मोहल्लों में खड़े रहते हैं, उनका अपने ग्राहकों से पर्सनल टच है, उनका अपने ग्राहकों से पर्सनल टच है औरतें आती हैं, आधी रात को भी किसी शादी-ब्याह में जाना है गहना पहने हुए तो वो कुछ तय नहीं करतीं, वो बैठ जाती हैं, कहां पहुंचा देना है, चले जाते हैं, इतना आपस में rapport बैठा हुआ है इसलिए जब स्ट्राइक होती है तो ऐसे जो पर्मानेंट ग्राहक हैं उनके लिए दिक्कत होती है। फिर हम लोग बच्चों को ले जाते हैं, स्कूली बच्चों को उनके लिए भी दिक्कत होती है कि बच्चे कहां जाएंगे?

तो जो आखिरी हमारी स्ट्राइक थी, वो स्ट्राइक एक novel ढंग की स्ट्राइक थी। वो स्ट्राइक सुबह छह बजे से ले के शाम को छह बजे तक हम लोग काम करते रहें, और छह बजे के बाद में off the road हो गए। लेकिन वो भी प्रभावशाली रहा; वो इसलिए प्रभावशाली रहा अभी छह बजे के बाद में भी तो ट्रैफिक रहता है, कम से कम रात 10-11 बजे तक ट्रैफिक रहता है, और बाहर से जो गाड़ियां आती हैं, ये रेलवे, रेलगाड़ियां जो आती हैं, छह बजे के बाद में, उन पैसिन्जर्स के लिए परेशानी होती है।

तो वो एक नया तरीका था कि जिसमें हम अपने-आप को sustain भी कर रहे हैं और हमारा कदम भी प्रभावशाली है। छह हजार गाड़ियों का शाम को छह बजे वापस बंद हो जाना (...एकाएक...) बहुत मुश्किल काम है, लेकिन ये काम भी चला... (...अच्छा? कब हुआ?...) ये मेरे ख्याल से हुआ था '92 में। फिर प्रशासन को भी समझ में आया कि ये सब बेकार है। तो हम लोगों ने नया तरीका निकाला कि आप कार्ड्स introduce कर दीजिए (...कार्ड्स...), कार्ड्स, वो नया मीटर हो गया हमारा। आप ये कार्ड्स introduce कर दीजिए जिन कार्ड्स में आप अपनी रेट लिख दीजिए : फर्स्ट किलोमीटर... तो मीटर का inter-changeable होता है न, उस प्रकार। तो यह कार्ड बन गया, हमारा मीटर हो गया। तो जो लोग कहते थे, मीटर से चलो, उनके लिए कार्ड हो गया। प्रशासन का अब ये कहना था कि हम इसको अधिकृत रूप से जारी नहीं कर सकते, क्योंकि this will amount to change of rates which the local प्रशासन तो कर नहीं सकता, अधिकृत ही नहीं है (प्र. : क्यों?)। मीटर के रेट्स राज्य सरकार तय करती है (प्र. : मीटर के रेट्स राज्य सरकार तय करती है?) राज्य सरकार तय करती है, लोकल हो तो हम सब करा लें; राज्य सरकार करती है इसलिए, कार्ड उनकी तरफ से छप रहा है (....ओ हो....) कार्ड हमारी जेब में है लेकिन उस पर सरकार की कोई छाप नहीं है, लेकिन उसको सब मानते रहे (....laugh....), वो भी चला नहीं (प्र : वो भी चला नहीं?....) वो चलता नहीं अब; ये तो mutually होता है, सवारी दो से ज्यादा होते ही, एक couple आया, उसके साथ दो बच्चे हैं, क्या होगा? फिर रात का टाइम, वो अलग। फिर जो भी नया आदमी आता है, एस.पी. वगैरहा, वो पहले हमको छेड़ता है, तो सब अफसर ये कहते

हैं कि आप लोग लूटते हो और हालांकि ये अफसर कभी बैठते नहीं हैं, लेकिन ये कहते हैं हमारे यहां हमारा रिश्तेदार आया, रेलवे स्टेशन से, हमारे बंगले में आपने इसको पहुंचाया, आपने 75 रू. चार्ज कर लिए, बहुत ज्यादा चार्ज कर लिए; हमने कई लोगों को डांटा। प्री-पेड सिस्टम कर लोः रेलवे स्टेशन से पचास जगहों की रेटें तय कर लो, बस स्टैंड से पचास जगहों की रेटें लिख दीजिए, आप भी संतुष्ट रहिए, हम भी संतुष्ट रहें। ये प्रपोजल उन्होंने माना। रेट्स उन्होंने तय कीं, प्रोपोज्ड रेट्स हमको बताया, हमने उनको साथ जाकर और, बता दिया, उसके हिसाब से रेट्स का रिविजन हो गया, हमारे से to our satisfaction रेट्स तय हो गए। साथ ले जाकर हमने बता दिया इतने किलोमीटर होते हैं, जहां पर डिस्पुट था, और कोई भी इस टाइम का ऐसा किराया नहीं है जो हमारी बिना रजामंदी के तय हो। justified किराया है या, बोर्ड लग गए, चार्ट लग गए, शुरू हो गया काम, दस दिन के बाद खत्म (प्र. : खत्म? क्या?) क्योंकि वो ये चाहते थे कि ये प्री-पेड सिस्टम का जो बूथ लगा हुआ था, वो बूथ उन्होंने बहुत पीछे लगाया था, (प्र. : स्टेशन से काफी दूर) जो रेलवे स्टेशन वहां पर है, जो फर्स्ट रैक है यहां पर, उस फर्स्ट रैक में तो सरकारी गाड़िया खड़ी रहती हैं, सेकेंड रैक जो बना हुआ है उसमें कारें खड़ी रहती हैं, थर्ड रैक के अंदर हम लोग खड़े रहते हैं, थर्ड रैक के अंदर हम लोग खड़े रहते हैं! तो उन्होंने हमको हटाकर एक दूसरी जगह पे लगा दिया तो हम सवारी ले ही नहीं सकते, पैसेंजर को दिखता ही नहीं कि हमारा स्टैंड कहां है। इसलिए वह चल नहीं सकता था, इसलिए हमने कह दिया कि यह हमको मंजूर नहीं; स्थान बदलोगे तो हम ऑपरेट करेंगे, नहीं तो हम ऑपरेट नहीं कर सकते। वो बंद हो गया। फिर हमने वापस, हमारी मांग थी कि अप प्री-पैड लगाओ। फिर आंदोलन हुए, प्री-पैड लगा, रेलवे स्टेशन के ऊपर, वो भी हफ्ते दस दिन के अंद बंद हो गए । वो इस आधार पर खत्म हो गया कि प्रशासन ये चाहता था कि प्री-पैड पे जो आदमी बैठनेवाले हैं वे यूनियन के आदमी बैठेंगे हमारे, हमारा ये कहना था कि ये हमारा काम नहीं। पुलिस का आदमी पर्ची काटेगा, वो हमाके पर्ची देगा, हम जाएंगे, हमारे यूनियन का काम ये नहीं है कि हम यहां पर क्लर्क बैठें और बाबू रखें, और ये झगड़ा हम नहीं लेंगे। उनका ये कहना था कि हमारे पा स्टाफ नहीं है, हमारा justified था ये कहना कि हमार कोई आदमी नहीं बैठेगा। हम आदमी उपलब्ध नहीं करा सकते। तो उनका ये कहना था कि आप तो इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि आपको अपने आदमी को पे करना पड़ेगा, तो आप हर पर्ची पर दो रूपए एक्स्ट्रा काट लीजिए। हमने ये कहा कि आप ऑथॉराइज कर दीजिए और उसमें "प्लस दो रूपये" लिखा दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हम गाहक को पर्ची चौदह रूपए की दे रहे हैं और सोलह रूपए ल रहे हैं; ये नहीं हो सकता। आप इसको लीगल फॉम दे दें, तो हम, हालांकि यह हमार काम नहीं है, फिर भी हम विचार करेंगे। वो आज तक हुआ नहीं।

एक अभी राजस्थान हाईकोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन चल रहा है (...?) की सुविधा के बारे में, उसमें भी ऑटोरिक्शा के बारे में कुछ मामलात हैं। यूनियन तो आप लोग को लूटते हो और आप प्री-पैड चालू नहीं करते। हमने कहा आप चालू करा दो। हमारा तो झगड़ा वहां यह है कि पर्ची कौन काटे, आप चालू करा दो।

we are prepared, as a matter of fact, यह तो हमारी मांग थी, कि भई प्री-पैड चलाओ। रेटें सही थीं, हमको मालूम मालूम था कि हमें कोई नुकसान नहीं, और आमतौर से पब्लिक भी संतुष्ट है; वो चलाओ। हमें अपने तौर से प्री-पैड चलाया, रोड़वेज स्टैंड के ऊपर। हमको समझ में आ गया कि हम नहीं चला सकते, क्योंकि जो बस से उतर के आदमी आता है, उसको हमारी ऑथरिटी क्या है? (...सही बात है...) तो पर्ची तो हम काट नहीं सकते हैं। तो हमने वहां पर नम्बर सिस्टम किया : जो पैसेंजर को गाड़ी चाहिए तो पहले नम्बर पे ये गाड़ी जाएगी, दूसरे में ये गाड़ी जाएगी। वो बैठता नहीं है। पैसेंजर ये कैसे मानेगा कि मैं कहता हूं कि आप इस गाड़ी में बैठिए, इसको पंद्रह रूपए दे देना, वो क्यूं मानेगा? वो मोलभाव करेगा। तो वो सिस्टम चला नहीं।

बहरहाल, यहां पर जब से यूनियन बनी है, तब से हर अधिकारी जो ना आता है, वो हमारी शक्ति को तोलता है, हमको छेड़ता है। उस सबके बावजूद ये यूनियन एक स्ट्रांग यूनियन बनी हुई है, और इतनी अच्छी यूनियन है, और इतना सब कुछ होते हुए भी पिछले लगभग 8-10 सालों से तो जो भी यहां पर पुलिस अधीक्षक है या आर. टी.ओ. है, उनका और हमारा रिश्ता (ठीक) है, और कोई ऐसा वाजिब हमारी मांग नहीं है जिसको कि उन्होंने ठुकराया हो। शुरूआत में उनके दिमाग में भी बात नहीं बैठी लेकिन हमारा persuasion, persuasive power system (....?) सारी समस्याएं हमने हल की हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूं, कानून में लिखा हुआ है कि तीन सवारी आप ले जा सकते हैं। पहले ये दो सवारी के हिसाब से या, अब ठीक है? मतलब कानून में ये था : including driver, three (प्र. : two passengers), पूरे राजस्थान में ये ऑटो रिक्शा का जो टैक्स होता है, वो तीन पैसेंजर्स का लिया जाता है (प्र : तीन पैसेंजर्स का किया जाता है?), जोधपुर में दो का लिया जाता है। जब ये मामला कई जगहों पर उठा कि जोधपुर में दो क्यों? इसको agreement करवाया, हमारी ताकत थी, चलता रहा, फिर यहां पर कांग्रेस के एम.एल.ए. थे लोकल, अमृतलाल गहलोत, उनको हमने समस्या बताई। उन्होंने कानून में तरमीम करवाया, और जो हमने, पूरे राजस्थान में तीन सवारी का टैक्स लिया जाता था, और हमारे यहां पर दो का था, उसको legalise करवाया, और हमसे एक पैसा भी वसूल नहीं किया गया। (प्र. तो अब तीन हो गया है?) अब तीन हो गया, तो अब क्या हो गया है कि अब हम तीन लोगों को ले जाते हैं, तीन सवारियां ले जाते हैं, तीन सवारी या छह बच्चे... (छह बच्चे), स्कूली बच्चे, तो प्रशासन का ये कहना है कि आप ऑटोरिक्शा के अंदर छह स्कूली बच्चे ले जा सकते हैं। छह स्कूली बच्चे अगर हम ले जाते हैं, तो हमारा मामला चलता नहीं है। क्यों? आप छह लोगों से क्या वसूल कर लोगे? और आप पैरेंट्स भी नहीं चाहते कि केवल छह बच्चे जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर भार ज्यादा पड़ेगा। अगर जिसको हम 'बंदी' बोलते हैं, कि हमारी बंदी है, कि भई आपको ले जाना है, हम उनको ले जाते हैं, और उनसे महीने के अंदर मान लीजिए, आदमी एक रूपया हम एक आदमी से लेते हैं, छह लड़के हैं, तो 600 रूपए हो गए, 600 रूपए में कौन जाएगा? 600 रूपए में हमेशा स्कूल ले जाना और स्कूल से वापस लाना, हो ही नहीं सकता। तो हमारा एक rought estimate है कि तीन हजार रूपए एक बंदी के होते हैं, तो ये काम चल सकता है। तो जो भी नया प्रशासन यहां पर आता है, वो restrict

करता है कि नहीं कानून से चलो : छह बच्चे! हम कहते हैं छह बच्चे नहीं होंगे, बीस बच्चे होंगे! (...laugh...). ..आप हंसते हो! (...laugh...) अब कोई आदमी सिवाय हंसने के कोई दूसरा काम नहीं करेगा, और कोई विश्वास नहीं करेगा और कोई अनुमति नहीं देगा बीस बच्चों की। तो फाइनली, एक बाद, पंद्रह बच्चों का तय हुआ। हमने एस. पी. को, सामने गाड़ी खड़ी की, बच्चों को बैठा के, पंद्रह बच्चों को बैठा के (laugh) दिखाया, आप बता दीजिए इसमें एक्सीडेंट कैसे हो सकता है? बच्चों को क्या असुविधा है? बस, हमने ऑटोरिक्शा में एक साइड में एक फाटक लगा दिया ताकि वो खुले नहीं। फिर जब बच्चे बैठ जाते हैं दूसरी साइड में भी फाटक लगा दिया, जाली लगा दी। जाली, फिर जब स्कूल टाइम खत्म हो जाए तो जाली हटा लेते हैं। सारे बैग्स जो होते हैं वो पीछे की साइड में आ जाते हैं और ड्राईवर के आगे पास में कोई बच्चा बैठता नहीं है, और पीछे पंद्रह बच्चे चलते हैं। तो भी जब भी कोई नया प्रशासन आते हैं तो पहला काम यही होता है कि ये नहीं चलेगा। एक -दो गाड़ियों को पकड़ लेते हैं, साइड कर लेते हैं, फिर हम मिलते हैं, करते हैं, हम उनको समझाते हैं, persuasion करते हैं, सब मामला जम जाता है। अभी बारह बच्चे हैं, ऑन द रिकार्ड, पंद्रह ले जाते हैं, कानून छह बच्चों का है, पर हम... इन्होंने आंख मींच ली इसलिए वो बारह का है, अब बारह की आत्मा पंद्रह में जाती है (...laugh...), और अब आप इस यूनियन का (प्र. : इसके अलावा भी आप जनरल पैसेंजर्स भी ले जाते हैं?) जनरल पैसेंजर भी, बाद में ले जाते हैं। बाद में वो ले जाते हैं, बाद में वो ले जाएंगे।

अब इस यूनियन का प्रभाव आप दूसरे ढंग से देखिए : सिटी बस (प्र. : इनका behaviour तो बहुत अच्छा है..) अब तो बहुत dignified behavior है, हमें (ऑटो यूनियन में-ए आर) कई पढ़े-लिखे लोग हैं, काफी पढ़े-लिखे लोग हैं, और क्योंकि अब इसमें पॉलिटिक्स वर्कर्स काफी तादाद में हो गए हैं, इसलिए इनका behavior अच्छा है।

और हमारा जो मेकैनिज्म है, वो मैकेनिज्म ये है कि हमारा संगठन बना हुआ है हर टैक्सी स्टैंड के हिसाब से। हमने शुरूआत के अंदर लड़-झगड़ के करीब ४० (अस्सी) स्टैंड निर्धारित करवाए, लेकिन ज्यों-त्यों ट्रैफिक बढ़ता है, ज्यों-ज्यों स्टैंड पर लोगों की नजर जाती है, कि ये व्यवधान पैदा हो गया, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते, नेचुरली टैक्सी स्टैंड तो वहां होगा जहां कि easily आदमी आने, नहीं तो क्या होगा। शहर का फैलाव हो गया।

तो अभी करीब ढाई सौ (250) टैक्सी स्टैंड हैं और हमारा जो मैकनिज्म है, युनियन का गठन, वो स्टैंडवाइस है। हर स्टैंड का, के ऊपर, एक हमारी शाखा है, और उसकी एक शाखा प्रभारी है; बड़ा स्टैंड है तो एक से ज्यादा, दो और तीन भी हैं, रेलवे स्टैंड है तो बहुत बड़ा स्टैंड है। उसके दो-तीन शाखा-प्रभारी हैं, रोडवेज का स्टैंड है, तो बड़ा स्टैंड है तो उसका एक अलग से। तो हर स्टैंड के हिसाब से हमारा यह मामला जमा हुआ है। और जो बड़े स्टैंड हैं उनके जो वाहन हैं उन वाहनों के ऊपर ऑटोरिक्शा यूनियन तो लिखा हुआ है ही, नीचे कहीं न कहीं उसका नम्बर लिखा हुआ है, और नम्बर उनके स्टैंड का है, और उनके स्टैंड का नाम शॉर्ट में लिखा हुआ है (प्र. : अच्छा, इससे पहचाना जाता है कि ये ...) इस स्टैंड का आदमी, वो अपनी पहचान बनाने के लिए कि ये गाड़ी

हमारे स्टैंड की है। तो हमार सारा मेकैनिज्म सब स्टैंड के हिसाब से है। (प्र. : बहुत ऑर्गनाइज्ड है....) .... काफी ऑर्गनाइज्ड हैं, तो मामला बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल मामला है, क्योंकि आदमी 'झूठा' है, और पब्लिक से भी, पब्लिक भी नाराज रहती है, ये कई पचास टंटे हैं लेकिन, और कम्पीटीशन है हमारा, जैसे स्कूली बच्चे हैं, स्कूली बच्चों में अब बसें लग गई, काफी ज्यादा, बच्चों को ले जाने के लिए, टेम्पोज लग गए, काफी ज्यादा। तो वो, उनका हमसे confrontation है। उनके भी जो संगठन बने हुए हैं वो संगठन अलग ढंग के हैं। उनके संगठन दरअसल के अंदर पुलिस पैसा इकट्ठा करते हैं, पुलिस को रिश्वत देते हैं (अच्छा....), उनका संगठन ये है। उनका काम क्या है? इनके जो भी यूनियनें, एसोसिएशन बने हुए हैं, टेम्पो के और सिटी बस के, उनका काम दो ढंग के काम होते हैं : एक तो वो अपने आदमी जगह-जगह तैनात करते हैं जिससे देखें कि येक सिटी बस टाइम पे निकल रही है, टाइम पे पहुंच रही है, ये उनका एसोसिएशन काम करता है, और दूसरा ये पुलिस वालों को एकमुश्त पैसा देते हैं ताकि चालान वगैरह न हो (प्र. ये जो बसें या ये सब चलती हैं....) ... ये सब इसी प्रकार से चलती हैं। ऑटोरिक्शा ही ऐसा है जो पुलिस को एक धेला नहीं देता (अच्छा?)... पुलिसवाले हमसे घबराते हैं हमारी रिसपेक्ट करते हैं, घबराहट तो दूर हो गई, शुरूआत में थी, हमारी तरफ पुलिस को कोई रिश्वत वगैरह ... (प्र.: बहुत बड़ी चीज है...) .. कुछ नहीं, चालान भी जो होते हैं अगर आप उन चालानों को देखो तो हमारा चालान तो कोई वन परसेंट क्या, nominal है, होता ही नहीं। पुलिस अभियान भी चलाती है तो अभियान में भी हमारा चालान नहीं होता क्योंकि जब अभियान शुरू होता है तो हम पहले जाकर (प्र. : खबर करते हैं..) मिलते हैं लोगों से, जैसे इनका जो ट्रैफिक का जो इस्पेक्टर है, ट्रैफिक का जो ड्यूटी सुपरिटेंडेंट है, उन सबसे हमारा liaison है, वो भी हमको बुलाते हैं, क्योंकि उनको भी व्यवस्था हमारे मार्फत ही करनी है, इसलिए हमारा उनसे liaison है, और जब भी इनका अभियान चलता है तो हम इनको कहते हैं कि भई मकसद क्या है आपके अभियान का? आपके अभियान का मकसद अगर केवल pollusion को चेक करना है तो आप चालान या वो करो केवल pollution का, बाकी मत देखो, बाकी देखने से क्या मतलब है आपका? आपका जो मकसद निर्धारित है कि भई हम देखना चाहते हैं कि गाड़ी की फिटनेस है कि नहीं तो आप उसको देखो। बाकी झंझट क्यों करते हो? (प्र : तो pollution के नाम पर वे दूसरी चीजें देखते हैं...) ...दूसरी चीजें क्यों देखते हो? गाड़ियों को बझा लेते हैं, फिर ये pollution का अभियान चलाते हैं, कभी अगर तुम्हारे pollution में कोई गाड़ी आ रही है तो यूनियन उसके बीच में नहीं आएगा, उसको ठीक करो, वो.... यूं करके हम उनको प्रोजेक्ट करते हैं, बजाए इसके कि हम उनको चालान में फंसाने, हमारा एक अभियान चलता है, के भई अब.... पहले तो इनका घोषित हो जाता है कि ये अभियान, कि फलां वीक हमारा अभियान का होगा, तो हमको मालूम हैं कि इनका अभियान चलेगा, और ये वाहनों को साइड करने की कोशिश करेंगे, उसके पहले हमारी तैयारी चलती है, उस अभियान के पहले, करीब मेरे ख्याल से पांच साल पहले सुधीर प्रताप सिंह जी पुलिस सुपरिंटेंडेंट थे, बहुत ही अच्छे ऑफिसर और ईमानदार ऑफिसर और इफेक्टिव ऑफिसर थे। वो हमारे काम से इतने जबर्दस्त प्रभावित थे कि हमारी यूनियन

के फंक्शन में आए; वैसे हम लोग आर.टी.ओ. को और सुपरिंटेंडेंट पलिस को हम सारे फंक्शन्स में अपने बुलाते हैं। हम इनको कहते हैं आप ओ, आप हमसे क्या अपेक्षा करते हो? समझे? डारेक्ट आप बात.... संवाद कीजिए आप। तो ये एक हमारी परंपरा बन गई है, confrontation भी होता है लेकिन इनको आना भी पड़ता है। सुधीर प्रताप जी का हम लोगों पर इतना विश्वास था कि उन्होंने कहा कि आप अपनी यूनियन के कार्ड्स इश्यू करो, आइडेंटिटी कार्ड। उन्हीं को आप इश्यू करो जिनकी गाड़ी के कागज कम्प्लीट हैं, रजिस्ट्रेशन, परमिट है, इंश्यारेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस है, आप उनको अपना मेम्बर बनाओ, मेम्बरशिप का कार्ड दो, और उस पर मेरी छाप लगाओ, मेरे दस्तखत करवाओ। तो उन्होंने ये काम भी किया (अच्छा?.....) हमारे पास में authentic मामला था, एस. पी. के दस्तखतशुदा कार्ड हमारे द्वारा जारी करवाए। तो हमारी इस यूनियन के काम का आप अंदाज ये लगाइए कि बी.जे.पी. की जब यहां सरकारी थी, ढाई तीन साल पहले की बात है, तो हमने हमारी यूनियन की 25वीं सालगिरह मनाई थी; उस 25वीं सालगिरह में, आप ताज्जुब करोगे, बी.जे.पी. का जो गवर्नमेंट का जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर था वो हमारा मुख्य गेस्ट था.... (अच्छा?...) चीफ गेस्ट था, 25वीं साल गिरह पर (laugh) और कामरेड धर एटक के, वो भी मौजूद था और यहां का जो इंडस्ट्री एसोसिएशन का जो था, वो भी यहां मौजूद था (....laugh....)। लोगों को समझ में नहीं आया कि ये लाल झंडों के बीच में ये एटक वालों का क्या है? (corection needed, discrepancy - AR) (laugh) अब जहां सरकारी अफसर डिप्टी चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी पर थे, यहां सिटी मैजिस्ट्रेट, उन्होंने कहा कि समझ में नहीं आ रहा कि आप कर क्या रहे हो, जोरदार कर दिया है! (laugh) हमने कहा कि सब समझ में आ जाएगा (laugh) उसमें हमने बहुत सिस्टेमैटिक ढंग से काम किया। हमने उस फंक्शन में दो हजार लोगों को, ऑटो-रिक्शा वालों को इकट्ठा किया और बाकी को सड़क पर चलाया ताकि ट्रैफिक, लोगों को परेशानी न हो। दो हजार गाड़ियां, जब हमारा यह सम्मेलन चल रहा था, दो हजार गाड़ियां खड़ी थीं, और बाकी रूट पर थीं, दो हजार लोग प्लस लोकल ट्रेड यूनियनिस्ट प्लस पॉलिटिकल वर्कर्स, इन सबको हमने खाना दिया, और पूरा इलाका लाल झंडों से हो गया। लेकिन बोलने वाले कौन थे? वो लोग! (laugh) अब जो बी.जे.पी. का एम.एल.ए. था यहां पर लोकल, वो मददगार था हमारा, जब ये पुलिस का संकट हमारे ऊपर आता था तो he was at our... he used to react on our (..... behalf?..) telephone, telephonic call, ये हमारा (laugh)था उसको टेलीफोन किया, जहां कलेक्टर ने कह दिया कि ये काम हो ही नहीं सकता, मैं कर ही नहीं सकता, illegal है, हम सरकार से करा के ले के आते थे। उसका हमारा एक घर का ही rapport था, उसको हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी मालूम थी। हमको उसकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी मालूम है, लेकिन हमको भी एक शील्ड चाहिए, और उनको भी काम चाहिए, दोनों बातें थीं। अब जो लोग ऑटो-रिक्शा वालों को गाली देते हैं, ये कहते हैं लुटेरे हैं, ये लूटते हैं, misbehave करते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो आरोप लगाते हैं, we are conscious, हालांकि ज्यादातर आरोप आज की तारीख में सही नहीं हैं। शुरूआत के अंदर ऐसा होता था, जो मैंने आपको जैसा कि बताया कि जो जुआ खेलने वाला है, वो पैसेंजर को लूटेगा, दो चार घंटे गाड़ी चलाएगा,

बाकी जुआ में हार के जाएगा, तो एक जमाने में ऐसा होता था। अब हमारे उस सम्मेलन के अंदर रजत जयंती सम्मेलन के अंदर सबसे पहले तो बोला बी.जे.पी. का एम.एल.ए. जो वो कहता है कि ऑटोरिक्शा वाले इतने सभ्रांत आदमी हैं कि आपको ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं (अच्छा!....) ऐसी तारीफें कीं उसने (....वाह....), और वो गलत तारीफ नहीं की। तो जो भी इंडस्ट्रीज ऐसोसिएशन के लोग थे वो सब भी यही कह रहे थे। यार, लोग ये कहते हैं कि ये खराब आदमी हैं, मैं तो कहता हूं कि ये सब अच्छे आदमी हैं। अब हमने इनको क्यों बुलाया? क्योंकि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो था वो फाइनेंस मिनिस्टर भी था, और हमारा एक मामला हम चला रहे थे उसको, जो दुनिया में कोई मानने को तैयार नहीं था : वन टाइम टैक्स, हमारा ये कहना था कि आप हमसे वन-टाइम टैक्स ले लीजिए (प्र. : रोड टैक्स..) रोड़ टैक्स। उस जमाने के अंदर करीब हम 300 रूपए टैक्स देते थे, उसका ये करीब 1200, 1300 रूपए टैक्स बढ़ा दिया था। पहली लड़ाई तो हमने वो लड़ी (प्र. : 100 रू. बढ़ा दिए थे?. ...), हां। पहली लड़ाई हमने वो लड़ी और लड़ के हम उसको बापस ले के आए, बकायदा बापस 300 पे। उसमें उसने जो बी.जे.पी. का एम.एल.ए. था, राजेन्द्र गहलोत, उसने हमारी मदद की, उसकी मदद के बिना ये काम नहीं हो सकता था। फिर हमने कहा साहब, ये वन-टाइम टैक्स लगा दो। हमने कहा ये कोई मांग-पत्र नहीं है। आप यहां मौजूद हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, हम आपको सुझाते हैं, आपको एक साथ पैसा मिलेगा, हमसे वसूल एक साथ करोगे, आपको एक साथ पैसा मिलेगा। सरकार को पैसा का टोटा है, आप देख लो, विचार कर लो, कुछ होता हो, तो आप करो, यह कोई मांगपत्र नहीं है, हमारा इससे कोई, आपको कोई बुलाने का संबंध इससे नहीं है। तो वो बेचारा पहले तो हमारी तारीफ की उसने, यार ये सब लोग आपकी तारीफ करते हैं, तो ये तो सर्टिफिकेट दिया उसने कि ऑटोरिक्शा वाले अच्छे हैं। फिर उसने कहा कि ये जो चीज आपने कही है, मैं उस पर विचार करूंगा, और सोचूंगा। एक बात तो हुई। एक नई बात थी। उसके बाद में अभी करीब साल-भर भी नहीं हुआ है, ये वन-टाइम टैक्स लागू हो गया (प्र. : अच्छा?)। ये पब्लिक वहिकल में केवल ऑटोरिक्शा पर ही लागू हुआ है। वन-टाइम टैक्स निजी वाहनों पर है, (प्र. : निजी वाहनों पर है...), आपका स्कूटर है, आपकी कार है, केवल उस पर है। वन-टाइम टैक्स पब्लिक कैरियर्स पे नहीं है, सिवाय ऑटो-रिक्शा के। हमारी मांग थी, हमने उस वक्त उठाई जब लोग कहते थे कि तुम क्या कर रहे हो? किसको बुला रहे हो? वहां से ले के, बहुत बड़ा achivement हो गया हमारा, फिर हमने उसका अभियान चलाया। 31 ता. तक सबको कर लेना है। इनके कैंप लगवाएं, ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से, और सब काम हो गया। तो बहुत बड़ा achivement है।

प्र. : कितना टैक्स देना पड़ा वन-टाइम?

उ. :1500 रूपए। 15000 कुछ नहीं होता साहब, एक गाड़ी कम से कम 15 साल चलती है (प्र. : 1200 annual लगाने वाले थे), 15 साल से। लेकिन ये क्या है साहब कि ये जो achivement है, (....under) ये जो हमारी टीम है उसकी कार्यदक्षता हैं आज कोई भी वाहन के कागज ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में होते हैं उसको पास कराने, गाड़ी को पास कराना है, फिटनेस कराने में, उसका परमिट कराने में, रजिस्ट्रेशन करवाना है, जो एजेंट्स

होते हैं, पांच सौ, सात सौ, आठ सौ रूपए लूटते हैं। ये चलता था। आज हमारे अच्छे से अच्छे जो साथी हैं, वो आपको दिन को दो बजे तक गाड़ी चलाते हैं, स्कूली बच्चों को ले जाते हैं, ढाई बजे ही आर.टी.ओ. दफ्तर पहुंच जाते हैं, छह बजे तक वो वहां पर तैनात हैं, गाड़ी बिना पैसे पास होती है, बिना व्यावधान के पास होती है, आर. टी.ओ. दफ्तर पहुंच जाते हैं, छह बजे तक वो वहां पर तैनात हैं, गाड़ी बिना पैसे पास होती है, बिना व्यावधान के पास होती है, आर.टी.ओ. डायरेक्टली हमको tackle करता है और हमारी गाड़ी में कोई व्यावधान नहीं है। सिर्फ जो सरकारी फीस है, उस सरकारी फीस के अंदर हाथों-हाथ काम होता है। तो हमारे पास में हैं ऐसी गाड़ियों के कागज, 25-50 गाड़ियों के कागज हम हमेशा पास करवाते हैं, ये बहुत बड़ा achivement है। बहुत मुश्किल काम है यह (प्र. : बहुत मुश्किल काम है example है) बहुत मुश्किल काम है और लोग तो हमको तोड़ने में लगे हुए हैं न, जो एजेंट्स हैं, वो हमसे दुखी हैं, उनका पैसा मारा जाता है। जो पैसा खानेवाला स्टाफ है वो हमसे दुखी है, वो उनको, पैसे की प्राप्ति नहीं होती है और काम हाथों-हाथ करना पड़ता हैं अभी ढाई बजे कागज दिया, शाम तक कागज हमारी टीम लेके आती है। तो सात बजे तक वो लोग वापस लौट आते हैं। ये एक achievement है।

इस यूनियन का जो आर्गेनाइजेशन है और उसकी जो ताकत है, उस ताकत के बूते के ऊपर हमने करीब दस-बारह जगहों के ऊपर जोधपुर के इर्द-गिर्द हमने यूनियनें बनवाईं, ऑटो-रिक्शा वालों की। हमने जैसे रामगढ़ी के अंदर, बारमेड़ के अंदर, नागौर के अंदर है, even बीकानेर में भी यूनियनें हैं। कई जगहों पे, और सब हमारे प्रयत्न से बनी हैं। आबू के अंदर है। अब हमने राज्य एटक में कहा है कि आप इसको एक ऑर्गनाइज्ड फर्म स्टेट लेवल पर देने का विचार करो, तो उसमें जोधपुर वाले अस्सिटेंट दे के, ये जिम्मेदारी हम लेंगे, और वो जिम्मेदारी व्यक्तिगत तौर से पिछली एटक की मीटिंग में मैंने ली है, कि हम इसको स्टेट-वाइड ऑर्गनाइज कर देंगे क्योंकि हमारा एक (unclear) बना हुआ है। (प्र : अभी तक स्टेट-लेवल पर...) अभी तक अभी तक स्टेट-लेवल पर कोई नहीं है, ऑटोरिक्शा की (प्र. : पहले भी नहीं थी?), पहले भी नहीं थी, ऑटोरिक्शा की यूनियन सबसे पहले राजस्थान में हमने ही बनाई, और हमारे प्रयत्नों से ही इर्द-गिर्द में बनी। जयपुर में हमारी ही, एटक की कोई यूनियन नहीं है (प्र. : नहीं है?), नहीं है। जयपुर में बी.एम.एस. की है या इंटक की है या सीटू की है। वो आपस में झगड़ते हैं, काम कुछ नहीं करते। एक उनका तबका हमारे से प्रभावित भी है और संपर्क में भी है लेकिन हमारा एटक का कोई मिले तो (प्र. : ये example तो वहां भी ले जाया जा सकता है...), सब जानते हैं । ये सारा जो, मतलब जो हम पे लागू होगा, वो वहां पे भी लागू होगा। वन-टाइम टैक्स हम पर लागू हो रहा है, वो सब जगह लागू हो रहा है (प्र. : सबको फायदा हुआ), अगर हमारा apparatus अच्छा होता तो पूरे राजस्थान के अंदर इसका प्रचार, इसका फायदा लेते। लेकिन अब जिला संगठन जिस दायरे में है उस दायरे में उसका है और इस संगठन को तोड़ने में सबकी ताकत लग रही हैं और ये एक ऐसा संगठन है जिसका प्रतिदिन झगड़ा है, प्रतिदिन काम है, एक दिन भी आराम नहीं है, और हम लोगों ने इसी यूनियन में मिल के ये जो थ्री-व्हीलर्स चलते

हैं, जो सामान ढोते हैं, लगेज ढोते हैं, इसको ऑटो-लोडिंग टैक्सी कहते हैं। इनकी अलग से यूनियन बना दी है, अलग से बन गई है उनकी यूनियन। करीब 7-8 महीने हो गए। (प्र. : कितने होंगे उसमें ?) : करीब 500 (पांच सौ) की मेंबरशिप है, और भी गाड़ियां आएंगी, और एटक से affiliated करा दिया है इनको, और इनका भी ढांचा stand-wise करा दिया है, और इनकी भी टैक्सीज के ऊपर यूनियन का नाम लिखाने का अभियान है, काफी के ऊपर लिखा हुआ है। ये directly ऑटोरिक्शा यूनियन के तहत हैं, unorganised हैं, अब ये ही लोग मिल के जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं, जो ट्रकों से माल लोड और अनलोड करती हैं, क्योंकि जब हमने लोडिंग का ये किया न, तो लोडिंग टैक्स इसका एक तबका, वो ट्रांसपोर्ट कंपनी से जुड़ जाता है, उनका माल ढो के आगे पहुंचा दे, तो उसका जो लोडिंग-अनलोडिंग करने वाला जो आदमी है, उसकी यूनियन अभी हमने बनाई है। रजिस्टर भी हो गई है, मीटिंग-वीटिंग भी हो गई, लेकिन वो यूनियन अभी उसका जमना थोड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमने जंहा यूनियन बनाई थी, वो बीच में हाईकोर्ट ने अभी एक ऑर्डर पास कर दिया, इस नवम्बर में, और नवम्बर में ये आर्डर करके पे कर दिया कि शहर के अंदर कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं रहेगी (प्र : अच्छा, कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी ही नहीं रहेगी ?), शहर के अंदर। जो शहर का ज्यादा populated इलाका है, उसको यहां से निकाल देंगे; जैसे ये अभी आप मेन बाजार में बैठे हुए हैं, यहां ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं चल सकती। उसका एक ट्रांसपोर्ट नगर अलग से बना दिया गया है, तो यहां से करीब दस किलोमीटर के बाद में एक ट्रांसपोर्ट नगर बन गया हैं तो जिन लोगों को हमने ऑर्गनाइज करने की कोशिश की थी, वो तो बिखर गए सब चारों तरफ। उनका कोई मालिक इधर चला गया, कोई उधर; तीन नगर हैं ट्रांसपोर्ट नगर। दूकान.... वो ऑफिस बना ही नहीं है। तो इस वजह से वो अभी काम थोड़ा अधूरा रह गया है। वो ट्रांसपोर्ट कंपनी सब वहां पर establish हो जाएगी तो वो यूनियन वापस... (प्र. : माल-वाहन वहां लोड होगा या अनलोड होगा, फिर वहां से यहां लाया जाएगा, ले जाया जाएगा. ...), ये है, ये हाईकोर्ट के आर्डर हैं (प्र. : ये केवल राजस्थान में ही लागू हैं ?....), नहीं, नहीं, (प्र. सिर्फ जोधपुर में ?), ये कोई public litigation चला, ट्रैफिक की अव्यवस्था में, उसमें एक मामला ये भी आ गया और उस मामले में सारी ट्रांसपोर्ट कंपनियों को जोधपुर शहर के अंदर कोई ट्रक आ ही नहीं सकता। देयर इज नो ट्रक; पहले ट्रकें चलती रहती थीं, ये नवम्बर से ट्रकों का आना-जाना बंद हो गया। इनके लिए अलग रूट कर दिया गया है, बाहर के बाहर शहर से। वो आती हैं तो अब ट्रकें आती नहीं। जो हमारी ट्रांसपोर्ट की वर्कर्स की यूनियन बनाई थी, वो यूनियन अभी कागज में रह गई है, ज्योंहि ट्रांसपोर्ट नगर बस जाएंगे सही, तो वापस हमारा प्रयत्न शुरू हो जाएगा। तो ये ऑटोरिक्शा यूनियन के डारेक्ट... बयान हैं... (प्र. बहुत interesting है....); फिर हमने अनऑर्गनाइज्ड लेबर में आप कंस्ट्रक्शन लेबर को देखिए। (प्र. अच्छा एक चीज बताइए, ऑटोरिक्शा यूनियन, ऑटो रिक्शा आने से पहले, इनकी यूनियन बनने से पहले जो तांगे थे उनकी भी कोई यूनियन थी ?.....), उनकी एक यूनियन थी, वो एटक की नहीं थी। उनकी यूनियन थी, और उस यूनियन ने confrontation का रास्ता लिया, हम लोगों से (प्र. : उस यूनियन ने ?), उस यूनियन ने लिया। उनकी समझ ये थी कि अगर ये ऑटोरिक्शा आ

जाएंगे तो तांगेवाले कहां जाएंगे? उनके ऊपर असर पड़ता नहीं है। आपका व्यवहार सही है... तो (प्र. : हां, वो तो, हं जिसको 'जेलोपी' यहां बोलते हैं, वो भी चल रही हैं न?), हां वो चल रही हैं न; उनको हम टेम्पो बोलते हैं। वो भी चल रही हैं। अभी इसी हफ्ते में अभी एक चल रही कार्रवाई, ये जो सिटी बसें हैं, इनकी एक यूनियन हमारे संपर्क में आई है, अभी रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई चल रही है उसकी,कागज पेश कर दिए हैं। तो ये...

(प्र. : इस बार देख रहे हैं कि उन पर, बसों पर लिखा होता है रूट नं., नगरीय सेवा वगैरह), हां, ये हाइकोर्ट के pending आदेश हैं, हाइकोर्ट में है और वो उसको मॉनिटर करते हैं। स्टेज-टू-स्टेज उसके आर्डर्स देते हैं, उसकी इम्पलीटेशन की रिपोर्ट देखते हैं, फिर आगे...। तो अब इनके नए रूट निर्धारित हो गए हैं। अब इस शहर के अंदर केवल ढाई सौ सिटी बसेज चल रही हैं, ढाई सौ, और कुछ इलाकों के अंदर टेम्पोज का आना-जाना बंद है। आप जहां बैठे हैं वहां कोई टेम्पो नहीं हैं (प्र. : अच्छा यहां कोई टेम्पो नहीं है...), नहीं है। तो ये जो सिटी बसें हैं, अब क्योंकि इनको हाईकोर्ट के आदेश से इनके रूट बदल गए हैं, तो रूट वाइस वापस इनकी यूनियनें बनेगी, तो हमने इसका फायदा उठाया, हमारे संपर्क में थे, ऑटोरिक्शा वालों के इनकी एक यूनियन हमने एक particular रूट की, रूट नं. 1 की हमने रजिस्ट्रेशन की बात चल रही है उसकी, काफी.. (unclear), करीब सवा सौ लोग उसमें हैं, सवा सौ बसें हैं। (प्र. रूट न. 1 में सवा सौ बसें हैं?...) काफी लंबा रूट है, (प्र. पाल रोड़ से लेकर यहां तक आगे मंडोर), मंडोर काफी बड़ा है... (प्र. : सवा सौ बसे हैं? मतलब सफेद रंग को...) वो ही, वो ही बसे, नगरीय सेवा लिखा हुआ है। वो रूट नं. 1 है, उसके अंदर छह नम्बर, मई और branches हैं। ठीक है, अब देखें क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं।

फिर हमने..... (प्र. : शुरू में आपने एक बार मेंशन किया कि आप रेलवे इसमें आए और अनऑर्गनाइज्ड था उस समय, जब आप आए, और ऑर्गनाइस करना शुरू किया, इसका क्या मतलब?) : मतलब उस वक्त तक नॉर्थन रेलवे बन चुकी थी और यूनियनों का गठन नॉर्थन रेलवे के आधार पर पूरा होने वाला था, और जो भी यूनियनें उस वक्त तक exist करती थीं, वो जोधपुर रेलवे के हिसाब से locally exist करती थीं और यहां जो यूनियनें नॉर्थन रेलवे के आधार पर बननेवाली वो शाखाएं बनतीं पूरे जोन की जो यूनियनें बनने गई थीं उसकी शाखाएं बनतीं। तो हम उस प्रोसेस में थे (प्र. : रिऑर्गनाइज करने....) रिऑर्गनाइज करने के प्रोसेस में थे, और उस वक्त हम जिस यूनियन में घुले हुए थे वो इंटक की यूनियन थी, और बाद में, इनके जो लीडर थे उनको कामरेड रामचंद्र नेशनल कहते थे (प्र : कामरेड रामचंद्र नेशनल? अच्छा?).... (laugh) (नेशनल?) नेशनल (laugh), ये पंजाब के थे ये, और नॉर्थर्न जोन के लीडर थे वो। तो नाम था उनका कॉ. रामचंद्र नेशनल (interesting है)

(प्रः अच्छा, ये जब आप आए, यानि आप रेलवे और ट्रेड यूनियन में, यानि पार्टी ने आदेश दिया या आप अपने interest से आए, या ऐसे ही (chance of circumstance.....?), नहीं chance नहीं था, मतलब consciously आया। कम्युनिस्ट मूवमेंट में मैं घुसा तो consciously घुसा। मेरे एक बड़े ब्रदर हैं (प्रः मतलब

convince हो कर के) मतलब convince होकर के, उस वक्त तो, मैं फर्स्ट ईयर में था और जितनी मेरी समझ थी, उस वक्त कोई पार्टी के अखबार तो मुहैय्या होते नहीं थे। अखबारों में कम्युनिस्ट मूवमेंट के बारे में कोई खास चीजें आतीं नहीं थीं, लेकिन जैसे मेरे बड़े brother हैं? जो अभी रिटायर हुए हैं economics के प्रोफेसर थे, मेरे से पौने दो साल का फरक है। तो जब मैं गांव में पढ़ रहा था वो शहर में, जोधपुर सिटी में थे, वो already कम्युनिस्ट मूवमेंट की तरफ आ चुके थे। (प्रः आप एक बार बता रहे थे कि उन्होंने आपसे कहा था, कहां रहते हैं वो अभी? बॉम्बे या कहां रहते हैं?), नहीं, वो तो मेरे मामा थे, वो तो मेरे मामा हैं, अभी दिल्ली रहते हैं, और मेरे elder brother हैं वो economics के प्रोफेसर हैं, जो रिटायर हो गए हैं, अभी जोधपुर में ही हैं। तो वो already कम्युनिस्ट मूवमेंट की तरफ झुके हुए थे, तो मेरी entry हुई तो उनका भी उसमें योगदान था, बल्कि जब मैं कम्युनिस्ट पार्टी में आया और करीब-करीब उस वक्त में एक full-time, whole timer की तरह से ही हो गया था, पढ़ते हुए थी, तो उन्होंने मुझे assure किया था कि तुम full time कम्युनिस्ट पार्टी का काम करो, I will sustain. (प्र. अच्छा?) जब वो केवल tuitions कर रहे थे, उसके बाद में lecturer हुए, और वो केवल tuitions कर रहे थे। उन दिनों में उन्होंने ये कहा था कि भई, कामरेड एच.के.व्यास वगैर को, अगर ये काम करे तो इसकी responsibility कम्युनिस्ट पार्टी की नहीं है, I will sustain him. मैं तो कम्युनिस्ट पार्टी में जब काम कर रहा था तो घनघोर कम्युनिस्ट था उन दिनों में तो बाद मे मुझे तो law किया, तो law तो केवल इसलिए किया था कि भई दो साल कॉलेज में ज्यादा रहता है। फिर मुझे धकेल दिया इसमें, इस प्रोफेशन में आ गए, प्रोफेशन में मैं कभी serious नहीं रहा। इस प्रोफेशन में मेरी seriousness शुरू हुई '85 से (प्रः '85 से ?!), '85 से जबकि मैं इस प्रोफेशन में आ गया था '59 में, मैंने यहां उस वक्त पार्टी में थे कॉ. मरूफर मदुल, जो राजस्थान के top most lawyer हैं आज। तो वो कम्युनिस्ट पार्टी में थे। तो मेरे father ने मुझे उनका दफ्तर join करवाया, लेकिन मैं उनके discipline में कभी नहीं रहा क्योंकि वो by that time I became member of the city Committee, so I became his leader (laugh)(तो discipline दूसरा हो गया!), discipline दूसरा हो गया, वो मुझे (unclear) करते थे कि ये मेरा लीडर है, तो इसलिए मेरा attachment कभी इस प्रोफेशन से हुआ नहीं। फिर मैं म्युनिसीपैलिटी का मेम्बर हो गया तो दिन भर उसी में लगा रहता था, फिर UIT का मेम्बर हो गया, फिर दिन भर उसी में लगा रहता था (प्रः UIT का?), तो, Urban Improvement Trust; I was elected the member of the municipal council, और वहां से I was elected member of Urban Improvement Trust, तीन-चार साल उसमें निकाल लिए। (प्रः रेलवे यूनियन आपकी फर्स्ट यूनियन थी, first activity या) फर्स्ट यूनियन थी मेरी, और उसके बाद में कुछ organised sector में हमने। यहां पर एक हड्डी मिल थी (प्रः क्या? हड्डी मिल?) हड्डी मिल (प्रः मतलब?) हीरा कृषि मिल, हड्डियों का कृषि मिल, वो यहां ये राबराजा कहते हैं तो राबराजा की थी, 'राबराजा' का मतलब ये है कि he is son of Mahara but his mother is, was concubine, वो legally married नहीं थे, तो legally married से जो उत्पन्न होता है वो तो महाराजा, राजकुमार और वो

हो गए, otherwise 'राबराजा' होते हैं, तो वो राबराजा की फैक्ट्री थी।

प्र. : उसमें क्या होता था आपने बताया?

उ. उसमें ये जो जानवर, मरे हुए जानवरों की जो हड्डियां होती हैं, उसका पाउडर बनता है। (प्र. उसका पाउडर बनता था? उसका इस्तेमाल?); उसका हस्तेमाल कई चीजों में होता था) यहां से सिर्फ पाउडर बनता था और ये export होता था।

तो उस यूनियन को बनाया, वो चली भी, उसमें सिर भी फूटे। उसमें employer side से गुंडों का attack हुआ था, systematic attack हुआ था, वो नहीं चाहते थे कि ये बने, वो यूनियन किया, फिर वो फैक्ट्री खत्म हो गई। (प्र. कितने वर्कर थे?) उसमें करीब सौ वर्कर्स थे। (प्र. किस साल की बात है?) ये बात होगी, साहब, 1957-58 की। (प्र. यूनियन का नाम?) वीरा क्रशिंग मजदूर यूनियन (प्र. वीरा क्रशिंग?) उसका नाम वीरा क्रशिंग था, मिल का नाम, वो मिल फेल हो गई। (प्र. वीरा कृष्ण?) 'वीरा क्रशिंग', crush (प्र. वीरा क्रशिंग, अच्छा)। फिर जोधपुर वूलन मिल एक थी। उस वूलन मिल में एटक की यूनियन बनी, strong यूनियन थी। काफी लम्बे टाइम तक वो यूनियन चली। वो मिल फेल हो गई। close हो गई वो भी। फिर एक Arcobax है मेटल का, काफी बड़ा जोधपुर के लिहाज से काफी बड़ा प्लांट है। तो उसमें यूनियन बनी। वो यूनियन चली, फिर वो यूनियन हमारे हाथ से निकल गई। अभी इंटक के हाथ में है। हमारी वहां कोई यूनियन नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में फिर हमने ये जो बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, इसकी यूनियन बनी, जो यहां पर पत्थर मजदूर यूनियन के नाम से है। (प्र. हां, पत्थर मजदूरों के बारे में पूछना था, पत्थर मजदूरो का काफी ज्यादा mention राजस्थान, जोधपुर के बारे में) हां। (प्र. आज भी associatied उसके साथ रहे हैं)।

हां, ये एक well-organised यूनियन है, जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इसमें मजदूर आता हे, करीगर आता है, पत्थर तराशने वाला आता है, प्लास्टर करने वाला आता है, फिनिशिंग का काम करने वाला आता है। ये तो directly जुड़े हुए हैं। फिर इसके साथ में कारपेंटर जुड़ जाता है, लोहार जुड़ जाता है। इस प्रकार से इसमें मेरे हिसाब से जोधपुर के अंदर कम से कम इस पे, इस धंधें के अंदर एक लाख लोग हैं (प्र. एक लाख लोग हैं। (प्र. एक लाख?) बहुत बड़ा उद्योग हैं क्योंकि जोधपुर में जो सारा construction work है वो construction work पत्थर का है, अभी काम्पलेक्स शुरू हुए हैं, बाकी originally सब पथर के हैं तो पत्थर लिफ्ट हो के आता है, फिर उसको तराशते हैं, सही करते हैं, फिर उसके ऊपर काम होता है। तो ये यूनियन भी काफी मजबूत यूनियन है, और इस यूनियन की भी, पत्थर मजदूर यूनियन के ना से तो काफी बाद में रजिस्टर हुई, उसके पहले से भी इसकी यूनियन थी, और आजादी के पहले से यूनियन बनी, अमर सिंह जी आपको बताएंगें, वो लम्बे टाइम तक इसके सेक्रेटी रहे हैं। तो इस यूनियन का भी हमारा जो है, देखिए वो जो लेबर होता है वो लेबर morning के अंदर पंहुच जाता है चौराहे के ऊपर। वहां से लोग आते हैं, ले जाने वाले। तो हमारा जो संगठन है वो चौराहे के हिसाब से बना हुआ है। सुबह morning के अंदर। (प्र. शुरू से ही ऐसा है?) सुबह

morning के अंदर चौराहे पर हजार-दो हजार, पांच सौ-सात सौ आदमी, जैसा locality है उसके हिसाब से लोग मिलते हैं, यानि ये जो मजदूर engaged होता है वो कुछ तो ठेकेदारों के मार्फत होता है तो ठेकेदारों को जरूरत होती है वो ले जाते हैं, और कुछ डाइरेक्टली मकान-मालिक ले जाते है, छोटे-मोटे काम करने के लिये । तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा इसमें। इसमें पूरा महीना नहीं भरता है। Regular उसको काम नहीं मिलता है। मैं यहां आया, यहां काम finish हो गया तो मैं जा के मंडी में बैठा हुआ हूं, कोई और मुझे ले जाएगा engage करेगा तो उसमें बेरोजगारी काफी ज्यादा है। यूनियन का जो गठन हुआ था वो गठन mainly हुआ था काम के घंटे के आधार पर, काम के घंटे तय होने चाहिए, आठ घंटे काम होने चाहिए, इसको तय करने.....ये बुनियाद पड़ी थी। कोई कानून नहीं। ये हो गया Pre-independance period में (प्र. आठ घंटे के काम का.....) कोई कानून नहीं था। लोग सुबह जाते थे, शाम तक काम चलता रहता था। कोई बुराई बगैरा, rates बगैरा इनकी तय नहीं थी। तो mainly ये चला कि आठ घंटे काम का। आज की तारीख में भी कोई कानून नहीं है। इसके लिए, जो मजबूर करता होगा आठ घंटे काम के लिए। कोई कानून नहीं है। (प्र. कोई कानून नहीं है आठ घंटे का ?) आठ घंटे को कानून तो फैक्ट्री एक्ट में है। तो फैक्ट्री तो है नहीं ये। तो कोई कानून नहीं है। लेकिन ये यूनियन की ताकत से आठ घंटा निश्चित है, बल्कि मैं यह कहता हूं कि ये misuse है, छः घंटे से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। टाइम इनका नौ बजे का है, नौ से पांच। एक घंटा बीच में रेस्ट दस बजे के पहले का शुरू होता नहीं। पांच बजे के पहले हाथ धोना-करना, करते हैं। तो काम के घंटे निश्चित हो गए और दरें भी जो हैं, इनकी रेट्स वो रेट्स भी minimum wages से बहुत high हैं। (प्र. बहुत high हैं ?) बहुत high हैं। (प्र. बहुत high हैं, अच्छा ?) बहुत high हैं। Minimum wages इस टाइम में अभी 60 रू. हैं, (प्र. Per day ?) per day unskilled का। यहां पे अभी भी अकाल की स्थिति में भी जबकि गांवों का आदमी काफी मिलता है, 80 रूपये से कम कोई रेट नहीं। (प्र. : 80 रूपया ?) 80-100, 80-100 के बीच में मजदूर मिलता है। और skilled कारीगर जो है वो अभी 150, 200, 250/-, ये अभी रेट्स इसकी प्रचलित है। लेकिन इसमें जो भी मुख्य समस्या है, वो एक तो बेरोजगारी थी, कि पूरे वक्त काम नहीं मिलता है; दूसरा पैसा खा जाते हैं। मैंने चार दिन काम किया, चार दिन के पैसे नहीं मिले। जरूरी नहीं है कि मैं जहां काम कर रहा हूं वहां हाथों-हाथ पैसे दे देंगे। कई जगह पे लगातार काम पे हम लगे हुए हैं, ठेकेदारों की मार्फत, कुछ पैसे दे दिए, बाद में देता रहेगा, देता नहीं है। कुछ मकान मालिक होते हैं, वो क्या करते हैं कि विश्वास जीतने के लिए पहले तो सही पेमेंट करते रहते हैं, और ज्यों-ज्यों वो finishing की ओर बढ़ता है। त्यों-त्यों हाथ खींच लेते हैं। अब इस मैकेनिक के अंदर ठेकेदार भी आता है बीच में, petty contractor भी आता है। वो आगे से आगे contract चलते रहते हैं। कोई job -secutity नहीं है। और एक तो ये payment का झगड़ा रहता ही है। दूसरा झगड़ा यह रहता है कि इसमें accident होते हैं ज्यादा। और उस accident के लिए कोई, कानूनी तो ठीक है workmen's compensation Act लागू होता है इनके ऊपर, but that takes much time. (प्र. : But it depends on organisation also)

Organisation also; जैसे अभी-अभी मेरे ख्याल से नवम्बर के महीने में एक काम्पलेक्स बन रहा था। बनते-बनते लोग गिर गए थे और दब गए। मरा कोई नहीं। जख्मी हो गए। हम लोगों ने react किया। तो district administration picture में आ गया और कुछ हुआ न हुआ, Additional District Magistrate मौके पे आया, हमारे साथ चला। जो injured लोग थे हॉस्पिटल के अंदर, उनको भर्ती कराया, जो injured ये जिनको भर्ती नहीं किया था, वो, उन सबको हमने हॉस्पिटल में भर्ती कर रखा था। हाथों-हाथ वहीं, within three hours सारा payment, cash payment हो गया उनको, compensation, दो-दो हजार, तीन-तीन हजार, जैसा भी जैसी चवेपजपवद बनती थी, वो हाथों हाथ मिल गया। सब यूनियन के दस्तखतों से और उनके दस्तखतों से काम, वो चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से वो काम चला। लेकिन compensation जो इनको मिलना चाहिए वो काफी लम्बी प्रक्रिया है। क्योंकि आपको कई चीजें साबित करनी पड़ती हैं, जो साबित करना बहुत मुश्किल है क्योंकि कोई रेकार्ड तो हैं नहीं, कह देंगे कि he was not engaged, हमने रखा ही नहीं। दो-चार criminal case भी हमने किए जिसमें सजा दिलवाई है, ठेकेदारों को, इस ग्राउंड के ऊपर उसकी criminal liability बनी, तीन आदमी मर गए थे, इस ग्राउंड के ऊपर उसकी liability बनाई थी कि ये जब कंस्ट्रक्शन हो रहा था वो poor quality का था। जितना material उसमें mix करना था वो mix नहीं किया, और जिस स्टाइल से बनाना था, जैसे balcony बना रहे हो तो balcony जब आप बनाओगे तो उस balcony का जो धज्जा आप बाहर निकाल रहे हो वो पीछे से दबना चाहिए पूरा, पूरा weight आप दोगे, अब weight नहीं दिया। इसमें conviction भी हुआ है। लेकिन उनके compensation के केस अभी चल रहे हैं।

(प्र. : तो ये तो शहरों में काम करने वाले जो पत्थर मजदूर हैं वो लोग हैं, वो खदान या.....) नहीं, ये यूनियन उससे related नहीं है, क्योंकि वो लोग खदानों में काम करते हैं और वो Mines Act से govern होते हैं। Mines Act से govern होते हैं और उसकी authority central govt. है। (प्र. उसकी authority central govt. है?) सेन्ट्रल गवर्नमेंट; माइन्स की ऑथारिटी सेंट्रल गवर्नमेंट है और कन्सट्रक्शन की ऑथरिटी स्टेट गवर्नमेंट है। (प्र. जोधपुर में, राजस्थान में दूसरे कई जगहों पर soapstone workers के organisation रहे हैं पहले)

ऐसा है, अभी भी माइन्स का ऑर्गनाइजेशन, वो एटक का नहीं है। वो एटक का नहीं है लेकिन वो कुछ NGOs ने बना रखा है। (प्र. NGO ने बना रखा है?) हां, for their own interest (प्र. किसी जमाने में एटक ने बना.....) हमने वहां बनाए थे। ऐसा है, ये बड़ा काम्पलेक्स मामला है। हमारे पास कैडर नहीं है, मुख्य समस्या ये है। तो ये खदाने जो हैं वो यहां बैठ के, और वो यूनियन organise नहीं हो सकती। एक बात यह है, और दूसरा जो mine owners हैं, mine opertors हैं, बहुत प्रभावशाली, राजनैतिक तौर से बहुत प्रभावशाली लोग हैं। कई राजनीतिज्ञ, और वो सब बंधुआ मजदूर टाइप सब वहां लोग हैं। करीब-करीब बंधुआ मजदूर हैं वो लोग। इसलिए वो टकराव उनसे और के टकराव टकराव जबर्दस्त है, वो यहां बैठ के नहीं हो सकता। (प्र. आप तो उस वक्त stone) हमारा, organise हमने की, अभी भी next महीने 24 मार्च को इनका एक वर्कशॉप है,

organise तो NGO कर रहे हैं। हम लोगों को associate ये करते हैं। कल ही इन्होंने ये प्रोग्राम तय किया है।

(प्र. आप अपने कुछ पुराने अनुभव बताइए जो आपने शुरू में किए होंगे ?)

उ. शुरू में किए हमने, हम फेल होते गए उसमें, मुख्य कारण इसमें ये है कि आपको बताया ये बहुत प्रभावशाली लोग हैं इसके अंदर। एक आदमी को लिफ्ट करके लाए, उसको पैसा नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो वो वापस physically पकड़ के उसको खान में ले गए, physically, वो बाहर नहीं निकलने देते। उसका mechanism है कि ये लोग उसको, जब उसको काम पे रखते हैं तो उसको बोलते हैं एडवांस, पेशगी दिया, उसे वित example दो हजार रूपये दिए उसे advance towards his wages. वो हमेशा एडवांस ही रहते हैं। इसलिए अगर कोई आदमी छोड़ के जाता हैतो उसे पकड़ कर लाता है कि मेरा एडवांस दिया हुआ है। तू जा कहां रहा है, उसे physically lift करके ले आते हैं। इसका हमने कानूनी उपचार भी ढूंढा है, इसके एक-दो मुकदमें भी चले हैं। कोई खास कामयबी मिली नहीं है, और इन मुकदमें का काम नहीं है। ये काम तो उनको ऑर्गनाइज़ करने का था। अभी 5-6 महीने पहले NGO वाले मुझे ले गए थे, यूनियन बनाने के लिए, कहा तुम इनकी एक यूनियन बनवा दो। हम लोग गए भी थे। हमने कहा, आप लोग तैयार हो हम तैयार हैं। कल भी NGO आए थे। कल ही आए थे कि हम ready हैं साहब। आप ready हैं तो हम ready हैं। सर फुटाने की पोजीशन बनेगी तो ये काम होगा, उसके बिना ये काम होगा नहीं, क्योकि बहुत प्रभावशाली लोग हैं। सारा, आप समझ लीजिए, कई MLAs, कई मिनिस्टरों की खदाने हैं वहां पर different नामों से, और करीब-करीब एक particular community का उस पे कब्जा है। यहां का ठेकेदार जैसा भी हो, चीफ मिनिस्टर जिस community का है, उस community का, गेहलोत, माली होते हैं। (प्र. माली ? मतलब बगान वाले माली ?) हां, (प्र. अच्छा ?) तो ये काम थोड़ा मुश्किल काम है, और इनके ऊपर सेन्टर का कानून लागू है, सेन्टर का लेबर इन्सपेक्टर आएगा, और इसमें उपदमे का एक मै बताता हूं। राजस्थान में एक रूल बना हुआ है Rajasthan Silocasis Rule, सिलोकेसिस एक बीमारी होती है। जो पत्थर के माइन्स में काम करता है (unclear) उसको लग ही जाएगी, उसको लगेगी ही, जो पत्थर निकालने से, तराशने से जो होता है, जो सांस लेता है उससे ये होती है। अब उसमें आप देखिए कि ये रूलस मेरे ख्याल से '59 के बने हुए हैं। अब उस रूल में एक लिख दिया है कि उसका सर्टिफिकेट एक ऑथोराइज़्ड मेडिकल डॉक्टर करेगा। ठीक है ? वो authorised मेडिकल डॉक्टर आज तक notify नहीं हुआ है, Till today since 1959! कुछ भी हो रहा है! कोई रिलीफ नहीं। उसमें लिखा हुआ है नियम के अंदर, एक नोटीफिकेशन करना है कि authorised मेडिकल डॉक्टर ये होगा। उसका Notification नहीं होता है, उसके पीछे कोई प्रभावशाली लोग हैं। (प्र. : ये सवाल तो इंडस्ट्रियल कमेटी में भी, industrial committee on mining या क्या है, on non-coal mining में उठा होगा कभी..... ?) यहां तो हम लोगों का organisation है नहीं, हम तो उसमें मेम्बर हैं नहीं। लेकिन ये NGOs की मार्फत इनका वर्कशॉप और इनके सेमिनार होते हैं। इनके मार्फत उठवाया है, हम भी सेमिनार में मौजूद थे, लेकिन NGOs का अपना एक, वो कहते हमारा काम तो अवेयरनेस

फैलाना है। अवेयरनेस तो हम करते हैं और ऑर्गनाइज़ हम नहीं करते। (प्र. अवेयरनेस हो जाने के बाद आप आइये) आप आइये ये है। (...laugh....)

(प्र. सोप-स्टोन होता क्या है? किसको बोलते हैं सोप-स्टोन?)

उ. ये क्या होता है साहब कि माइन्स में से पत्थर को निकालते हैं स्लेबस निकालते हैं, (प्र. पूरी जो एक स्लेब होती है) हां, हां। वो दस फुट की होती है, कोई नौ फुट की होती है, कोई 12 फुट की होती है। उसको पहले काट के और डेढ फीट की चौड़ी और दस फीट की लम्बी। वो उसको काटते हैं। उसको काट के और फिर वो बिल्डिंग कंस्ट्रकशन के लिए काम में आते हैं, और कुछ पत्थर होते हैं, जिनको हम, बड़े पत्थर, जो आपके दीवारों में..... काफी बाहर जाते हैं। ये सब स्टोन वर्क ही है। कॉम्पलेक्स अब शुरू हुआ है। (प्र. तो ये सोप-स्टोन खास तरह का पत्थर नहीं है?) नहीं, यहां तीन तरह के पत्थर हैं; एक लाल पत्थर है, एक पीला पत्थर है, एक सफेद पत्थर है। ये आपको सारे बिल्डिंगस इसी प्रकार से मिलते हैं लाल पत्थर के; इनकी खासियत यह है कि जब बरसात आती है, इनको पानी लगता है और बिल्कुन नया दीखने लगता है। चमकने लग जाता है, चमक है (laugh.....) (प्र. बारिश तो बहुत कम होती है.....).....

इन पत्थर मजदूरो का अभी जो हमारा मुख्य नारा चल रहा है, मुख्य जो काम चल रहा है, वो ये चल रहा है कि एक केरल के अंदर। (प्र. केरल में?) हां केरल में, एक कानून बना हुआ है, बिल्डिंग कंस्ट्रकशन वर्कर्स का, वेलफेयर कानून। उस वेलफेयर कानून के तहत, फिर आप अभी चौंकोगे, मेटरनिटी लीव, पेंशन, gratuity, पी ए, लोन्स ऑफ वेरियस काइन्डस, मकान बनाने के लिए, शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, ये उसमें लोन का सिस्टम है। (प्र. अच्छा?) ये वेलफेयर कानून बना हुआ है। (प्र.: माइन वर्कर्स के लिए?) नहीं, नहीं, कन्स्ट्रशन, बिल्डिंग वर्कर्स के लिए। ठीक है, ये कानून बना हुआ है, केरल में ये लागू है। एक बोर्ड, मेकैनिज्म यह है कि एक बोर्ड बन गया है। सरकार ने एक बोर्ड बनाया जिसमें सरकारी प्रतिनिधि हैं, मजदूरों और यूनियनों के प्रतिनिधि हैं, मालिकों के प्रतिनिधि हैं और requirement उसकी ये है कि आप, जैसे for example एक मजदूर दिन का एक रूपया जमा कराएगा उस बोर्ड के पास में। बाकी तो मेरे ख्याल से जिम्मेदारी तो मालिक की है, जो ठेकेदारी या जो भी employ करता है, वो वहां पर जमा कराएगा, और सरकार ने एक मुश्त रकम दे दी है तो फंड बन गया। उस फंड के तहत में फिर से सारी सुविधाएं मिल रही है। तो हमारा भी ये अभियान चल रहा है कि जब केरल में ये कानून मिल सकता है तो यहां भी कानून बनना चाहिऐं यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट थी तब ये कानून बना, बना हुआ था। वो कानून नाकाफी है, सेंटर में, वो लागू है, यहां या लागू होना चाहिए। लेकिन उसका बेनिफिट हमको नहीं है क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ है कि ये लागू होगा जहां पर पचास लोग काम करते हैं। तो यहां पर तो पचास लोग एम्पलायड होते ही नहीं हैं, ये पचास लोग तो वहां पर होते हैं, बडे-बड़े शहरों के अंदर जो 'ए' क्लास के ठेकेदार हैं वो रखते नहीं, तो ऐसा कोई तो लागू नहीं है, लेकिन वो लागू जब होगा जबकि स्टेट गर्वनमेंट उसके रूलस बनाएगी और रेगुलेशनस बनाएगी। वो आज तक बनाए नहीं। अब ये united

front govt. इस काननू को, मेरे ख्याल से '96 का कानून था। आज तक स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया नहीं। एटक की तरफ से भी इसका दबाव चल रहा है कि आप रूलस तो बनाओ। तो कम-से-कम और कुछ नहीं हो तो इक्का-दुक्का भी कहीं ऐसे हों तो उनको तो फायदा मिले। ये हमारा मुख्य आधार ये बना हुआ है कि केरल में जैसा काननू बना हुआ है वहीं कानून यहां पर भी बनाइये।

केरल में ऑटोरिक्शा वालों के लिए भी ऐसा ही बना हुआ है। (प्र. तब तो आप यहां लागू करवा सकते हैं?) हां, हमने अभी इसमें इतनी दिलचस्पी ली नहीं, हम इतने उलझे हुए रहते हैं कि हम करा नहीं सकते। वैसे हम लोनिंग करवाते हैं, बैंको से, जैसे कोऑपरेटिव बैंक हैं, नागरिक सहकारी बैंक, अरबन कोआपरेटिव बैंक, मैं उसका एक डाइरेक्टर हूं। मैं यूनियन का प्रेसीडेंट भी हूं। मैं उस बैंक का डाइरेक्टर भी हूं। तो हम उन लोनिंग भी करवाते हैं मेला लगवा देते हैं। तो ये भी हो जाता है। यह बहुत बड़ी सुविधा है।

बाकी तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट, 1962 में स्ट्राइक हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाईज की, '68 स्ट्राइक में हुई थी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पलाईज की, हम लोग उसमें थे, personally involved थे, हम, बल्कि ज्यादातर लोग जब जेल चले गए थे तो इनका सारा प्रिन्टिंग वर्क हम करते थे। पम्पलेट्स हम करते थे, distribute करते थे, जेल में उनसे liaison रखते थे। कई लोगों को सजाएं हो चुकी थीं। उनके मुकदमें हमारे पास में थे।

मै कह रहा था कि सेंन्ट्रल गवर्नमेंट एम्पलाईज की थे जो '62 की स्ट्राइक थी,'68 की स्ट्राइक थी, तो स्ट्राइक टोटली उस वक्त नेशनल डिफेंस एक्ट लागू था, इसलिए इनकी मीटिंगे नहीं हो सकती थीं तो इन लोगों की इनके मुख्य वर्कर्स हमारे, एटक वालों के सम्पर्क में थे, वो सारा काम हमने किया और यहां से 5-7 किलोमीटर दूर इनकी हम मीटिंगें ऑरगेनाइज़ करते थे और इनका मूवमेंट हमने ऑरगेनाइज़ किया। (प्र. हां उसमे तो काफी बड़ा हुआ था...) हां, और उसके बाद में '74 में रेलवे की स्ट्राइक हुई थी। उस स्ट्राइक का सारा स्टेज हम लोग लगाते थे, और भाषण वो देते थे। मतलब उनकी गिरफ्तारी के लिए लोग पीछे पड़े हुए रहते थे। हम उनको लाते थे भेष बदलना के, स्टेज पे ऐलान था कि आज हम फलां का भाषण करवाएंगे। फलां लीडर का भाषण करवाएंगें, बाकायदा (laugh...) ऐलान था उसका। उनका भाषण करवाते थे, स्टेज हम लगाते थे? हम बिछाते थे। हम उनका भाषण कराते थे, वापस हम उनको गायब करवाते थे। यह हमारी जिम्मेदारी थी।और क्योंकि वो बिल्कुल successful चला, इसलिए उनका टॉप से टॉप लीडर भी जो है वो पुलिस की गिरफ्त में गया नहीं। और जहां जिसका हमने कहा कि यहां इसका भाषण होगा, उसका भाषण करवाया। (प्र. वाह! यह तो बहुत बड़ा.....), इसीलिए हम लोगों की एक वो, आज राज्य कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारियों की '73 में पहली स्ट्राइक हुई थी, स्टेट-वाइड, ये जो स्टेट एम्पलाईज हैं। तो ये फर्स्ट स्ट्राइक स्टेट-वाइड '73 में हुई, और वो स्ट्राइक कभी कामयाब नहीं हो सकती थी अगर हमारी एटक की यूनियनें उसमें सहयोग नहीं करती; वो दरअसल में हमने उस मूवमेंट को चलाया। (प्र. कौन से डिपार्टमेंट से.....?), पूरा, पूरा डिपार्टमेंट्स, पूरा स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाईज़ थे। टोप से बोटम, चपरासी से लेकर, बाबू से लेके और सारे स्टाफ तक, लाखों लोगों की स्ट्राइक थी। तो यहां हजारों लोग

उसमें थे? टेलीविजन वगैरे, और उस वक्त मुख्य मंत्री जोधपुर का था, वरकतुल्ला खान, और स्ट्राइक काफी लम्बी चली, रिपरेशन भी बहुत हुआ, जैसे आम तौर से स्ट्राइक जब लम्बी होती है, उसको फिज़ूल आउट करने के लिए करते हैं, वो सारे तरीके इस्तेमाल किए। उस तरीकों में हम लोगों ने काफी चतुरता भी दिखाई, जैसे उस वक्त के जो ए.पी. थे, हम उनसे जाके मिले। उनका तरीका क्या हो गया कि जैसे पूरा जुलूस जा रहा है, पूरे जुलूस को घेर लो और गिरफ्तार कर लो, तो नेचुरली असर पड़ता है उसका, एक साथ में अगर पांच सौ-सात सौ लोग अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो असर पड़ता है और लोगों के mobilisation पर असर पड़ता है। तो हमने एस. पी. से बात की कि आप क्या चाहते हैं? You are not interested in thses hudred and ..... किसी तलाश में हैं, आप जिसकी तलाश में हैं हमको मालूम है, आप उसको पकड़ना चाहते हो, ये भी हमको मालूम, आप कहो तो सही कि हम उसको पकड़ना चाहते है। तो उन्होंने नाम बताया। मैने कहा हम इसको पकड़ा देते है। उसके ऐवज में क्या? (laugh....) (प्र. ये तो बड़ा अच्छा.....!) ten days, दस दिन का अपना ceasfire है, दस दिन तक आप हम पे लाठी नहीं चलाओगे, हमको गिरफ्तार नहीं करोगे, आपको वो लीडर दे देते हैं। (प्र. अच्छा! very interesting!) ठीक है? Agree हो गया। के बस ठीक है, आप हमको दे दो, बात पक्की हो गई, मैं कहा ऐसे पक्का नहीं होगा, और लीडर ऐसे नहीं आएगा। हम बाकायदा पूरी पब्लिक के सामने उसको गिरफ्तार करवाएंगे। आपका आदमी गिरफ्तार करेगा। कहे, नहीं वो तो बवेला हो जाएगा, resistant हो जाएगी कि, ये हमारी गांरटी, कोई resistant नहीं होगी, उसको गिरफ्तार हम करवाएंगे, दस दिन तक आप हमें हाथ नहीं लगाओगे। दस दिन तक तो सेफ्टी हो गई हमने उसको इसी चौक पे (सोजती गेट चौक - AR) लोगों को इकट्ठा किया, भाषण करवाया उसका, (प्र. अच्छा?!), जी हां! भाषण करवाया हमने उसका, धुंआधार तालियां पिटवाई और हमने कहा कौन है माई का लाल जो उसके हाथ लगाएगा? लगाएगा तो हम देख लेंगे ले जावे उसको हम देख लेंगे, (laugh....) करके उसको गिरफ्तार करवा दिया। गिरफ्तार हो गया। दस दिन तक खामोश हो गए सब मामला! फिर जिस दिन इनको, दस दिन में से एक दिन इन्होंने, इनको लाठी-चार्ज करना था। He informed me, कहने लगे आज थोड़ा मामला दूसरा है (laugh....) हमने किसी को कहा नहीं, हमको मालूम था कि आज होगा, तो ये भी मूमेंट तो राज्य कर्मचारियों का सारा स्टेज हमने। (प्र. इसको कैसे फेस किया? मतलब ये जो प्रोबलम आई थी लाठी-चार्ज की?), लाठी-चार्ज हुए, हमने कुछ intervene नहीं किया, मालूम था लाठी भी चलेगी, चलेगी, मूवमेंट, मूवमेंट है थोड़ा बहुत repression होगा तो होगा (.....लाफ.....), के कब तक बचाओगे? लेकिन हमने वो दस दिन का जो ले लिया न तो उसमें ऑरगेनाइज करने में हमें बहुत सुविधा हो गई। उसमें मर्सेज भी थीं, कम्पाउंडर भी थे, फराश भी थे, सभी category के लोग आते थे। और इसमें, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की यूनियनों थी इसमें,पी.डब्ल्यू.डी. की यूनियन थी, ये जो semi-govt. कारपोरेशन की जो यूनियनें थीं, वो इसमें लीडरशिप में forefront में थीं, रोडवेज की यूनियन हैं, इनका important role है। (प्र. काफी इम्पोरटेन्ट, broad-based), broad-based (प्र. बहुत बड़ा) और आज ही हमारा मेकैनिज्म है, कि राज्य कर्मचारियों का जो महासंघ बना हुआ

है तो हमारी राष्ट्रीय अभियान समिति का पार्ट है। वो आते हैं, वो अपने जलसे में हमको बुलाते हैं, उनको जलसों में जाते हैं। हमारा एक rapport बैठा हुआ है।

वैसे शहर में Communal harmony के लिए भी एटक ने काफी अच्छा काम किया है। यहां पर (प्र. ये शहर तो Communal harmony के लिए प्रसिद्ध था) प्रसिद्ध, लेकिन यहां पर लग चुका है कर्फ्यू एक बार। '92 में। पहला कर्फ्यू था यहां पे। पहला experience था हम लोगों का। उस कर्फ्यू के दौरान में ही हम लोगों ने, हमारे पास कोई पास नहीं था, उसके बावजूद भी हम 5-7 लोग मिले और फिर हमने एस.पी. से बात की। फिर हमने पास issue करवाए और कर्फ्यू के दौरान हम सब लोगों से, जो भी प्रभावित क्षेत्र थे, मकान तोड़े थे, गोलियां भी चलीं, हम सबों ने दौरा किया, और एक मेकैनिज्म बनाने की कोशिश की। कर्फ्यू के दौरान तो काफी मुश्किलें थीं। लोगों को दूध मुहैय्या नहीं होता है, दूध की तकलीफ थी, कोशिश की कि लोगों को दूध मिले। इसी ढंग से खाने-पीने की चीजें, आदमी सड़क पे आ नहीं सकता है; तो कई मोहल्लों में हमने पहले सोच के और फिर जैसे एक, मेरे मकान में एक दुकान है जिसके अंदर आटा, गेहूं, चावल है, दाल है, उस दुकान को मैंने खोला और मेरे छत से आगे से आगे, से आगे, पूरे मोहल्ले के अंदर उस काम को करवा दिया! (.....लाफ.....) हिन्दू भी रह रहा है, उसमें मुसलमान भी रह रहा है। (प्र. वाह! very good!), बहुत बड़ा experience था ये (प्र. बहुत बड़ा experience था unique experience हां, इसका लाभ, लोगों को तुरंत राहत मिली और जब ये सामान्य स्थिति हो गई तो लोगों ने हम लोगों को बुलाया, हमको इज्जत दी, हमको, साफा पहनाना बहुत इज्जत का काम होता है, उन्होंने यहां पर जलसे करके किया उन्होंने.....। (प्र. कर्फ्यू कितने दिन.....?) कर्फ्यू 11, करीब 9-10 दिन, बड़ा काम.....उसमें भी एटक ने काम किया, हम लोगों का experience उसमें भी हुआ।

(प्र. अच्छा यहां आपके personal experience में पहले या बाद में कुछ बड़े ऐसे स्ट्राइक मूवमेंट थे, हड़तालें, या विरोध या लोगों के आंदोलन, ऐसे कुछ याद हैं चार-पांच?)

उ. : एक तो यहां पे काफी बड़ा हुआ था, एक कांड, एक नेहरू पार्क कोड हुआ था, उसमें कुछ बड़े लोग थे जो रंगरेलियां करते हुए पकड़े गए थे, बहुत प्रभावशाली लोग थे, वो उसमें पकड़े गए थे। पुलिस कुछ करने को तैयार नहीं थी। Locality वाले उत्तेजित थे कि कुछ हानो चाहिए, क्योंकि उन्होंने उनको रंगे हाथों पकड़ लिया था। उन्होंने घेर के हमको इत्तला की। (प्र. घेर लिया था उन्होंने...?), घेर लिया था। और घेर के हमको इत्तला की, वेश्याएं भी थीं, उस मामले को हम लोगों ने टेक अप किया, यहीं, यहां मेरे ख्याल से इत्ती बड़ी मीटिंग कभी नहीं हुई, हजारों लोग जुड़े ये मांग करने के लिए कि, मतलब स्टेज के आगे उस वक्त तक तो हम लोग पंहुच गए, पुलिस ने उन को निकाल दिया, कि हम खिलाफ में कार्रवाई करेंगे, लेकिन वो एक तो मिनिस्टर का पी. ए. था, तो एक चेम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट था, एक सुखाड़िया जी चीफ मिनिस्टर थे उनका दामाद था। तो बहुत मुश्किल काम था। लेकिन उसने जिन लोगों की, जिन लोगों ने हमको बुलाया था, उन लोगों का ये कहना था कि हमारे पास में कुछ फोटोज हैं। (प्र. अच्छा?) अर्धनग्नावस्था में। वो photos हमने, कहा हमको दो, हमको

दिखाया उन्होने, हमको समझ में आया कि बात तो सही है। तो फोटो उन्होंने दिया नहीं, आज देंगे तो हमको समझ में आ गया कि इनका कोई bargain बैठ गया है। जिन्होंने हमको बुलाया, तो उसका ऐसा लगा, वही सबसे important document, documentary evidence, जिसके पास में documentary evidence है वो देने को तैयार नहीं को बयान क्या देगा? उसके आधार पे एक मूवमेंट खड़ा हुआ कि पुलिस seize करे इन फोटोज को, और हमने कहा कि जिसके पास में फोटोज हैं, उसका version हमारे पास में taped है। मैं फोन करता हूं, वो करता है वकील साहब आपको तो दिखाना ही है। आपको दे दूंगा मैं। अरे मैंने कहा क्या दे दोगे यार? वो फोटोज दिखाओ सही, कैसी है, बिल्कुल नंगी है, ये है, वो है, सारी चीज उसमें आ गई। तो उसकी बात हमारे पास में है। Now we give you 24 hours, to police, नहीं करेगी तो हम तो खुद ही उस मकान को तोड़-ताड़ करके और चले जांएगे और कब्जे में कर लेंगे और छोड़ेगे नहीं। तो फिर आ गई।.....(?) फिर वो 24 hrs. के अंदर आ गई, फोटो पुलिस के कब्जे। (प्र. फोटो कब्जे में आई; ?), कब्जे में आ गई, बाकायदा चालान हुआ, तो उसमें पेश हुए वो लोग आए। यहां हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद हम लोग कोर्टों में पहुंच गए, उनको देखने के लिए (.....लाफ.....) हमको ये माहौल देख के (.....लाफ.....) हमको पार्टी बना दिया क्रिमिनल केस के अंदर। हम तो पार्टी बन ही नहीं सकते थे। हमारा काम तो समाप्त हो गया। जब कोर्ट में मामला पंहुच गया तो हमारा क्या रोल रहा? We have no role, now the cowet has to play, तो हमने तो कोर्ट के सुपुर्द कर दिया उनको। तो कोर्ट ने हमको पार्टी बना दिया, के नहीं-नहीं, आप तो रहो इसमें। अब हमारा तो रोल था ही नहीं उसमें कुछ, खत्म हो गया। अब हम तो फंस गए। वो sessions trial हुई, sessions trial तक हम उसमें पार्टी रहे। अब हमको कहा जिरह कीजिए। हम क्या करते ? (.....लाफ.....) They were convicted (प्र. They were convicted ?), they were convicted, oh, all those persons और उसको फिर हम जब involve ही हो गए, तो हमने कह दिया कि आप इसमें जुड़े हुए रहोगे, और पार्टी बने हुए हो, तो हम उसमें, हमारी हाजिरी-गैरहाजिरी लगती थी, तो फिर लोगों को हम भी इकट्ठा करते थे, औरों को जोड़ना हो, वेश्याओं के साथ में ये खड़े हैं, इतना हो करते ही हैं ऐसा। वो जो इसमें एक important आदमी था कन्हैयालाल जैन, चेम्बर ऑफ कॉमर्स का आदमी, सुखाड़िया जी का खास आदमी था, चेम्बर का प्रेसिडेंट था, कहता भी था कि साहब, हमारा पीछा छोड़ दो। कहें हम क्या कर रहे हैं इसमें? हमारा तो कोई काम नहीं है, के साहब, हम आ के इनके साथ खड़े होते हैं, हमारी तो तौहीन होती है। तो हम तो आए, अब हमारे बच्चों की नजरों में भी हो गए अब, अखबारों में छप रहा है, क्या करें? हमने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। They were convicted उसके बाद में उन्होंने उस केस को अपील की, और अपील को दिल्ली में ट्रांसफर करवाई। अपील दिल्ली ट्रांसफर करवाया, और दिल्ली में वह acquitted हुआ। हम तो थे नहीं, हम नहीं थें दिल्ली मे उसको ट्रान्सफर करवा लिया तो हमारे तो, यार, हाथ से निकल गया। दिल्ली में हमारे पास कोई नोटिस नहीं था। हम तो पार्टी थे नहीं वैसे। ये हमको treat करते थे पार्टी। तो कोर्ट से। (प्र. ये ट्रान्सफर हो सकता है दिल्ली.....?) अपील करके और ट्रांसफर करना दिया

इस ग्राउंड के ऊपर कि fair trial नहीं होता है। ग्राउंड बनाया होगा। तो वहां पर ट्रांसफर हो गया केस, वो ट्रांसफर हो जाने के बाद में, हमको तो कुछ पता नहीं था, फिर बाद में अखबारों में आया कि वे acquit हो गए, और उसमें हमारे खिलाफ में टिप्पणियां थीं, के आप चाहें तो आप उनके खिलाफ हर जाने का दाना भर दो, वो भर दो। ये टिप्पणी हो गई उसके अंदर, वो हुए नहीं दावे वो अलग बात थी, हमकों तो अखबारें से ही मालूम पड़ा।

वो काफी बड़ी घटना थी जिसमें कि public intervention से बहुत प्रभावशाली लोगों को, की trial हुई। (प्र. किस साल की बात होगी?) ये बात होगी आज से 25 एक साल पहले की। बहुत बड़ी घटना थी। दूसरा एक हमारा experience था, अब आप फिर हंसोगे, emergency के दौरान, ये यूनियन से भी जुड़ा हुआ है लेकिन वैसे देखो तो एक सामाजिक काम था। Emergency के दौरान में ये नसबंदी चली। (प्र. हां, sterlisation चला. .....), एटक में हमने बाकायदा तैयार किया, कि ये अच्छा काम है, हम इसको करवाएंगे। (प्र. अच्छा?..... .) हमने उस तबके को चुना जो नसबंदी के खिलाफ में थे, बांवडाई खिलाफ में थे, वैसे मुसलमानों के अंदर ये था कि नहीं यह अल्ला का काम है, इसमें कोई दखल नहीं हो सकता है। दखल नहीं हो सकता इसके अंदर, धार्मिक जुड़े थे; कम पढ़े-लिखे लोग जो हैं; ये मेहतर, हरिजन थे, इनका भी इसी प्रकार का। हमने इनको चुना। (प्र. अच्छा?.....) इनको चुन के सौ, एक सौ एक ऑपरेशन हमने करवाए, और चोरी-छुपे नहीं करवाए, रेलवे स्टेशन से जुलुस निकाला हमने निकाला 101 लोगों का। (प्र. जुलूस निकाला?)!, माला पहनाई (.....लाफ. .....) कि इस काम के लिए जा रहे है। वो करना के, क्योंकि उसकी एक अपनी importance थी; उस तबके को चुना जिसमें इसका विरोध चलता था। 101 ऑपरेशन हमने उनके करवाए, हमको म्युनिसिपैलिटी की ओर से एक प्राइज किया गया; एक ट्रांजिस्टर भेंट किया उन्होंने, और उनमें से जो लोग, मैं तो भूल गया कि कौन-कौन लोग, कई लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि साहब आपकी वजह से सुखी हो गए (.....लाफ.....), अब ये, हमारा काम तो था नहीं! (प्र. सामाजिक सुधार का awareness का काम.....) Awareness का काफी अच्छा काम हुआ। बहुत मुश्किल काम है। (प्र. बहुत काम है) बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि आप लोगों को तो एक कर रहे हो। कोई जबर्दस्ती नहीं है, लोगों को जुलूस बना के बाकायदा जुलूस में ले जा रहे हो (.....लाफ..... ..) इमरजेंसी के दौरान, इमरजेंसी के पहले हम लोगों ने एक यूनियन भी यहां पर organise भी थी, म्यूनिसिपल वर्कर्स की, हरिजनों की, वो काम भी थोड़ा ठीक चला, इस बीच इमरजेंसी लग गई। तो हमारी एक मांग उसमें ये चल रही थी के हमको जो आप भुगतान करते हो, Payment of salary, वो by cheque, (प्र. By cheque? not.....) by cheque, not by cash, क्योंकि यहां पेमेंट वाले इन्सपेक्टर जो हैं, कयोंकि म्युनिसिपैलिटी में परिपाटी जो है, वो ऐसी है, किसकी हाजिरी लगती है किसकी गैर-हाजिरी लगती है, उसका कुछ पता नहीं। तो आधी तनखा तो खा जाते होगें, और employee को पता ही नहीं है कि मेरी तनखा कितनी है। (प्र. अच्छा?!) उसको पता ही नहीं चलता कि तनखा कितनी है, जो दे दिया वो दे दिया। तो हमारी इस मांग को ले के हमने ये किया कि आप तनखा हमको चेक से देंगे। इसी का जरूरत है, यही कहा रहे थे (....unclear) (प्र. उनके समझ में नहीं

आया), उनके समझ में नहीं आया। कहने लगे झंझट है हमारा, कल को कह देंगे अगूंठा नहीं मिलता, पेमेंट उठाने में तकलीफ हो रही है, और दूसरे ज्यादातर जो लोग हैं वो शराब पीने वाले और वो हैं तो कैश पेमेंट चाहते हैं। कुछ दबाव होता है इन्सपेक्टर्स वगैरा पर, इन्होंने इसका विरोध करना है। इस बीच में इमरजेंसी लग गई। इमरजेंसी के दौरान हमने जुलूस निकाला। (प्र. अच्छा!), इमरजेंसी के दौरान, जबकि लोग यह कहते थे कि जुलूस निकल ही नहीं सकते थे, कि शुरूआत की बात है इमरजेंसी के, का क्या होगा क्या नहीं होगा, जब ये कहा गिरफ्तारियां हो जाएंगी। (प्र. जुलूस निकला?) हां, बाकायदा और वो चीज लागू हुई। (प्र. लागू हुई?) लागू हुई, (प्र. लागू है?) वो अभी भी लागू है, बीच में खत्म हो गई, फिर वापस मांग उठी, अभी आज की तारीख में लागू है, payment by cheque, एकाउंट खुल गए हैं बैंकों से, बहुत बड़ा फायदा हो गया। इसमें दरअसल में क्या है कि सफाई मजदूरों में, क्योंकि वे एक particular community के, बेहतर community के हैं, उन्हीं के लोग उन्हीं को लूटते हैं। ये जोधपुर म्युनिसिपैलिटी के अंदर, कोई सिस्टम नहीं था, भर्ती कराने का, नौकरी देने का क्या होगा, कैसा नियम होगा। तो न पेमेंट का कोई सिलसिला था, कोई तरीका नहीं था, तू भी नौकरी पे आ जा, तू भी नौकरी ये आ जा, ऐसे ही चलता था। उसमें जो इनकी सफाई मजदूर कांग्रेस बनी हुई थी, आज भी बनी हुई है, इंटक थी, वो उनका vested interest था। इनके लीडर सौदेबाजी कर लेते थे, चार आदमी अपने रखवा लिए, चार आदमी का पैसा खा लिया, और.....? चार आदमियों से पैसा खा लिया, बाकी रख लो। जब ये म्युनिसिपल वर्कर्स यूनियन बनी। (प्र. कब बनी?) ये बन गई थी '71-72' में तो इसका विरोध, उनका इससे विरोध था। टोटल जो लीडरशिप थी वो हमारे विरोध में हो गई, जो उनकी दुकान खत्म हो रही है। फिर हमारी ताकत बढ़ी, हममें दम हुआ कुछ, उनके समझ में आया कि इनको ignore नहीं कर सकते। पछाड़ने की कोशिश की, वो मामला बैठा नहीं। हमने कहा, हम और आप मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 71 या 72 के अंदर यहां जो स्ट्राइक हुई थी, पहले इनकी जितनी भी स्ट्राइक होती थी, वो स्ट्राइक, इनके जो community के लीडर्स थे, वो ट्रेड यूनियन लीडर्स नहीं होते थे, वो call off करवाते थे, भई अब ठीक है कल से काम पे चले जाओ, क्या हुआ, यह किसी को कुछ पता नहीं। हमने कया किया? पहली बार हमने लेबर डिपार्टमेंट के अंदर समझौता करवाया, बाकायदा, settlement करवा के दस्तखत करवाए। उसका बड़ा विरोध हुआ। ये वो settlement थे जो पैसा-खाऊ लीडरशिप को कुछ मिलता नहीं था। चार आदमी वो रखवाना चाहें तो settlement में तो वो चीज आ नहीं सकती। (प्र. तो caste community की जगह ये organisation.....) बिल्कुल caste का, क्योंकि एक particular caste का है तो वो caste का caste के ऊपर असर पड़ता है, नही उनको लूटनेवाले हैं और आज भी उनका वर्चस्व है, वो ही लूटते हैं, हर मामले में, बिना पैसा खाएं उनका काम नहीं होता, और ये दलाल ये ही सफाई मजदूर कांग्रेस, बूटा सिंह जी जिसके लीडर होते हैं। (प्र. तो म्युनिसिपल वर्कर्स के बीच में ए.आई.टी.यू.सी ने '71 से पहले भी.....?) पहले भी, शायद मुझे ध्यान नहीं है, इससे पहले हमारी यूनियन नहीं थी, पहले दूसरी यूनियन थी, जो सोशलिस्ट लोग चलाते थे। लेकिन अभी भी real

sense के अंदर। उसके ऊपर एक पर्टीकुलर कम्युनिटी का वर्चस्व, लीडरशिप है, लेकिन they do not act as trade union leaders, they are just leaders of particular caste and community.

अब पूछो अभी मजदूरों के सामने जो समस्याएं हैं, उनमें से कुछ के बारे में मैं आपको बताऊं। पेमेंट ऑफ वेजिस एक्ट के तहत, उस एक्ट के तहत में वहीं श्रमिक कार्रवाई कर सकता है जिसकी तनखा मासिक 1400 रूपये हैं। 1400 रू. से अधिक वाली तनखा का श्रमिक वेतन भुगतान पदाधिकारी के पास नहीं जा सकता। अब अगर एक श्रमिक जिसकी तनखा 1400 रू. से अधिक है जो आम तौर से अधिक है, तो वो अपने बकाए वेतन के लिए, ओवरटाइम के लिए, और जो वेरियस टाइपस ऑफ अलाउंसिस हैं; नाइट-ड्यूटी अलांउस है, एच.आर. ए. है, इस प्रकार के जो अलाउंस हैं, इनके लिए वो कारवाई 33-सी(2) में की जाती थी। 33-सी(2) के अंदर लेबर कोर्ट को कम्पयूट करने का पावर था, कि अगर आप कोई चीज, बेनिफिट, अलाउंसिस, कोई एम्पलाइर पर बकाया है तो आप उसको कम्पयूट करवा लीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि लेबर कोर्ट 33-सी(2) के अंदर केवल एवार्ड और सेटलमेंट, दो ही मामलों का कम्पयूट कर सकता है। एक एवार्ड है या एक सेटलमेंट है, उस सेटलमेंट में मुझे यूनिफॉर्म का पैसा नहीं मिला है, तो मैं 33-सी(2) में जा सकता हूं। लेकिन मैंने ओवरटाइम काम किया है और आवेरटाइम का भुगतान नहीं हुआ है, तो मैं उसको नहीं कर सकता। तो अपनी तनखा या ओवरटाइम और उसके पेमेंट के लिए भी मजदूर अब लेबर कोर्ट में नहीं जा सकता और पेमेट ऑफ वेजेज एक्ट में नहीं जा सकता। अब जाने की एकमात्र उसकी जो प्रक्रिया है, के प्रक्रिया यह है कि वो डिसप्यूट रेज़ करे और वो वेट कर 5-10 साल तक जब तक कि रेफरेन्स हो और रेफरेन्स होने के बाद में लेबर कोर्ट तय करे। दरअसल के अंदर, से तो, इसी प्रकार कई और मुद्दे इसके अंदर आते हैं। (प्र. वो आप बता रहे थे डेली वेजेज वाला) डेली वेजेज के मामले में राजस्थान के अंदर सरकार ने एक काननू बना दिया है '99 में, ये कांग्रेस सरकार आई जब, जिसमें डेली वेजेज ये काम करनेवाले किसी एम्पलाई का रेगुलराइज़ेशन नहीं हो सकता। अगर रेगुलराइज़ेशन की कार्रवाई किसी काउन्सिलेशन में, लेबर कोर्ट में by true reference या civil suite चल रहा है तो वो खत्म हो जाएगा। उन कोर्टों को, उन ओथोरिटीज़ को उसके बारे में कार्रवाई करने का अधिकार समाप्त। इसका मतलब ये हो गया कि जो आदमी बरसों से चल रहा है डेली वेज़ के ऊपर, उसका कोई हक नहीं है और वो कभी रेगुलराइज़ नहीं हो सकता। इतना घातक कानून राजस्थान सरकार ने बनाया है, लेकिन जो प्रतिरोध होना चाहिए था, जितना, वो प्रतिरोध है नहीं और अधिकांश लोग, जो ट्रेड यूनियन में काम करने वाले हैं, मैं समझता हूं, उनको इस बात का ज्ञान भी नहीं है और जानकारी भी नहीं है, कि इस प्रकार का खतरनाक कानून भी बना हुआ है। (प्र. सुप्रीम कोर्ट भी तो.....?) नहीं अभी ये चैलेंज हुआ नहीं है। अभी ये राजस्थान हाईकोर्ट में भी चैलेंज हुआ नहीं है। अब चैलेंज होगा जब मालूम पड़ेगा। (प्र. इस तरह के जो सवाल हैं, और ट्रेड यूनियन और ए आई टी यू सी और दूसरे ट्रेड यूनियन.....?) आना चाहिए, मै आपको बताता हूँ, इसके अलावा भी आप सवाल देखिए। बुनियादी सवाल हैं। लेबर कोर्ट ने एक अवार्ड पास कर दिया। उस अवार्ड को लागू कैसे किया जाएगा?

एम्पलायर उसको लागू नहीं करता। पावर ऑफ एग्ज़ीक्यूशन लेबर कोर्ट को है नहीं। पावर ऑफ कॉनसेप्ट लेबर कोर्ट को है नहीं। फिर क्या होगा? और स्टे आर्डर, स्टे ग्रान्ट करने का पावर लेबर कोर्ट को नहीं है जो एक छोटा से छोटा ज्यूडिशियल ऑफिसर होता है, मुन्सिफ, ही वाज़ ए पावर ऑफ कन्सेप्ट; तो लेबर कोर्ट को तो कोई पावर ही नहीं है। इन्स्ट्रीयल ट्रीब्यूनल को और लेबर कोर्ट को यह कह दिया है कि दे आर नोट कोर्ट विदइन द मीनिंग ऑफ वेरियस सिविल लॉज़। (प्र. अच्छा?!) दे आर ओनली ट्रीब्यूनलस, येस, दे आर ओनली ट्रीब्यूनलस। (प्र. इनक्लूडिंग लेबर कोर्ट?) येस, उनका nomenclature कोर्ट है, उससे कोर्ट नहीं होता है। दे आर नोट कोर्ट बीकोज़ सिविल प्रोसिज़र कोर्ट ऐस्ट्रा आर नोट एप्लीकेबल ऑन देम। सो, देअरफोर, दे आर ओनली ट्रीब्यूनलस, एंड ट्रीब्यूनलस हेव नो पावर टू पनीश द कन्सेप्ट, सो देअर इज़ नो कन्सेप्ट। आज मैं आपको बताता है। ये जोधपुर के अंदर सेंट्रल एसिड ज़ोन इन्सटीट्यूट है, (काजरी)। इस काजरी में '89 के अंदर रेफरेन्स के बाद में एक अवार्ड हो गया। और अवार्ड ये हो गया कि जो लोग '65 और '83 के बीच में नौकरी पर भर्ती किए गए हैं, करीब 250 (ढाई सौ) से ज्यादा लोग, उनाके रेगुलराइज़ कर दिया जाए। आर्डर हो गया रेगुलराइज़ का, एवार्ड हो गया। '89 में ये एवार्ड हो गया; टिल दिस डेट देट अवार्ड हेज़ नोट बीन इम्पलीमेन्टीड। व्हाट ईज़ द रेमेडी नाओ? लेबर कोर्ट केननोट पनीश देम। द ओनली रेमेडी ईज़ कि आप एपलाई कीजिए कि सेक्शन 29 ऑफ इंडस्ट्रीयल डिस्पयूट् एक्ट के साहब आप इनको पनीश कीजिए। आप उनको पनीश करोगे तो मुझे नौकरी कैसे मिलेगी? फिर मेरा रेगुलराइज़ेशन कैसे होगा? वो पनीशमेंट देते रहें, आज भूखे मर रहा हूं मैं तो। जितना भी रेगुलराइज़ेशन का मामला है मान कीजिए वो डेली वेज़िज का अभी भी चल रहा है, लेकिन टरमीनेशन में जिसमें अवार्ड हो गए, हमारे पास सैकड़ों मुकदमें हैं, इसमें भी हाई कोर्ट लेवल तक वे हार चुके हैं but they did not implement; what will happen to them? आप क्या कहें, हम हाई कोर्ट में जाते हैं wait करने के लिए, कि साहब आप इस अवार्ड को implement करवाइये; ठीक है? कुछ मामलों में हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए कि no implement करना चाहिए, Tribunal का आर्डर है, it should be respected. कुछ कोर्टों ने कहा ये view है कि ये काम हमारा नहीं है, हाईकोर्ट का नहीं है। So, High court Commissioner under section 29, obtain कीजिएगा कि साहब आप इनके खिलाफ मुकदमा कीजिएगा, इनके खिलाफ मुकदमा चलाने से मैं तो भूखे मर रहा हूं। I am out of job, आप उसको जेल भेजोगे, मुझे नौकरी कैसे मिलेगी। ये सबसे बड़ा सवाल है न, contempt के पावर्स होते तो सब काम हो जाता। They have no power of contempt, they have ;no power o execution, they have no power to grant stay, है क्या उनके पास में? Ajdudicate कर दिया, हुआ क्या? ये तो वैसा शेर है जिसके कोई दांत और पंजे तो हैं नहीं। ये सब बेकार हो गया न थे?

आप ट्रेड यूनियन मूवमेंट के अंदर इसको क्यों नहीं उठाते? (प्र. आपका क्या विचार है, क्यों ट्रेड यूनियन मूवमेंट इसको नहीं उठाता?) एक और चीज मैं बताता हूं आपको। ये जो रेफरेन्स हो के आते हैं, इन रेफरेन्स में conciliation के अंदर, conciliation officer जो है, आमतौर Is he acts like a ciivl court: सिविल कोर्टो में

मुकदमें लम्बे होते हैं, वैसे ये लम्बे बैठते हैं। करना कुछ नहीं होता है, आपको एक complaint fix करनी है, employer आएगा, employers जबाब देगा, आप वार्ता कराओगे नहीं, वार्ता होती नहीं है, send the failure repor and thereupon the matter will be referred, लेकिन आम तौर पर इसे तीन-चार साल लगते हैं, conciliation के अंदर। कुछ नहीं होता उसमें, dates पड़ रही हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने '95 के अंदर एक मामले के अंदर यह कह दिया कि ये जो reference का मामला है, cases of termination individual cases, that is useless and they have given a direction in the year 1995 to all the state govts. to amend the law, so that the workers may directly approached the labour court, industrial tribunal without; any reference; it was pronounced in the year 1995. No govt. has done this, no amendment has been made. Why trade unions do not take this issue? इससे ये चार-पांच साल का reference का ये जो है, वो खत्म हो जाता है, तीन-चार साल reference, यहां लगते हैं conciliation में, कम से कम दो साल लगते हैं reference होने में। ये सारा टाइम (प्र. बच जाएगा।) ये किसी भी ट्रेड यूनियन का काम है तो। क्यों नहीं करते इस काम को। No trade union has taken it serioulsy, except passing of resolutions.

अभी-अभी राजस्थान एटक का हो गया सम्मेलन, एक resolution हमसे रखवा दिया। पास कर दिया। उससे क्या हुआ? इस मुद्दे के ऊपर तो किसी भी ट्रेड यूनियन आर्गेनाइजेशन को निरोध हो ही नहीं सकता। (प्र. हो ही नही सकता; this is a very serious issue); very serious issue; (प्र. Is it not the reversal of the whole gains that have been.....?) इसी ढंग से Payment of Wages Act में भी है कहीं, इसमें संशोधन की आवश्यकता है, लेकिन ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि दो राय हो ही नही सकती, सभी ट्रेड यूनियने आ सकती हें, इसको श्रवपद करवाना चाहिए, करते नहीं, तो एटक को सोचना चाहिए, और इसमें केवल ट्रेड यूनियन वर्कर्स ही नहीं, इसमें दूसरे लोग भी, लीगल प्रोफेशन के लोग भी इसमें शामिल होंगे, हमको मालूम है कि इसमें क्या दिक्कतें आ रही है। When Supreme Court has directed कि भई आप बिना reference के directly चले जाओ, फिर क्या तकलीफ है? अगर ये सीधे चले जायें तो मैं कहता हूं इसमें एक revolutionary परिवर्तन हो जाएगा। कैसे आज मुझे terminate किया, कल मैं चला गया लेबर कोर्ट के अंदर। लेबर कोर्ट में जा के and I will pray for stay, fo my termination; labour court ज्यादा से ज्यादा ये कह देगी कि मुझे पॉवर नहीं है, यही कहेगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कहेगी। वो आगे सुप्रीम कोर्ट तक जा के यह तय हो जाएगा whether सुप्रीम कोर्ट has power of stay or not (प्र. Can a worker go directly to Supreme Court?) हाई कोर्ट में चला जाएगा। Incidently question है, ऐसा है लेबर कोर्ट को पावर नहीं है कहीं पर भी कि आप stay दोगे, लेकिन लेबर कोर्ट का जो procedure लिखा हुआ है उसमें ये लिखा हुआ है कि लेबर कोर्ट वो procedure adopt करेगा जो केस को निपटाने में मुफीद समझेः will and adopt the procedure according to the circumstances. तो circumstance में आ जाएगा ये। क्यों नहीं आएगा? अगर आप मुझे आज terminate करते हैं, कल मैं वहां जाता हूं

तो stay की गुंजाइश ज्यादा हो जाएगी। तो जब stay होती है तो मेरी नौकरी तो महफूज हो गई। ओर मान लीजिए stay नहीं भी करता है। वो तो expeditions disposal हो जाएगा उसका। That will save me also from starvation, and that will save the employer also from back wages, क्यों back wages वो दे दें अगर लम्बा मुकदमा चलता है तो, मुकदमा shorten हो जाएगा। ये amendment के लिए ट्रेड यूनियन्स को तो करना चाहिए। लेकिन मैं जो समझता हूं (प्र. Because have to go through so many stages in labour court and tribunal and all that.....), बहुत मुश्किल काम है, in many matters, even for reference and raising industrial disputes, he cannot go straight away..... (प्र. To the labour court?), for conciliation also (प्र. for conciliation also?) yes, (प्र. domestiv enquiry....) no, no, say for example, case of regulairsation , I have to go for case of punsihsment, except termination, I have to go through a union, Union will raise the dispute. तो एक दृष्टि से तो यूनियन मजबूत हो रही है, के भई आदमी यूनियन बनाने के लिए मजबूर है, अपना मामला उठवाने के लिए। दूसरी दृष्टि से, और हकीकत में आप देखें तो पॉकेट यूनियन्स लोगों ने बना ली हैं, और उन पॉकेट यूनियन्स की मार्फत कमा रहे है। आप तो directly जा नही सकते, you come to me. इससे बचना चाहिए और बचाना चाहिए।

लेकिन बेसिक इश्यू उठते नहीं है, क्यों नहीं उठते, उसका कारण.....।

प्र. एक सवाल करना था, वो थे कि एक तो आपने बताते हुए बीच में कहा था कि जो कन्सट्रक्शन लेबर था, इनको ऑर्गनाइज करने के लिए आप, मतलब on the basis of जहां-जहां जमा होते थे वहां करते थे; जरा-सा इसको कैसे करते थे इसको बताएं।)

उ. Daily ये हमेशा ये लोग चौराहे पर इकट्ठे होते हैं। उसका आप मंडी कह दीजिए। वो मंडी में बैठे हैं के कोई आवे उनको hire करे। तो जो hire करने के लिए आएगा, hire हो गया तो वो चला जाएगा नहीं तो बेकर बैठा रहेगा, खेल खत्म है उसका। तो इन मंडियों के अंदर morning hours में, say upto 9-30 and 9; तो ये सब चौराहे पे इकट्ठे होते हैं, तो उस वक्त हजार, पांच सौ सात सौ लोग इकट्ठे होते हैं। हमारा वर्कर जाता है वहां, और हम मीटिंग भी चौराहे के हिसाब से करते हैं, जैसे फैक्ट्री के गेट्स पर गेट मीटिंग होती है वैसे हमारी वहां पर मीटिंग हो जाती है। (प्र. चौराहा मीटिंग.....), चौराहा मीटिंग हो जाती है। चौराहे के हिसाब से उनकी एक कार्यकारिणी बनी हुई है। हर चौराहे के ऊपर। (प्र. कार्यकारिणी बनी हुई है?), कार्यकारिणी बनी हुई है। हर चौराहे के ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है : पत्थर मजदूर यूनियन, जोधपुर, चौराहे का अध्यक्ष और यूनियन का सेक्रेटरी कौन है। (प्र. बोर्ड लगा हुआ है, अभी भी?) अभी भी। चौराहे के ऊपर लगा हुआ है। उस पर और कोई information देनी होती है तो खाली जगह हम, ब्लैक बोर्ड है, उस पे लिख देते हैं, बाकी ये सब उस पे बाकायदा लिखा हुआ है।

तो एक contact स्थान हो गया कि भई यूनियन वाला यहां मिलेगा ही। तो फिर हम इन सब को बुला के

मीटिंग अगर करना चाहें तो फिर हम मीटिंग करते हैं। रात को छः बजे तक काम पे रहते हैं, फिर हम इनकी मीटिंग करते हैं, common problems के लिए। अभी हमने, कां. ठाकुर आए थे यहां पे, (प्र. कां ठाकुर?) ए आई टी यू सी के (प्र. अच्छा हां सत्यनारायण), तो हमारा जुलूस था यहां पर, काफी लम्बा-चौड़ा, address करने के लिए आए थे। (प्र. ये प्रेक्टिस ये तरीका कब से अपनाया गया?) ये चौराहे वाला तरीका तो करीब 5-7 साल ही हुआ है। पहले centralised था, और शहर छोटा था। अब geographically शहर बड़ा हो गया है। तो सब लोग एक जगह आ नहीं सकते। तो इसलिए हमको जाना पड़ता है। जहां अपन बैठे हुए हैं, यहां से हर चौराहा एकाध चौराहा के अलावा, हर चौराहा कम से कम पांच किलोमीटर, चार किलोमीटर दूर है। तो पहले, तो इसलिए हमने चौराहों के हिसाब से कर दिया। (प्र. राजस्थान में और भी जगह ये तरीके अपनाए गए है?) नहीं, राजस्थान में..... (प्र. यह पहली बार सुन रहा हूं मैं, चौराहे पर इस तरह से.....) इसी ढंग से ऑटोरिक्शा स्टैंड पर सब जगह बोर्ड लगे हुए हैं, in each and every place. ऑटोरिक्शा स्टैंड, इतनी गाड़ियों के, दस वाहन, पांच वाहन। कुछ स्टैंड नगर परिषद् की तरफ से लिखे हुए हैं, कुछ नगर सुधार व्यास की तरफ से लिखे हुए हैं, कुछ यूनियन की तरफ से लिखे हुए हैं, लेकिन हर स्टैंड के ऊपर।

(प्र. अच्छा एक और पूछना था कि यहां जोधपुर और इस एरिया में कपड़े की छपाई का काम काफी होता था पहले, उनके वर्करों का भी कोई संगठन....), इनका संगठन बनाने की कोशिश थी, हमारा कोई संगठन है नहीं, वो कोशिश कामयाब नहीं रही। उसका मुख्य कारण ये है कि ज्यादातर जो लेबर ये engage करते हैं वो बाहर का है, बिहार का है। (प्र. बिहार का? अच्छा), वो बिहार का लेबर है और उसको कान्ट्रकट बेसिस पर रखते हैं, और क्योंकि वो कान्ट्रकट बेसिस पे है और बाहर का है, इसीलिए उसके आर्गेनाइज़ होने में थोड़ी तकलीफ है। जो लोकल लेबर है वो आस-पास के गांवों का है जो सीजनल टाइप चलता है। जब फसल का टाइम होता है, वो चला जाता है, तो उसकी continuity रहती नहीं है, और वो भी contract basis पे है। इसीलिए.....?. .... हालांकि ये इंडस्ट्री ये भी करीब-करीब डाउन होती जा रही है, खत्म हो रही है। (प्र. नए तरीके.....), नए तरीके और ये compete नहीं कर सकते। ऐसा है कि जो अभी यहां तो रंगाई-छापाई होती है, जो माल बना हुआ है ये उसको छापते हैं। तो इसका मार्केट जो है वो यू पी और बिहार और उसमें है। अब क्या है कि (प्र. यू पी बिहार में है इसका मार्केट?) - जोरदार। अब वो सब जाता था गांवों में, अब के सब था टेक्सटाइल इसके ऊपर, कॉटन के ऊपर। अब पालिस्टर वगैरे ज्यादा आ गया है, तो वो भी खत्म हो गया, उसकी मांग खत्म हो गई। अब finish की तरफ बढ़ रहा है.....। बिजली घर कर्मचारी यूनियसन के नाम से एटक की यूनियन है। ये यूनियन भी दूसरे नाम से पहले बनी थी, आजादी के पहले। (प्र. आजादी के पहले?) हां, दूसरे नाम से बनी थी, उसके बाद में जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बन गया था तो बिजलीघर कर्मचारी यूनियन के नाम से, ये एक strong union है। इसकी एक करीब 82 दिनों की हड़ताल हुई थी। (प्र. 82 दिनों की हड़ताल? कब?) 1982 में, बहुत बड़ी हड़ताल थी; लेकिन अब काफी संकट का दौर चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के टुकड़े हो गए, और टुकड़े हो जाने के

बाद में एक दौर बीच में कुछ महीनों पहले ऐसा आया था कि लोग ये समझते थे कि इसका क्या होगा? कोई सिक्योरिटी नहीं हे, लोगों ने वी आर एस ले ली है इसमें, voluntary retirement ले के काफी लोग चले गए। काफी लोग चले गए, लोगों की समझ ये बनी कि पता नहीं क्या होगा, पेंशन मिलेगी नहीं मिलेगी, लोग छोड़ के चले गए, और अभी भी uncertainty है, हालांकि सरकार ने ये गारंटी दी है आपकी सेवा और नियमों में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन गारंटी का मैं कोई महत्व नहीं समझता, क्योंकि अब तो ये पांच कम्पनियां हैं न।

(प्र. पांच कम्पनियां....), पहले इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक था, उसकी जगह कम्पनी हो गई अब, जैसे जोधपुर की एक कम्पनी हो गई है, 'जिस्कॉन' कहते हैं उसको। तो उस जिस्कॉन का एक एरिया बना दिया है। अब दरअसल में सरकार की पॉलिसी ये है कि इस जिस्कॉन को वो नीलाम करेंगे। (प्र. नीलाम करेंगे?) जो ज्यादा पैसा देगा उसको सुपुर्द कर देंगे, जैसे disinvestment चल रहा है न? वो तरीका है ये। They are waiting. (प्र. अभी कोई.....) हां, अभी कोई बैठ नहीं रहा है। ये उसको, उस तरफ बढ़ रहे हैं। ये मल्टीनेशनल को invite करेंगे, टेंडर देने के लिए, और अरबों की प्रॉपर्टी है, चली जाएगी। मतलब आप देखिए कि बिजलीघर हैं, सब-स्टेशन्स हैं, ऑफिसेज हैं, इतनी huge properties हैं, इनके पास में, immovable properties ये सब कौड़ियों के भाव जाएगी, क्योंकि जिस वक्त ये land ली गई थी, say in the time of pre-independence India, सौ रूपये, दौ सौ रूपये में जमीने इनको दी गई थीं, book value क्या थी उसकी? सौ रूपये?..... बुक वैल्यू ये चलेंगे...? तो ये अरबों की प्रोपर्टी चली जाएगी। (प्र. for nothing.....) for nothing, और कोई सुधार नहीं हो सकता है उसमें।

लेकिन यूनियनें सब संकट में है, पहले केशिश की गई थी कि RSEB, इस बटवारे को विरोध किया जाए, सामूहिक रूप से। तो इंजीनियरस जुड़े, एटक जुड़ी, बी एम एस जुड़ी इंटक भी जुड़ी; वो कुछ अर्से तक चले, फिर इंटक अलग हो गई। इनके साथ चली गई, सरकार के साथ में, कांग्रेस की सरकार है। बी एम एस अलग हो गई क्योंकि केंद्र के अंदर बी जे पी की सरकार है, तो वो सरकार.....सीटू इलेक्ट्रिसिटी में नहीं है। अब पावर इंजीनियर्स और एटक और जो बराए-नाम दूसरी यूनियनें हैं, वो लेकिन अपन की पूरी ताकत बनती नहीं है। बहुत मुश्किल हालत में है। बाकी पैसे ये बहुत स्ट्रोंग यूनियन है, जोधपुर में इसको कह सकते हैं कि सब यूनियनों की जन्मदाता थी ये। (प्र. अच्छा?), और ये सरकारी कर्मचारियों की जितनी भी हड़तालें होती थीं, इनकी स्टेज बिजली कर्मचारी यूनियन ही लगाती थी। (प्र. ओह?!) और इनका रोल रहना important था, जैसा मैने आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों की स्ट्राइक होती है, राज्य कर्मचारियों की स्ट्राइक होते हैं, हम तो ये घोषण करके करते थे कि आज हम फलां का भाषण करेंगे जिसके पुलिस चाहती है। उसमें बिजली घर यूनियन का रोल इतना जबर्दस्त होता था कि, हमारी टेकनीक थी, ज्योंही वो पर्टीकुलर साथी बोला, उसने भाषण खत्म किया, तो फिर बिजली गुल होती थी! (loud laugh.....) ये बिजलीघर यूनियन का रोल था। (प्र. Strategic role था!.....) ये रोल था (प्र. त्योंही बिजली गुल!.....) बिजली गुल हुई, पुलिस सकते में आ गई कि ये क्या हो रहा है, जबतक

वो गायब! (laugh.....) अच्छा रोल था इनका, लेकिन आज के हालात थोड़े कमजोर हो गए हैं।

(प्र. आपने एम्पलायर साइड से भी कभी कोई केसिस लिए हैं?)

उ. नहीं मैने एम्पलायर साइड से कभी appear नहीं होता, as a matter of policy and convicition , क्योंकि मैं यह समझता हूं कि कानून का मुझे जो भी ज्ञान है, उस ज्ञान का लाभ शोषित वर्ग को मिलना चाहिए। मैं '59 से इस वकालत के प्रोफेशन में हूं। '59 से आज तक मैंने किसी एम्पलायर साइड से मुकदमा नहीं लड़ा, हालांकि एम्पलायर साइड से मुकदमें की ऑफर बहुत आती है और पैसा भी अच्छा देते हैं, और कई बार ऐसी situation होती है कि आप उनको इन्कार नहीं कर सकते, क्यांकि आप, इसी शहर में रहने वाला मेरा एक दोस्त है, उसीकी एक फैक्ट्री है, उसका एक मुकदमा है। वो मुझे ये कहता है मैं तुम्हारे कम्युनिस्ट पार्टी के इलेक्शन में फंड देता हूं, तुम्हारे कम्युनिस्ट पार्टी के लिए मैं तालियां बजाने के लिए भी कभी-कभी आता था। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, ये कैसे हो सकता है कि मेरा मुकदमा नहीं लड़ोगे; हालांकि वहां पर हमारी यूनियन नहीं है; हमारा उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे हमारी यूनियन है या नहीं है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो एक एम्पलायर है, हम एम्पलायर का मुकदमा नहीं लड़ते। (प्र. एक भी नहीं लड़ा आज तक.....?) एक भी नहीं लड़ा, लड़ने का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि मेरी यह समझ है कि मजदूरों को, मजदूरों के पास में काननू जाननेवाले लोगों की कमी है जो उनका मुकदमा सही लड़ सकें। दोनों साइड से जो मुकदमा लेगा वो कभी सही मुकदमा नहीं लड़ सकता क्योंकि एम्पलायर साइड से जो मुकदमें लड़ने के दुर्गुण हैं वो उसमें जरूर आएंगे। एम्पलायर साइड से जो मुकदमा झगड़ता है वो मुकदमों को लम्बा करना, technical objection लेना, और जो latest फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्टों के मजदूरों के खिलाफ में उसका इस्तेमाल करना। ये कैसे हो सकता है कि एक वकील एम्पलायर साइड से तो उनका इस्तेमाल करे, और जब वो वर्कमैन साइड से खड़ा होगा तो उसका जवाब कैसे होगा? मेरे पास में एक मुकदमा था। मैं बैठा था लेबर कोर्ट के अंदर। मेरे खिलाफ में जो पार्टी था वो पार्टी, जो मुकदमा चल रहा था, उसमें वो वर्कमैन का वकील था। तो वर्कमैन साइड से वो बात कर रहे थे, और argue कर रहा था, मैं बैठा हुआ था। वो केस खत्म हो गया, और मेरे केस का कॉल हुआ और मेरी टर्न आई, तो मुझे कहा कि भई बहस करो। मैंने कहा, अभी जो इन्होंने वो opposite counsel, employers side से वो था, मैने कहा अभी जो इन्होंने बहस की है वो मेरी बहस है, खत्म! मुझे और कुछ कहना ही नहीं है (....लाफ.....); Let him reply now, and face the music! (.....लाफ.....) इसीलिए मैं समझता हूं कि ऐसा करना उचित भी नहीं है। (प्र. मतलब एक ही केस में था वो, the case was the same.....), नहीं, the point involved in the case was the same, प्र. और वो जो बाते बोल रहा था वो वर्कर के.....) भई देखो, वर्कमैन साइड से जिस मुकदमें में appear हो रहा था उस मुकदमें और मेरे मुकदमें में एक set of facts, तो उसमें वो employee की तरफ से बोल रहा था और मेरे मुकदमें में उन्हीं मुद्दों के ऊपर वो मेरा विरोध कर रहा है employers side से। (प्र. Just next.....), next, just by chance, coincidence..... उससे कुछ होता नहीं है, और दूसरा ये है कि मैंने ये भी देखा है, कि जब,

जैसा मैं appear होता हूं सिर्फ employees side से तो कोर्ट, जजों के ऊपर उसका असर पड़ता है, वो मुझे employees का वकील ही मानते हैं। (प्र. Moral एक ये.....) हां, और कई ऐसे मुकदमें आते हैं, कोर्ट के सामने आते हैं, मैं पीछे बैठा होता हूं, तो कहते हैं अरे ये तुम्हारा मुकदमा तो नहीं है। (.....लाफ....) हमारा कोई लेना-देना नहीं है। और हम लोग, जैसा मैने आपको बताया, हम लोग conciliation level से आते हैं, बहुत diffiucult काम है, conciliation, conciliation से लेबर कोर्ट, लेबर कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से फिर हाई कोर्ट में अपील; चार स्टेजेस..... बहुत कठिन काम है)

(प्र. आप क्या समझते हैं, ये जो पूरे आपके experience में ये जो legal machinery है, इसने labour movement, trade union movement, and workers' interest को हेल्प किया है? ओर किसी तरह से हेल्प किया है, अगर किया है तो?)

उ. मै ये कहुंगा कि ये एक (प्र. evolve हुआ.....) हां स्टेज to स्टेज ये evolve हुआ। जब industrial disputes act नहीं भी था, और कई provisions जो अभी हैं वो नहीं industrial disputes में थे, तब भी कोर्ट्स ने कुछ राहत दी in the matter of termination, जैसे आपको मांग पत्र पेश करते हैं, general demand charter करते हैं पेश, कानून में थोड़े ही है, वर्दी दो, छुट्टी दो, wage-rise करो, wage revise करो, कानून में थोड़े ही है। ये evolve किया है, और इसमें कोर्ट्स ने कई principles by down कर दिए हैं। उसके आधार पे वर्किंग क्लास को काफी फायदा हुआ है। ये कानून ने दिया है, और एक phase कानून में ऐसा आया था जब जस्टिस डी ए देसाई और जस्टिस कृष्ण अय्यर ये तो उन्होंने सेक्शन 25-एफ, industrial disputes act में retrenchment की definition, (प्र. 25-एफ क्या हुआ?) 25-एफ एक प्रक्रिया है कि आप कैसे निकालोगे? (प्र. अच्छा, जैसे उसी....) ; नहीं, नहीं। 25-एफ क्या होता है कि आपको अगर किसी को retrench करना है तो retrenchment का एक procedure होता है। They are proconditions for making retrenchments, you have a right to retrenthcmnt but how retrenchment will be effected, it is governed by certain condition precedent, and courts have held, in case these conditions have not been fulfilled, and they are violated, then the retrenchment is.....? So the termination goes. तो कृष्ण अय्यर ने retrenchment क्या चीज है, एक तो ये, इसको define किया कि किस प्रकार का termination retrenchment नहीं है, किस प्रकार का retrenchment है। इसको lay down किया।

(प्र. Quuite imprtant) बहुत wider हो गया है retrenchment की definition, अगर disciplinary action ले के नहीं निकाला है या आपका contract particular period का नही या तो that will amount to retrenchment, तो करीब-करीब हर प्रकार का termination retrenchment हो गया। अब 25-एफ में क्या है कि उस retrenchment effect करने के पहले if the workman has completed 240 days in a prticular year in that year preceding the termination, आपको उसको नोटिस देना पड़ेगा। नोटिस नहीं देते हो तो उसके, in

liven of notice, you have to pay one months salary, and some 5..... (प्र. Permanent worker.....), no, no no, daily wages, daily wages (प्र. even in 240 days?); so this law was laid down in specific terms by Justice Iyer. ये चला इतने लम्बे टाइम तक और ये हो गया कि if the retrenchment is not made in accordance with requirements of Section 25-F, then termination will go and reinstateement will automatically follow, and back wages will also automatically follow. So what will happen? Reinstatement with back wages, with entire back wageds, because they have also laid down that if the employee is not gainfully employed, then you have to give him back wages. Whether he is gainfully employed or not, the onus, the burden lies upon the employer. This was the law laid down by this, Krishna Iyer, etc, but now the court has said that daily worker has no right to be reinstated even if he has been terminated or retrenched in violation of Section 25-F, even if it is not true that he was gainfully employed, then also no, back wages is not necessary.

(प्र. : ओ, बिल्कुल.....) उल्टा हो गया, शीर्षासन हो गया, completely शीर्षासन हो गया। Daily wages के लिए regularisation का कर दिया। Once upon a time, कह दिया था कि तीन साल अगर किसी ने काम कर लिया है, that is enough experience, and therefore their services should be regularised, but now what they say? They say that this amounts to backdoor entry!

(प्र. bacdoor entry?) yes, and if he has not been appointed through certain procedures, by calling his name form employment exchange etc etc, then he cannot be regularised. So, that amounts to backdoor entry. Even in cases where a worker has worked for 20 years, the Supreme Court has said, no, he cannot be regularised. (Q. Supreme Court has said...?) yes, already said; now what will happen to thousands of presons who are working on daily wages. (Q. That is, legal battle is very important.....?), very important. Now in the matter of disciplinary proceedings the Court has said that at the Labour Court or even the High Court, they have no power to interfere in the punishment unless the punishment is totally out of proportion. So, it is now what is the law laid down? That to punish is the prerogative of the management. Courts cannot interfere, except in very very rare cases. So what will happen?

Unorganised Labour की जो बात चल रही थी, उस context में आप देखो के जो बैल-ठेला चलाते हैं तो इनकी कोई यूनियन नहीं थी। (प्र. बनी नहीं थी ? पहले भी ?) नहीं थी, इनकी कुछ प्रोबलम थी। उस वक्त प्रोब्लम ये थी इनकी कि पुलिस ने वन-वे कर दिया और ये रूकावट कर दी कि इस पर्टीकुलर आवरस के अंदर बैल-ठेला शहर में नहीं जा सकता; तो बैठ-ठेले वालों को ट्रांसपोर्ट कम्पनियों से या ट्रकों से माल ले के और शहर के अंदर

जाना पड़ता है, दुकानवालों को देने के लिए। तो जब खुली हुई हो, उस वक्त ये नहीं जावेंगे। तो फिर इनका काम नहीं चल सकता। तो इनकी एक मीटिंग हुई। मीटिंग होकर यह तय हुआ कि हम एस.पी. से बात करेंगे। उस वक्त एस पी सुधीर प्रताप सिंह थे। निहायत ईमानदार आदमी, and a very good officer हमने ये प्रोब्लम रखी। उन्होंने कहा; तो हम लोग एस पी से मिले, सुधी प्रताप सिंह से। उन्होंने हमको बताया कि जिनका ये माल ले के जाते हैं उन व्यापारियों ने ये मांग की है कि टाइम का restriction लगा दो, ये नहीं आंएगें, और इत्तेफाक से आज मैंने सिटी पुलिस थाने के अंदर व्याापारियों की एक मीटिंग रखी। वैसे वो इस प्रकार की मीटिंग जनता की रखते थे। उन्होंने कहा, आप भी आ जाओ, आप भी बता दो, दूसरे लोग भी बता देंगे। तय कर लेंगे। अब हम बैल-ठेलेवाले 70-80 की तादाद में थाने में पहुंचे, मीटिंग में बैठे, कुर्सियों पर बैठे, बैल-ठेले वालों की ओर से मैं बोला।.....? वहां पर सब जो लोग बोले, वो हमारे खिलाफ में बोले, मतलब बैल-ठेलेवालों के खिलाफ। एस पी मौजूद है। समस्या तो हम ले के गए कि हम इनको कुछ राहत दो। सब हमारे खिलाफ में बोल रहे हैं। जो व्यापारी नहीं है और जो वकील था..... वो भी हमारे खिलाफ मे बोले, लेकिन आदमी सही थे और हम लोगों के भी, हम लोगों के बारे में उनकी धारणा सही थी कि ये जो मामला लाते हैं वो सही है, तो उन्होंने वहां पर इस सबके बावजूद ये नहीं कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे। बाकी तो हाथोंहाथ ये ही कहना चाहिए था कि ये नहीं हो सकता, सब लोगों की तरह, इसको खुला रखो। दूसरे दिन हम गए। मैंने कहा, साहब वो विरोध-विरोध। सब हो गया, ये गरीब आदमी कहां जाएगा? उनको राहत दो आप। उन्होने कहा देखो, मेरी व्यक्तिगत राय भी यही है कि इनको, ये restriction तो रहना चाहिए, और इसको हटा दिया तो ट्रैफिक खराब हो जाएगा। हम लोगों ने insist किया। उन्होंने कहा कि मेरी राय तो मैंने आपको दे दी, उस राय के बावजूद उन्होंने हमारी बात को माना। (प्र. अच्छा! वाह!), ये सब आटोरिक्शा के जो लीडर्स ये उनकी छवि थी, उसकी वजह से हुआ! एक ऑफिसर कह रहा है कि इसको करना मैं खुद भी नहीं चाहता, मेरी राय खिलाफ में है और इसे बिगाड़ा होगा, इसके बावजूद उन्होंने किया। ये किसकी छवि है? ऑटोरिक्शा यूनियन की जिसके बारे में लोग ये कहते थे कि ये तो बेकार के लोग हैं खराब लोग हैं, उनके बारे में.....। (प्र. दुकानदारों का प्वायंट क्या था, कयों ये ठेला नहीं आना चाहिए?) ऐसा होता है कि शहर की जो सड़कें हैं वो संकरी हैं। फिर उन दुकानों के आगे लोग अपनी साइकिल और वाहन रखते हैं। उसके ऊपर उन्होंने चबूतर बना दिए हैं। उस चीज को कैसे छिपाना? जब पुलिस आ रही है, इन्होंने कहा कि भई ट्रैफिक हम सही करेंगे, तो सही ट्रैफिक करना चाहे तो वो देखता है कि अगर यार ठेले ही नहीं आएंगे तो ट्रैफिक ठीक ही चलेगा। और ये ठेलों का आना-जाना होगा तो इनकी नजर हमारे चबूतरों पर पड़ेगी, तो चबूतरे हटवा दें। इसलिए विरोध था।

(प्र. और सप्लाई वगैर का मामला, सामान जो उनकी दूकानों में सप्लाई होता.....?)

उ. Odd Hours में रात को! Odd Hours में। मजदूर कहां जाएगा? दिन भर क्या करेगा? बैठने नहीं जाएगा तो और कहां जाएगा? कमाई का साधन ही है उनका वह।

(प्र. एक तो ये कि ये ट्रेड यूनियन यूनिटी के बारे में : जैसे शुरू से ही जैसे late 40s-early 50s में एटक में splits हुए, इंटक बना, एच एम एस बना, खुद एटक के अंदर एक अलग लाइन आई, इसके बाद फिर से revival हुआ, आगे चलकर के कई तरह की दूसरी ट्रेड यूनियने, 1970 में आपकी सीटू बनी, खासकर राजस्थान में उसको लेकर के समस्याएं पैदा हुई; तो इन सब के बारे में आपके क्या अनुभव हैं, कैसे आपने एटक को बचाने की कोशिश की, कैसे face किया इन सारी..... आपका क्या अनुभव रहा.....?)

उ. जो भी splits हुए उन splits का स्थानीय लेवल के ऊपर तो कम असर पड़ा। नहीं के बराबर असर पड़ा, क्योंकि उस दौर में जोधपुर में एकमात्र एटक ही थी। कोई दूसरी यूनियन की पैदाइश ही नहीं थी। इंटक जो बनी, बहुत late stage में बनी और वो भी केवल एकाध सरकारी विभागों में। प्राईवेट सेक्टर में उसका नाम नहीं था। सीटू बनी ही नहीं यहां पे उन दिनों। क्योंकि इसका मुख्य कारण ये था कि जब, क्योंकि सीटू का प्रादुर्भव तो कम्युनिस्ट मूवमेंट के split के कारण ही हुआ। जिन लोगों ने सी पी एम ज्वाइन की थी, उन्होंने सीटू बनाई, लेकिन हमारे यहां पर जब कम्यूनिस्ट पार्टी में split हुआ तो पूरी कम्युनिस्ट पार्टी में और न ट्रेड यूनियन्स में कोई split हुई। अब सीटू जो बनी है यहां पे वो बनी है अभी समझ लीजिए मुश्किल से 10 साल। (प्र. दस साल?), मुश्किल से.....?) मोहन पूनानिया का यहां कुछ नहीं था। यहां कुछ नहीं था मोहन पूनानिया का। उनका कोई नाम लेनेवाला नहीं था। एक छात्र थी एटक यहां पे, और यहां जो सीटू बनी है और अभी जो बनी हुई है उसका मुख्य कारण ये है कि ये सीटू वहीं पे है जो कि किसी ऑल इंडिया आर्गेनाइजेशन की यूनिट है, independetnly कोई यूनियन नहीं है। जैसे मेडिकल रिप्रेसेन्टेटिव्स की एक यूनियन है, तो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेंशन का है, इस वजह से उनके ऑर्गेनाइजेशन को आप सीटू कह सकते हैं। इसी प्रकार से इनका ऑयल इंडस्ट्री के अंदर कोई यूनियन इनकी बनी हुई है तो उसकी एक शाखा यहां पर बनी हुई है। अभी इन्होंने पिछले महीने एक दैनिक कामगार यूनियन बनाई है। अब ये यूनियन कैसे रजिस्टर हुई है, हुई है नहीं हुई है, मैं पता करूंगा। हो नहीं सकती क्योंकि यूनियन हमेशा एक धंधे, इंडस्ट्री से होती है, दैनिक कामगार की नहीं हो सकती। तो ये इनका पहला प्रयास मुझे दीखता है जिसमें कि ये शाखाओं वाला यूनियन से बाहर निकल के independent कोई यूनियन बनाना चाहते हैं। नहीं तो शाखाएं वाली यूनियन है वो को as such सीटू को रिप्रेजेन्ट नहीं कर रही है। और इनकी तादाद भी कम है। ऑल इंडिया में मुश्किल से बीच-पच्चीस लोग होंगे मिला के, एम आर कोई सौ-डेढ सौ लोग होंगे। ये टोटल सीटू है।

लेकिन मोहन पूनामिया ने जो यूनियन बनाई थी, जो अलग से सीटू बनाया था, सीटू बनने के बाद में सीटू में split हो गया था, और 'राजस्थान सीटू' बनी थी, उस राजस्थान सीटू में एक - दो आदमी हैं जो हमारी पार्टी में थे आरूैर एटक में थे। उन्होंने राजस्थान सीटू बनाई। हमने उनको निष्कासित किया। तो पहले वो independently चलते रहे, और उसके बाद में मोहन पूनामिया ने उनको पकड़ लिया। ये भी कोई न कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहते थे। तो यहां पर जो राजस्थान सीटू बनी हुई है उसकी कुछ ताकत भी है, प्राइवेट सेक्टर

के अंदर। वो कोई split की वजह से नहीं है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जिसको हमने निष्कासित किया था उसने बाद में राजस्थान सीटू ज्वाइन कर ली। उसके बाद में उसने काफी दिनों से कोशिश की सीटू वगैरह में प्रवेश ले के लेकिन लोकल सीटू चाहती नही है, इसलिए वो बैठा हुआ है राजस्थान सीटू में। मोहन पूनामिया की death के बाद में they have become leaderless. (प्र. राजस्थान सीटू ऑल इंडिया सीटू से अलग है?) जो सीटू है ऑल इंडिया की वो तो सी पी एम के पास में है। राजस्थान सीटू टूटी सीटू से, और इसी प्रकार जब और भी जगह split हुए हैं। तो इन्होंने कोई ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, टूटे हुए लोगों का। एक कोई संगठन बना रखा है। उस संगठन का जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट है, वो हमारे यहां का है, जोधपुर का, को साथ में सामने बैठता है (.....लाफ.....) (प्र. हां, बोर्ड लगा हुआ है.....) हां। वो ऑल इंडिया का प्रेसिडेंट है।

(प्र. क्या नाम उनका?)

गोपीकृष्ण।

(प्र. यहां की विशेषता है यह)

तो इसलिए ये कोई, यहां कोई split नहीं है।

(प्र. अच्छा, एच एम एस का क्या रोल रहा?)

उ. एच एम एस as a संगठन यहां नहीं है न कभी था। एच एम एस, रेलवे यूनियन यूनियन एच एम एस यूनियन है।

(प्र. यानि?)

एच एम एस से affiliated यूनियन रेलवे यूनियन है, नॉर्थर्न रेलवे-मेन्स यूनियन। उस रूप से और ये यूनियन ताकत में है, अच्छी मेम्बरशिप है, ऑफिस रेगूलर खुलता है और recognised यूनियन है, इसलिए इस यूनियन का अपना प्रभाव है। इसके अलावा कोई एच एम एस नहीं है और वो एच एम एस already all India Federation से जुड़ी हुई है, उससे affiliated है। इसलिए, वो भी कोई एच एम एस यहां है, कोई independently organisation नहीं है, वो किसी की शाखा है।

(प्र. ये जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट में जो फूट समय-समय पर पड़ती है और इतने ट्रेड यूनियन सेन्टर्स बने हुए हैं, यहां भी, ऑल इंडिया लेवल पर भी, कम-ज्यादा जो भी हैं, ये क्यों है, कैसे इसको पाटा जा सकता है, एकता लाई जा सकती है?)

उ. बहुत मुश्किल सवाल है यह। इस फूट के या जो नए-नए संगठन बनते जा रहे हैं, चार कारण मैं मुख्य मानता हूं। पहला कारण तो है पोलीटिकल। हर पोलिटिकल पार्टी अपना फुट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। इसलिए अगर सी पी एम अलग है। और शिव सेना अपनी अलग पार्टी है तो उन्होंने भी अपनी अलग बना ली है। सेना बना दी है उन्होंने। तो हर पोलीटिकल पार्टी अपना एक लेबर विंग चाहती है। इसलिए, एक तो ज्यादा संगठन बनने का कारण पोलिटिकल पार्टी फंड ऑर्गेनाइजेशन चाहती है; एक तो कारण यह है।

दूसरा कारण है खुद सरकार। वो भी कई तरीके निकालती है, एक ही उद्योग में ज्यादा यूनियन बनाने के। जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूं। रेलवे में जब पासवान जी मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक एस सी/एस टी यूनियन बनवा दी रेलवे के अंदर। उसको recognised प्रदान करवा दिया। उसके बाद में ये बिहार के, कौन-से कुमार? ये नीतिश कुमार रेलवे मिनिस्टर हुए, इन्होनें ओ बी सी में यूनियन बनवा दी। ओ बी सी की यूनियन बना दी, recongised करवा दी।

तो रेलवे के अंदर caste-base के ऊपर यूनियन बनाई है; ये सरकार की पॉलिसी की वजह से है। जो मुख्य धारा के ऑर्गेनाइजेशन हैं उनसे अलग हैं और ये हर सूरत के अंदर मूवमेंट को नुकसान ही पहुंचाएंगें, caste-basis के ऊपर। दूसरा कारण ये हुआ।

तीसरा कारण जो लोकल स्तर के ऊपर जो फूट पड़ती है या यूनियनें बनती हैं अलग से, उसका मुख्य कारण ये है कि जो ट्रेड यूनियन लीडर एक बार जम जाता है और स्थापित हो जाता है उसके अपने निहित स्वार्थ हो जाते हैं; बनने शुरू हो जाते हैं। भ्रष्ट आचरण हो जाता है, ब्लैकमेल हो जाता है, अगर उसकी कोई पोलीटिकल लीडरशिप उसको पकड़े हुए नहीं है और उसके ऊपर कोई बंधन नहीं है तो वो ये रास्ता अपना लेता है, और क्योंकि वो एक स्टेज के ऊपर बहुत सदाम हो जाता है, और जब वो ट्रेड यूनियन में आता है तो कई लोगों का सहयोग लेता हैं सभी लोग सहयोग भी देते हैं, लेकिन उस पे जब अहं आ जाता है, self-centred हो जाता है तो वह किसी बंधन में क्यों रहेगा? उसके बंधन में रहने से उसकी आमदनी के ऊपर, उसके सौदेगाजी के ऊपर असर पड़ने लग जाता है; तो local level के ऊपर split का एक कारण यह होता है। ज्योंही आपने किसी को अनुशासन में रखने की कोशिश की और वो थोड़ा-बहुत भी स्थापित लीडर हो गया तो आपको छोड़ के चला जाएगा। एक दुकानदारी हो गई, वो अपनी शौच शुरू कर देगा।

ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर भी मेरी यह समझ है कि एक तो कारण इसका यह है कि जो जमे-जमार लीडर्स हैं, आयु अधिक हो गई है, जो हमारे veterans होने चाहिए, जो मूवमेंट veteran के होने चाहिए, वो veteran नहीं हो के वो ही मुख्य लीडर चले आ रहे हैं। उससे नई लीडरशिप नहीं आती है। जैसे मैं आपको एक-दो उदाहरण देता हूं। जैसे आप लीजिए इसको, बैंक एम्पलाईज को, बहुत स्ट्रोंग यूनियन है। इसकी लीडरशिप को आप देख लीजिए कि कितने लोग रिटायर्ड लोग हैं, और कितने लोग सत्तर की अवस्था में पहुंच चुके हैं। ऐसा नहीं है कि नए आदमी available नहीं है।

(प्र. लीडरशिप पुरानी होती जा रही है.....)

लीडरशिप पुरानी होती जा रही है, out of tune है। और ये तो biological fact है कि जो आदमी सत्तर साल का आदमी है, जब वो तीस साल का था, तब वो जो काम करता था, जो एनर्जी थी, वो आज नहीं थी, वो हो ही नहीं सकती।

इसी प्रकार से डिफेंस में आप ले लो। मैं किसी पर्टीकुलर कामरेड का नहीं कहता, लेकिन मैं जानता हूं, कॉमरेड

संतोख सिंह को जानता हूं, एटक के लीडर हैं, सब कुछ हैं, लेकिन इतने वृद्ध हो गए हैं कि काम कैसे होगा? आज दूर में आदमी जा नहीं सकता, जाएगा तो बीमार हो जाएगा, पचास प्रोबलमस हैं उसकी। तो न तो हमने ये, कहते हैं, भाषण में हम ये कहते हैं।

तो जब जो veterans हैं वो ही अगर office-bearers रह के कमांड सम्भले रहें तो नए आदमी तो आता नहीं। इसके अतिरिक्त हम लाख कोशिश कर लें, कि एटक में कि एटक और एच एम एस में, अगर पोलीटिकल पार्टीज की leanings की वजह से ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं तो जिस दौरे से अभी हम गुजर रहे हैं, इस दौर के अंदर कोई पोलिटिकल पार्टी अपनी लेबर विंग को खत्म नहीं करेगी। हम किना ही भाषण दे दें और कुछ कर दें, वो खत्म नहीं कर सकती क्योंकि उसका political influence reduce होता है, उसकी पहचान बनी हुई है कि भई एक सी पी आई के पीछे एटक हैं। ये उसकी पहचान बनी हुई है। Without AITUC CPI क्या है? इसी प्रकार से ये काम इतना आसान नहीं है। इसलिए, वो भी होता नहीं है।

अब इस मूवमेंट के अंदर जो सबसे बड़ी, जो बड़े दिग्गज लीडर्स हैं, उनकी अपनी पहचान भी अपने संगठनों से जुड़ी हुई है। तो थे भी एक रास्ते में बाधा हो सकती है। लेकिन मेरी इस पे कोई study नहीं है, इसलिए मैं कह नहीं सकता। लेकिन इसके अलावा एक कारण निश्चित रूप से ये है कि ट्रेड यूनियन्स के अंदर विचारधारा की कमी हो गई, उसकी प्रतिबद्धता है और न हम विचारधारा के बारे में लोगों को शिक्षित करते हैं। नतीजा ये है कि हमारा जो कैडर है, मैं कोई एटक के लिए ही नहीं कह रहा हूं, सभी संगठनों के लिए, सभी संगठनों की आज पोजीशन ये है कि कारखाने के गेट के ऊपर वो अपनी यूनियन का झंडा थामते हैं, इंटक का तिरंगा झंडा थामते हैं, और शहर के अंदर जाके, जब अपने मोहल्ले में जाते हैं तो रामशिला पूजन करते हैं। ये एक हकीकत है।

तो जो लीडरशिप एक झंडे के प्रति प्रतिबद्ध है, उसकी following उसके प्रति कतई प्रतिबद्ध नहीं है, बल्कि उसका रूझान दूसरी ओर है। इसलिए, ये gap हो गया है, लीडर के बीच में और उसके पीछे चलने वाले लोगों के पीछे चलनेवालों के बीच में। और ये gap लीडर को मालूम है, कि ये gap है। मुझे मालूम है कि मेरे जो पीछे चलने वाले लोग हैं वो तो उन लोगों के साथ में भी जाते हैं जो कहते हैं "गर्व से कहो हम हिंदू हैं", और अच्छा हुआ बाबरी मस्जिद को ढह दिया। ये मुझे मालूम है, लेकिन उस लीडर की भी ये समझ बनी हुई है कि अगर मैंने उसको समझाने की कोशिश की और रोकना तो बहुत दूर की बात है, समझाने की भी कोशिश की तो उसका मेरे लीडरशिप के ऊपर असर पड़ जाएगा, और वो चला जाएगा और चार को और ले जाएगा। क्योंकि दूसरी दूकान एक और खुली हुई है।

इसलिए ये रहते-रहते पोजीशन ये हो गई है कि हम राजनीति की बात अपने कैडर से करते ही नहीं है। यूनियनों की मीटिंगों का आप कभी भी परीक्षण कर लें तो समझ में आ जाएगा कि यूनियन की जो तात्कालिक समस्याएं हैं उनके ऊपर बातचीत होती है, टी ए, डी ए, बोनस, वो जो भी है, और जो देश के सामने मुख्य चीजें

हैं उनके बारे में कतई बातचीत ही नहीं होती।

आज जो देश के सामने मुख्य सवाल हैं, जो globalisation हो रहा है, WTO का आंतक है, सरकार जो निजीकरण कर रही है, disinvestment कर रही है, ऐसा नहीं है कि कर्मचारियों और श्रमिकों का मालूम नहीं है, सब उनकी नजरों से ही गुजर रहा है, सब उनसे प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन disinvestment से लेकर किसी भी सवाल के ऊपर एक्शन केवल वही करता है जो प्रभावित हो रहा है।

(प्र. और लोग नहीं कर रहे हैं.....),

और लोग नहीं कर रहे हैं। टेलीकॉम वाले अगर हड़ताल करते हैं कि निजीकरण नहीं होना चाहिए तो मैं खामोश हूं। मैं बैंक में एम्पलाइ हूं और वहां निजीकरण और disinvestment की बात आती है तो मैं बोल रहा हूं, टेलीकाम वाला नहीं बोल रहा है। तो कुल मिलाकर ये हैं कि वो लोग बोल रहे हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। और वो भी इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि वो उसको विचारधारा के तौर पर गलत मानते हैं। वो इसलिए बोल रहे हैं कि मेरी नौकरी से संबंधित मामला है।

इसलिए विचारधारा की लड़ाई है ही नहीं और विचारधारा की लड़ाई ज्यों-ज्यों क्षीण होती जा रही है, त्यों-त्यों इस मूवमेंट के अंदर वजन कम होता जा रहा हैं। एक जमाने के अंदर विचारधारा के लिए लड़ मरते थे। आज हमारे ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता है कि मेरे आंखों के सामने मेरा झंडा थामे जो आदमी चल रहा है, वो दूसरे खेमे में चल रहा हैं। इलेक्शन के अंदर वो मुझे चंदा देता है क्योंकि उसकी समझ बनी हुई है कि मैं इनको नाराज नहीं करूंगा, नाराज कर दूंगा तो मेरी फैक्ट्री में खाट खड़ी कर देंगे, इसलिए चंदा वो मुझे दे रहा है, काम वो मेरे खिलाफ कर रहा है, ये हकीकत है। (प्र. उसी इलेक्शन में....) उसी इलेक्शन के अंदर, उसी इलेक्शन के अंदर ये एक हकीकत है।

इसलिए, विचारधारा के आधार के ऊपर जो संगठन चलते थे, सरकारी संगठन तो अपने तौर-तरीके से चलते हैं। अगर कांग्रेस की सरकार है तो इंटक मजबूत हो जाएगी, मजदूरों को समझ में आया होगा कि इंटक के लीडरों को पकड़ो तो काम हो जाएगा। इसलिए, वो एक मजबूत, वो, बस काम हो जाएगा। यही बात बी.एम.एस के बारे में भी हो सकती है लेकिन हमलोग तो राज करने वाले लोग नहीं है, तो हमारी जो ताकत है वो ताकत विचारधारा की ताकत पर ही आधारित हो सकती है। जब विचारधारा की ताकत नहीं है तो लड़ाकुपन हमारे संघर्ष में नहीं आ सकता। किसी भी संघर्ष के दर मर-मिटने की बात आजकल नहीं होती क्योंकि हमारे पीछे जो चलने वाला आदमी है उसके दिमाग में भी पता नहीं यह बात होगी, नहीं होगी, मंजर होगा या नहीं होगा। (प्र. : गेप तो बढ़ता जा रहा है?) गेप बढ़ता जा रहा है। उस गेप को पाटने का कोई न कोई तो तरीका होना चाहिए। इस तरीके में भी मैं आपको कहता हूं कि सबसे बड़ी बाधा जो है वो लोकल लीडर होता है, क्योंकि ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर जो भी आप कहते हैं, आपको तो कुछ करना नहीं है। आपको तो सर्कुलर भेजना है ऑल इंडिया वालों को तो, आर्टिकल लिखना है, ये करो, ये तो एक फर्मान है, फर्मान समझ लो या आप समझ लीजिए कि आप

एक अच्छा उपदेश दे रहे हो, ये कर दो, वो कर दो, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है। आपको तो औपचारिक तौर से अगर कोई आपकी ज्वाइंट कांफ्रेंस वगैरह होती है उसमें बैठ के भाषण देते हैं। (प्र. और उसके document देते हैं....), उसके document भेज हैं, सौ-पचास आदमी आपके पास, इतने संगठन हैं, एक-एक दो-दो आदमी आ जाता है, दूसरा काम ले के आता है अपने संगठनों के, उसमें वो भी शामिल हो जाता है। तो वो कोई ताकत नहीं है क्योंकि मैं जो नीचे बैठा हुआ हूं वो अपने को केंद्र बिंदु बना के चलता हूं कि अगर ये मंदिर वाला मामला चल रहा है और मस्जिद नहीं गिरनी चाहिए, इस मामले को मैं उठाता हूं तो मेरे साथ चलनेवाले ये-ये आदमी. ..... (प्र. : आप बता रहे थे, यूनिटी के रास्ते में....) हां, जब तक विचारधारा को सशक्त करने की कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक यूनिटी नहीं form होगी। अगर हम मानते हैं कि शोषण के खिलाफ में लड़ना आवश्यक है और लड़ने से ही शोषण से मुक्ति मिलेगी, ये तो एक आम प्रोपजल है, इसमें कोई पालिटिक्स नहीं है। ऐसी चीजों को भी हम हमारे कैडर को नहीं समझाते, क्योंकि हम केवल इक्नामिक में फंसे हुए हैं जो इश्यू होता है उस इश्यू पे बात करते हैं, बाकी इश्यू की हम बात नहीं करते। इसका मैं एक तजुर्बा बताता हूं। यहां पे कर्फ्यू लगने के बाद में, बी.जे.पी. का राज था, तो दो लड़कों को पकड़ा गया, अल्पसंख्यक थे। उनके घर से एक बम बरामद हुआ, पकड़ लिया। अब उस बम कांड, अब मैं उसको बम कांड कहता हूं, उस बम कांड पे सैकड़ों नौजवान अल्पसंख्यकों को पकड़ लिया गया। सब भयभीत हो गए। हमारा एटक का एक कार्यकर्ता, वो मुझे मिला कोर्ट में, मैंने पूछा भई क्या हाल-चाल है? रोने लग गया : मैं तो गिरफ्तार हुआ हूं बम कांड के अंदर, और उसने अपना कपड़े अलग करके बताया कि छलनी-छलनी हो गया पूरा शरीर उसका, (प्र. अच्छा?), मार उसको पुलिस ने, (प्र. इतना मारा?), इतना मारा, और ये समझ में आया कि सबको मारा। तो मेरे दिमाग में आया कि इसका कुछ करना चाहिए। तो मैंने उसको ये कहा कि शाम को पांच बजे मैं प्रेस कांफ्रेंस रखता हूं, तू आ जाना, और अपना शरीर बता देना, बस, ओर मुझे कुछ नहीं करना। मैंने प्रेस कांफ्रेंस रखी। वो एटक का मजबूत कार्यकर्त्ता है, वो आया ही नहीं! (प्र. आया ही नहीं?) घर पे भेजा। घर में नहीं है। मैं गया, उसके परिवार में मेर आना-जाना है, उसकी औरत ने कहा कि साहब अब आप क्या चाहते हो? पहले तो उसको पुलिस ने ऐसा कर ही दिया तो हमारी भी यही हालत करवाना है क्या? ये घबराहट थी, के इस प्रकार से, घबराई ही गई वो। हमने अल्पसंख्यकों की और ट्रेड यूनियंस की एक मीटिंग बुलाई, खासी काफी कोशिश करने के बाद। बहुत अच्छी मीटिंग थीं उस मीटिंग में जो अल्पसंख्यक मौजूद था वो इतना घबराया हुआ था कि वो बम कांड के खिलाफ एक शब्द कहने को तैयार नहीं था। (प्र. अच्छा? मीटिंग में?) इतना भयभीत था। हमने उस मामले को हाथ में लिया, हमने कहा कि आप की हमको जरूरत नहीं है, आप कुछ नहीं करोगे, हमारा कर्तव्य है कि हम इस बम कांड के खिलाफ अपने लोगों को जागृत करेंगे और एक जुलूस निकालेंगे। इसको ऑर्गनाइज करेंगे हम, और जब सब यूनियन वाले बोलने लगे कि हम लाएंगे आदमी, हम लाएंगे आदमी, जब ये सब लोग जो अल्पसंख्यक मौजूद थे, उनका भी दिल खुला, थोड़ा, उसने भी कहा कि हम भी आदमी लाएंगे। हमारा अंदाज थ कि दसेक हजार आदमी उसमें इकट्ठा

होगा ऐसा जुलूस निकलवाना है। उसकी तैयारी भी हुई। मुस्लिम मोहल्लों के अंदर वहिकल्स तय हो गए। सिटी बसें वगैरा engage कर लीं, लोगों को ले जाने के लिए। अच्छी तैयारी हुई। अंदाज था हमारा कि दस हजार लोग जुट जाएंगे। लेकिन इसमें प्वाइंट दूसरा था जो मैं कह रहा था। इसमें मुझे एटक के लोग मेरे पास में आए। मैंने कहा कि भाई कितने आदमी आएंगे आपके? अलग-अलग जगहों से.... कहा कि बहुत difficult मामला हो गया है। लोग तो कहते हैं कि ये मुसलमानों की पार्टी हो गई है (प्र. : मुसलमानों की पार्टी हो गई है!) हां, इसलिए लोग आएंगे नहीं। ये मुझे एटक का कार्यकर्ता बोलता है, जहां हमारी strong यूनियन है बिजलीघर के अंदर तो मैंने कहा कि बस सिम्पल है। मामला : इस बात को मिटा दें अपन अपने एक्शन से कि ये मुसलमानों की पार्टी है, ये अपने लोगों को लावें, अपने को क्या तकलीफ है? अपने लोगों को लावें भई! यानि क्योंकि उसकी तैयारी चली और मुस्लिम मोहल्लों के अंदर समझ में आया कि ये हवा बन गई है कि जुलूस को लाना है तो ये समझ में आया की मुसलमान ज्यादा आएंगे, तो मुसलमानों की पार्टी हो गई।

तो उससे मुझे ये लगा कि हमारा एटक का लीडर, एक स्ट्रोंग यूनियन का लीडर ये कह रहा है कि लोग ऐसा कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि नहीं, वो तो कह ही रहा है। वो तो कह ही रहा है...), खुद बोल रहा है। हमने कहा आप तो लाओ, आपको किसने रोका, आप हिन्दुओं को लाओ! अपन ने कहां कहा कि मुसलमानों को लाओ, अपन ने कहा है ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना है, अपना बेस अगर मजदूरों के अंदर है, मुसलमानों से ज्यादा हिंदू हैं तो हिंदू आएंगे।

ये चीज मुझे एटक के एक लीडर ने, बड़े से बड़ा जो लीडर यहां के हैं, उनमें से एक ने कही। तो आप मुझे ये बताओं ऐसे सवालों के ऊपर भी अगर हमारी ये मनःस्थिति है तो फिर कैसे काम चलेगा? वो उसकी मनःस्थिति क्योंकि है? इसलिए उसकी मनःस्थिति बनी कि उसके लोगों ने उसको कहा होगा कि ये क्या बमवाला आपने मोल ले लिया साहब? आपको मुसलमान ही मुसलमान दिख रहे हैं। बमकांड में मुसलमान ही फंसे हुए थे। हमारा नुकसान हुआ, उसका क्या होगा? कुछ कहा होगा। तो उसने देखा होगा कि मैं चार आदमियों को जुलूस में ले जाऊं और ये चार मेरे खिलाफ में हो जाएगे, और अगर ये खड़े हो गए लोगों में प्रचार करने के लिए कि मुसलमानों का जुलूस है वहां नहीं जाना है तो लोग अगर नहीं आए तो उसकी पोजीशन डाउन हो जाएगी। तो उसने अपनी थ्योरी बना ली। (प्र. वो जुलूस निकाला नहीं?) वो जुलूस निकाला नहीं क्योंकि उसी दिन सुबह अखबारों के अंदर, अखबारों से मालूम पड़ा कि उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जुलूस के ऊपर। तो फिर हम लोगों ने बैठ के सोचा कि अब इसका क्या करें? इस जुलूस का क्या करें? तो हमने सब बस्तियों के अंदर वापस कहलाया कि ये जुलूस नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारा मूल्यांकन ये हो गया था कि अगर ये जुलूस निकलेगा तो लोग इकट्ठे होंगे तो ये जो हिंदूवादी हैं, ये कोई पत्थर-वत्थर मारेंगे और कोई बवेला खड़ा होगा, जो हम नहीं चाहते थे। इसलिए हमने उस जुलूस को स्थगित किया, सब जगह वापस इत्तला कराई। उसके बावजूद जो स्थान था जुलूस इकट्ठा होने का, वहां डेढ़-दो हजार आदमी चारों तरफ बिखरे खड़े थे (प्र. डेढ़-दो हजार?) हां, बिखरे हुए खड़े

थे। उनको हम फिर अपनी यूनियन की साइड में ले गए, पांच-दर-पंद्रह मिनट की मीटिंग करके उनको वापस भेज दिया। (प्र.: ....अच्छी हुई) ये सब हमने कोशिश की, हमने मना किया। कम से कम दस हजार आदमी इकट्ठे होते लेकिन अब हमारा... किस्मत यू बनी (laugh...) कि...

कई मुद्दों पे मैं आपको बताऊं, जो आपको आदमी, आपकी यूनियन का लीडर और साधारण कार्यकर्त्ता ये कहेगा कि राष्ट्रीयकृत बैंक जा रहे हैं तो जावें यार, ठीक है, ये कुछ काम नहीं करते। वहीं एग्रीमेंट दे रहे हैं जो हमारे गुरूजी.... और बिजलीघर का अगर निजीकरण हो रहा है, तो लोग कहते हैं ठीक हो रहा है, कि यहां जो लाइनमैन है वो हमसे पैसा खाता है। ये तो काम ही नहीं करते, बेकार हैं। मतलब एक ही छंदे वाला आदमी दूसरे छंदेवाले को चोर बता रहा है। आप भी सरकारी उपक्रम में हो, के भी सरकारी उपक्रम में हैं क्योंकि इसकी बेसिक चीज ये है कि वो इस बात से convinced नहीं है कि निजीकरण नहीं होना चाहिए। हम मुहिम ही नहीं चला रहे हैं। हम जो मुहिम चला रहे हैं वो चला रहे हैं कि हम महफूज रहें। निजीकरण के ऊपर जो हमला होना चाहिए, as a matter of policy वो नहीं हैं वो नहीं है; मैं निजीकरण का विरोध इसलिए कर रहा हूं कि वो मेरी नौकरी से सम्बन्धित मामला है। इसलिए कट्टरता तो है न। आज जो मुख्य मुद्दे बने हुए हैं, चाहे communal situation का हो ओर चाहे ये इक्नामिक इश्यू के ऊपर हो, हम शिक्षित तो किसी को करते नहीं। (प्र. ये बहुत सीरियस सिचुएशन है....), बहुत सीरियस सिचुएशन है। तो gap है टोटल (प्र. बहुत बड़ा gap है), आप ऊपर बैठ के कुछ भी कर लो। आप ऊपर बैठ के प्लेटफॉर्म का, जमा रहे हो, आप ऊपर बैठ के सब का इकट्ठा कर रहे हो, अलग-अलग मंच के नाम दे रहे हो, अप कुछ भी कर लो लेकिन आपके हरेक को, हर जो इससे सम्बन्धित यूनियन है और जो ideology-based कहते हैं, उनको तो ये काम करना पड़ेगा। मैं तो आपको एटक के experience से बता रहा हूं, सीटू वालों को बताऊंगा। सब उनका भी यही है। वो भी mass, ऐसे इश्यू पे तो आते नहीं हैं, दूसरे इश्यू पे जो उनसे सम्बन्धित हैं उन पे react करते हैं। वैसे react नहीं करते। इसलिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम seriously इस बात के लिए प्रयत्न करें; बिना शिक्षित किए उसको हो ही नहीं सकता। कई बार तो मैं यह समझता हूं कि हम जो भाषण देते हैं, हमको जो सुन रहा है वो समझ ही नहीं रहा है, क्योंकि हम कम्युनिस्ट मूवमेंट में हैं, इसलिए हमारी मजबूरी यह है कि (प्र. बोलना है.....) समाजवाद, साम्राज्यवाद का खात्मा करेंगे, समाजवाद लाएंगे, लेकिन मैं यह कहता हूं कि जो सुन रहा है उसे वह साम्राज्यवाद क्या है इसे नहीं समझता, समाजवाद क्या है वो नहीं समझता। वो तो TA और DA और बोनस समझ रहा है, उससे ज्यादा समझता ही नहीं है इसलिए आधा भाषण जो हमारा लीडर देता है वो अगला आदमी नहीं समझ रहा है। ये एक gap है। इस gap को मैं यह समझता हूं, विचारधारा की परिपक्वता के बिना और उसकी कट्टरता के बिना कोई भी संगठन न तो पनप सकता है और न ही किसी दूसरे संगठन से एकता कर सकता है। आज आपको अपने व्यवहार से और इस विचारधारा के संघर्ष से ये तो बताना ही पड़ेगा वर्कर्स को कि बी.एम.एस हम क्यों न ज्वाइन करें औश्र हम एटक ही क्यों ज्वाइन करें। आज तो बहुत सरल है, आप एटक में कोई आदमी है, वह किसी वजह

से नाराज हो गया, वह बी.एम.एस. में चला गया। सीटू में कोई नाराज हो गया वो एटक में आ गया। वो हमारे यहां ग्रहणीय है, दूसरी जगह ग्रहणीय हैं सवाल तो यह है। तो इसलिए इसकी लड़ाई तो लड़नी चाहिए और करना चाहिए।

प्र. : तो ये ट्रेड यूनियन्स जो हैं, ऑल इंडिया से लेकर तो लोकल तक, मतलब इनके काम पर तो असर पड़ रहा है, मतलब इनके काम पर, इनकी strength पर, और ये इश्यू तो सामने आ रहे हैं। इसको urgently क्यों नहीं टेक अप किया जा रहा है?

उ. : कुछ तो (प्र. जैसे liberalisation या जो भी बातें वो बोलते हैं, globalisation, ये वो, मान लें कि जो पोजीशन ट्रेड यूनियन्स ले रही हैं वो सही हैं, उन पर एक जो countrywide movement है, असरदार होना चाहिए, campaign होना चाहिए, एक political campaign होना चाहिए, (वि.मे. : सही है) कम से कम ए.आई. टी.यू.सी. सीटू, एच.एम.एस, इंटक इस टाइप की जो, या left ट्रेड यूनियन्स ये सब मिलकर के करना चाहिए, जो पहले urgency थी जैसे nationalisation के जमाने में, (वि.मे. : सही है) वो आज नहीं दिखाई देती); नहीं दिखाई देती हैं और इसलिए आप क्या कर रहे हो? आप स्टेटमेंट देते हो, ज्यादा से ज्यादा प्रभावित आदमी उसका जुलूस निकाल देता है, सरकार के काम-काज में क्या असर पड़ता है? पार्लियामेंट होती है, थोड़ा हंगामा हो जाता है; कोई ऑर्डर वापस हुआ क्या? कोई एक्शन वापस हुआ क्या? आप क्या हो? ऑर्गनाइज सेक्शन अगर एक भी ऑर्डर वापस नहीं करवा सकता है तो मजदूरों के अंदर आत्मविश्वास कैसे पैदा होगा? और ये इसलिए भी नहीं है क्योंकि दरअसल में हम जो कर रहे हैं, विरोध, या exposure, जो भी है, वो इसलिए कर रहे हैं कि हमको करना जरूरी है। एक.... ऐसा नहीं हुआ कि हमने इसका विरोध नहीं किया। इसमें जान हम नहीं फूंकते, इसमें. ... पूरा नहीं करते..... आपने convention कर लिया और all parties' convention कर लिया, दिल्ली में एक जुलूस निकाल लिया, और जिन्दाबाद-मुर्दाबाद कर दिया, उससे कुछ हुआ नहीं..... उससे कुछ नहीं हुआ। उल्टा वो तो दूसरी दिशा में बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए कोई नई तकनीक तो आपको ढूंढनी पड़ेगी।

प्र. : अच्छा अगर ऐसा कहा जाए कि, ठीक है, पॉलिटिकल आप ideologies और policies एक तरफ रखिए, एक broad economic policies और general economic और एक हद तक पॉलिटिक्ल सवालों को लेकर के main main ट्रेड यूनियन्स को एक जगह ले आइए, तो coordination committee हो या यूनिटी हो, उसके अंदर अपनी पॉलिटिक्स करते रहिए, क्या ये संभव है?

उ. : प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, न, ऑल इंडिया के प्लेटफॉर्म मंच बने हुए हैं, मंच की तरफ से आहावान भी होते हैं, लेकिन उसका नतीजा तो कुछ मुझे दिखा नहीं। मैं कोई निराशावादी नहीं हूं कि ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा जभी जबकि टॉप के जो लोग हैं उसको seriously समझें, तभी होगा। मैं यह नहीं समझता कि कन्वेंशन करने से और कोई प्रस्ताव पास करने से, प्रस्ताव पास करने से कुछ होगा। सवाल तो यह है कि आप time-bound program बनाओ।

पहला तो मुहिम ये चलाना चाहिए इन को किसी भी एक्शन प्रोग्राम, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप एक particular का, disinvestment हो गया और आपने कोई असरदार नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप एक मुहिम चलाइए, एक target-oriented कीजिए, महीना-दो-महीना, तीन महीने, चार महीने के अंदर हम हमारी एक को, एक यूनियन के अंदर इन सवालों पर बहस करेंगे। भाषण नहीं करना है, उनसे बहस कीजिए आप। मैं अहमियत देता हूं छोटी मीटिंग को, आप छोटी मीटिंग बुलाओ। उसमें pose करो और सवाल करें लोग। हमारे ही आदमी हमसे सवाल करें। ये आप उनको अधिकार दो कि उसके सवाल करने से हम बिगड़ेंगे नहीं। हम उसका नहीं बिगाडेंगे कुछ भी, वो हमसे सवाल करे, तभी तो क्लासिफाई होगी उसकी पोजीशन, जभी हम उसके निकट आएंगे, वो हमारे निकट आएगा। हमारे बीच जो gap है उसे gap को, पूरी कैसे होगी? जबकि मैं उसको समझाने की कोशिश करूं और वो मुझे नहीं समझता है तो किन मुद्दों पे नहीं समझ रहा है? तो मैं उसको और study करूं। उसको persuade करूं। मैं इस बात में विश्वास नहीं करता कि आप बड़ी मीटिंगें कर लो। बड़ी मीटिंग में तो नेता भाषण देते हैं, ताली बजती है, खेल खत्म हो गया। जो ताली बजानेवाला है वो क्या ग्रहरण करके जाता हैख मुझे मालूम नहीं पड़ता क्योंकि अगर इस fact को अगर हम मानते हैं कि हमारा झंडा थामे हुए जो आदमी है वो दूसरी विचारधारा से प्रभावित है और उसके साथ में उसकी पॉलिटिक्स वहां जुड़ी हुई है, ट्रेड यूनियन यहां जुड़ी हुई है, अगर इस fact को मानते हैं तो उससे बात तो हमको करनी होगी। और उसको बात करने को फिर हमको सक्षम होना पड़ेगा। अगर मैं मंदिर-मस्जिद की बात उससे करना चाहता हूं तो I should be well-posted with the facts and his arguments; गाली-गलौज काम नहीं चलेगा, तेज बोलने से काम नहीं चलेगा, उसके facts narrate करूंगा जब उसको मालूम पड़ेगा। उसको अगर disinvestment के मैं खिलाफ हूं तो मुझे स्टडी होना चाहिए, कि एनरॉन क्या चीज है और किस प्रकार के एग्रीमेंट हो रहे हैं। Unless I am posted with all these facts, how can I convince, वो तो आपको कहेगा, जैसे दूसरे लोग कहते हैं कि मार्किट में चाइनीज ने डम्प कर दिया है। आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। मतलब उसके दिमाग में जो जवाब है, उसके दिमाग में जो प्रश्न है, वो प्रश्न, वो हमको कहां पूछेगा? आज कोई फोरम है क्या उसको पूछने का? तब फिर कैसे होगा? इसलिए मैं तो इसमें करता हूं विश्वास कि ये एटक हो चाहे कोई भी हो, एटक के बारे में ही कह सकता हूं, वो ये निर्देश देखें कि आप हर यूनियन की एक्जिक्यूटिव की मीटिंग बुलाओ, केवल इन सवालों पे विचार करने के लिए 1 छोटी-छोटी इकाई, उसमें बहस करवाओ। उसमें बहस करवाओ, इन-इन मुद्दों पे करवाओ, उसके लिए आप material दीजिए। ये इसका material है। उस पे आप बहस करवाओ। उस बहस से नतीजा निकलेगा। उससे clarify होगी, जो नतीजा निकलेगा, ज्यों हम निकट आएंगे एक-दूसरे के, फिर उनके मार्फत दूसरे कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाएंगे। ये काम जरूरी काम है। यूं आप देखो तो इस काम का कोई महत्व नहीं है कि पांच-दस आदमियों की मीटिंग में क्या है? क्या रखा है? वैसे बहुत जरूरी काम है। वैसे दस आदमियों की मीटिंग के लिए आप

स्टेट की लीडरशिप को पाबंद करो कि विजय मेहता जी, आप इन्हीं मीटिंग बुलाओगे और आप जोधपुर के अलावा इन्हीं मीटिंगों में जाओगे। अगर आप इस काम में महत्व देते होंगे तब वो काम होगा। आपके सर्कुलर निकालने से नहीं होगा। आपको क्या कालूम है कि आपने सर्कुलर जयपुर भेज दिया, राजस्थान एटक ने हमको सर्कुलर भेज दिया। हो क्या रहा है, ये क्या मालूम पड़ा? मुझे नहीं मालूम पड़ेगा यदि आपका एक आदमी इसके लिए deputed होगा, जब लोगों के समझ में आएगा। इसकी इतनी अहमियत है कि तुम्हारे एक्जिक्यूटिव की मीटिंग के लिए एक आदमी यहां पर लीडर आ रहा है तो वो qualitative change आएगा उसमें। change आते ही हम ताकतवर हो जाएंगे। (प्र. : क्लासेस का सवाल भी इससे जुड़ा हुआ है) इससे जुड़ा हुआ है। वो तो होती ही नहीं हैं आजकल। एक जमाने के अंदर एटक का syllabus भी था और सब कुछ था, क्लासेस कहीं नहीं होतीं। Misfortune है; मैं तो यहीं कहता हूं कि इसमें, इस काम को प्राथमिकता देनी चाहिए।

प्र : अच्छा, आप काफी लंबे अर्से से ट्रेड यूनियन मूवमेंट में रहे हैं तो आज बहुत सारे changes हो रहे हैं। वर्किंग क्लास में जो character, जो structure पहले था, और जो आज है, टेक्नोलोजी में change हो रहा है, क्या पाते हैं? संभावनाएं, समस्याए....?

उ. : कार्ल मार्क्स ने कहा था, खोने को कुछ नहीं है सिवा जंजीरों के, लेकिन आज (...laugh....) मजदूर के पास में मोपेड से ले के, स्कूटर से ले के, टी.वी. से ले के सब कुछ खोने के लिए है। और एक हकीकत है। आज आपको class IV servant जो है, सबसे नीचे है, जिसको इंद्रजीत गुप्ता जी ने 2550/- रू. शुरूआत में ही दिलवा दिए हैं, उसके पास में काफी सुविधाएं हो गई हैं, और वो उपभोक्तावादी हो गया है। वो भी अपने परिवार में मध्यम वर्ग की नकल करता है। उसका character बदल गया है। ये बात तो fact है। लेकिन हमारे काम करने के तरीके में बदलाव नहीं आया। अब वो जो ट्रेड यूनियन के पुराने तरीके थे, वो तरीके नहीं चल सकते। हमने गेट मीटिंग में जा के भाषण झाड़ दिया, तालियां बजवा दीं, जिन्दाबाद-मुर्दाबाद करा दिया, वो तरीका ही नहीं हो सकता। आज का ट्रेड यूनियन का लीडर ऐसा भाषण भी देगा, आज का ट्रेड यूनियन का लीडर कानून की बारीकियों को भी समझेगा, आज का ट्रेड यूनियन का लीडर ये जो पेचीदगियां राजनीति में और जो नीतियों के मामले में चलती हैं उसको भी समझाने की क्षमता रखेगा। आज का ट्रेड यूनियन लीडर जब तक ये नहीं बताएंगा क ये बी.एम.एस क्या है और वो कैसे अलग है, जब तक तो मामला नहीं बैठ सकता ...?(unclear) अब ये शुरूआत में यहां पर इंटक बनी थी तब हम क्या नारे लगाते थे? जुलूस निकालते थे : "गद्दारों की टोली ये है, इंटक छोड़ो मजदूरों!", (laugh...) ये हमने नारे लगाए थे। ये नारे लगा के आज आप इंटक तोड़ सकते हो क्या? टूट नहीं सकता है। तरीके तो बदलने पड़ेगे। अभी हम भी पुरानेवाले तरीकों में रहे हैं। पुराने तरीकों में नहीं चल सकते। आज के जमाने के अनुसार और जो लेटेस्ट टेक्नीक है उस लेटेस्ट टेक्नीक का उपयोग करते हुए.... और हम तो लोग साइंटिफिक सोशलिज्म पर अगर विश्वास करते हैं, तो वे तौर -तरीके अपनाने होंगे।